खण्ड-121, अंक-3
बुधवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(18 मार्च, 1953 ई0)

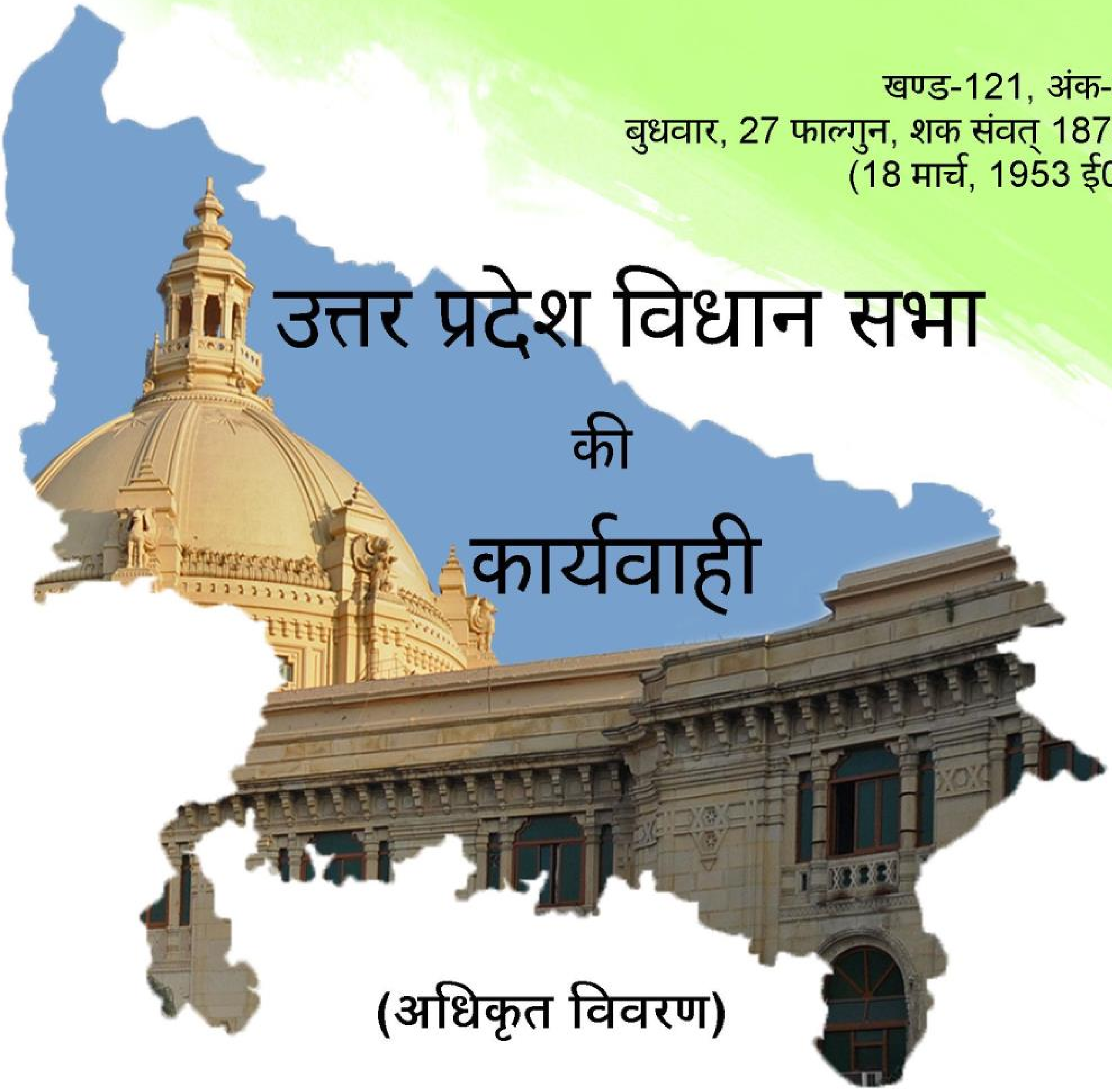

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 121 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ मार्च १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री,
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री

रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास बनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी , श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधायक निवास में रहने वाले व्यक्तियों के लिये दवा का प्रबन्ध

*१—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विधायक निवास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए दवा का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—विधायक निवास में रहने वाले व्यक्तियों की दवा तथा चिकित्सा के लिये एक चिकित्सक नियुक्त है जिसे आनरेरियम दिया जाता है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि यह डाक्टर महोदय कितने बजे से कितने बजे तक दारुलशफा में रहते हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां, उनका समय आजकल ७ बजे से ९ बजे तक और जाड़ों में ८ बजे से १० बजे तक है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुछ दवाइयों का भी प्रबन्ध है या डाक्टर साहब अकेले ही रहते हैं ?

श्री बनारसीदास—दवाई का कोई प्रबन्ध नहीं है । वह बिला कोई फीस लिये हुये नुस्खा लिख देते हैं उसको सदस्य या तो बाजार से मंगा सकते हैं या नजदीक की हजरतगंज डिस्पेंसरी से मंगा सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनको कितना आनरेरियम मिलता है ?

श्री बनारसीदास—उनको ७५ रुपया मासिक मिलता है ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि डाक्टर साहब विधायक निवास के किस रूम में रहते हैं ?

श्री बनारसीदास—इस समय यह तो मुझे मालूम नहीं है किन्तु सुविधानुसार कमरे बदलते रहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि दारुलशफा और गवर्नमेंट हाउस में डिस्पेंसरी खुलने का जब एक साथ ही निर्णय हुआ था तो गवर्नमेंट हाउस में क्यों पहले खुल गई और दारुलशफा में नहीं खुली ?

श्री बनारसीदास—यह गवर्नमेंट हाउस में तो बहुत पहले से डिस्पेंसरी कायम है और यह प्रश्न ऐसा था कि जिसके लिये कुछ समय पहले सुझाव पेश हुआ था तब डाक्टर की नियुक्ति का निर्णय वहां पर किया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो टाइम डाक्टर साहब वहां पर देते हैं ७ से ९ तक और जाड़े के दिनों में ८ से १० तक वह सुबह का है या सायंकाल का, हम किस समय उनको वहां तलाश करें ?

श्री बनारसीदास—यह सुबह का वक्त है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)— क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या उनके पास कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र आया है कि विधायक निवास में कोई डिस्पेंसरी या डाक्टर रखने की जरूरत नहीं है ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि विधायक निवास में रहने वाले लोगों के कुटुम्बी जनों की भी चिकित्सा वह डाक्टर साहब करते हैं ?

श्री बनारसीदास—जिस आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है उसके अनुसार उनसे यह आशा की जाती है कि वह सदस्यगण से ही बिला फीस लिये हुये इलाज करें। उनके परिवार के लिये इलाज करने की वह फीस चार्ज कर सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा —क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब यहां पर मेडिकल कालेज, हजरतगंज डिस्पेंसरी और बलरामपुर अस्पताल हैं तो वहां पर डाक्टर साहब को रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री बनारसीदास—यह तो ऐसा था कि बहुत पहले यह फैसला हुआ था कि एक डाक्टर जो माननीय सदस्यों के इलाज आदि के बारे में सलाह दे सके उसकी व्यवस्था होनी चाहिये तो यह व्यवस्था कर दी गयी थी। जहां तक विशेष राय लेने का सवाल है उसके लिये बलरामपुर अस्पताल, हजरतगंज डिस्पेंसरी और मेडिकल कालेज हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि कुछ मेम्बरों से भी फीस चार्ज की गयी ?

श्री बनारसीदास—इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह डाक्टर साहब जो दारुलशफा में रखे गये हैं। वह वहां का जो स्टाफ़ है यानी नौकर हैं उनकी भी दवा करते हैं ?

श्री बनारसीदास—वह हैं तो दारुलशफा के लिये ही लेकिन इसकी कोई सूचना नहीं है कि स्टाफ़ के सदस्यों का भी वह इलाज करते हैं या नहीं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या यह सही है कि दारुलशफा की सुविधा के लिये सदस्यों के वास्ते कोई फर्स्ट एड का इन्तजाम नहीं है ?

श्री बनारसीदास—फर्स्ट एड का इन्तजाम है और केयरटेकर के पास फर्स्ट एड का पूरा सामान रहता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—यदि सरकार ने गवर्नमेंट हाउस में डाक्टर के रहने का इन्तजाम कर दिया है तो क्या चार पांच सौ सदस्यों की सुविधा का ख़याल करके सरकार दारुलशफा में भी डाक्टर साहब के रहने का प्रबन्ध करेगी और कोई कमरा निश्चित करेगी ?

श्री बनारसीदास—यह प्रश्न अवश्य विचाराधीन है कि डाक्टर साहब का रहने का जो समय २ घंटे का है वह ५ घंटे कर दिया जाय और उस निवास स्थान में उनके लिये एक निश्चित कमरा हो जिसमें वह लोगों की चिकित्सा कर सकें।

*२—श्री रामनरेश शुक्ल—यदि नहीं, तो क्या सरकार एक डिस्पेंसरी दाखलशफा में खोलने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में ए०पी० स्कीम के अन्तर्गत खराब गल्ला मिलने की शिकायत

*१—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले में ए० पी० स्कीम का बचा हुआ गल्ला जो सैदपुर या अन्य तहसीलों में कोआपरेटिव या अन्य दूकानों के जरिये जनता के हाथ बेचा जा रहा है उसमें बालू और बाजरा है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—गाजीपुर जिले में आस्टेरिटी प्रावीजिनिंग स्कीम के अन्तर्गत जो गल्ला सैदपुर या अन्य तहसीलों में सरकारी गोदाम से दिया गया है उसकी विश्लेषण (Analysis) रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि उसमें बालू या बाजरा कदापि नहीं है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह बालू और डस्ट जो मिली हुई पाई गई उसके लिये कोई जिम्मेदार ठहराया गया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि कोई दोषी ठहराया जाता।

श्री कमलासिंह—बालू का सेम्पिल मैंने खुद दिया था और मौके पर उसमें आधी बालू और आधी मिलो मिली थी, उसकी कोई जांच हुई या नहीं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह तो प्रश्न के उत्तर में बतला दिया गया है कि उसमें बालू नहीं पाई गई।

श्री कमलासिंह—प्रश्न एक में जो दिया गया है कि गाजीपुर शहर से जो वितरण हुआ था उसमें कुछ नहीं था लेकिन सैदपुर से जो वितरण हुआ था और जिसमें डस्ट काफी मात्रा में थी, जो प्रश्न २ के उत्तर में कहा गया है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जैसा कि प्रश्न २ के उत्तर में बतलाया गया है कि फूड ग्रेन इंसपेक्टर को ताड़ना दी गई है कि भविष्य में ऐसा न हो और कोआपरेटिव सोसाइटियों को और रिटेलर शाप्स को ऐसा गल्ला न दिया जाय।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह मिलो जो विलायत से आया है उसमें जो धूल निकली है वह भारतीय है या विलायत वाली?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वह धूल वहीं से मिली हुई थी और वह मिलो की धूल है।

*२—श्री कमलासिंह—क्या यह सत्य है कि कमला सिंह, सदस्य विधान सभा, सैदपुर ने दूकानों से नमूना लेकर जिलाधीश गाजीपुर को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, जिलाधीश ने श्री कमलासिंह द्वारा दिये गये चना, माइलो और बाजरा के तीनों नमूनों की जांच कराई। चने में बहुत कम गर्द पाया गया। बाजरा और माइलो में उन्हीं अन्नों के गर्द (Weevilled dust) अधिक मात्रा में पाये गये। इसके लिये जिलाधीश ने फूड ग्रेन्स इन्स्पेक्टर, सादात, को कड़ी चेतावनी दे दी है कि भविष्य में आस्टेरिटी प्रावीजनिंग दुकानदारों को ऐसा गल्ला न दिया जाय।

फाटक सूरजभान, बेलनगंज, आगरा में गल्ले के गोदाम में केलोपेट्रा के प्रयोग का घातक परिणाम

*३—श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ नवम्बर, १९५२ या उसके आस-पास फाटक सूरजभान, बेलनगंज, आगरा में स्थित गल्ले के गोदाम में वहां के अधिकारियों द्वारा कोई ऐसी दवा डाली गई थी जिससे बड़े जोर की गैस आस-पास के मकानों में भर गई? यदि हां, तो उसके फलस्वरूप कितने लोग बेहोश हुये अथवा मर गये?

श्री बलदेवसिंह आर्य—फाटक सूरजभान, बेलनगंज, आगरा में स्थित गल्ले के सरकारी गोदाम में १२ नवम्बर, १९५२ को गल्ले को कीड़े लगने से बचाने के हेतु केलोपेट्रा (Kellopetra) का प्रयोग किया गया था। इस गोदाम के छोटे-छोटे सूराखों से आस-पास के मकानों में केलोपेट्रा की गैस पहुंच गई थी जिसके फलस्वरूप ६ व्यक्तियों को बेहोशी आ गई थी, परन्तु इन आदमियों को शीघ्र ही अस्पताल ले जाया गया और थोड़े समय में ही अस्पताल में सब लोग स्वस्थ हो गये थे। किलोपेट्रा से किसी व्यक्ति के मरने की सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जो लोग बेहोश हो गये थे उनको कितने दिन पर होश आया?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जो लोग बेहोश हो गये थे उनमें से कोई-कोई तीन रोज में कोई चार रोज में स्वस्थ हो गये थे।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैलोपेट्रा जहां डाली जाती है उसके बारे में जो नियम हैं उनका पालन किया गया था?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, उनका पालन किया गया था। जो इस काम को करते हैं उनको खास तौर से हिदायत है कि जो उनको हिदायतें दी गयी हैं उनके मुताबिक कैलोपेट्रा का उपयोग करें।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या यह सही है कि सरकारी हिदायतों में लिखा है कि कैलोपेट्रा जब डाली जाय तो 'एयर टाइट' करके गोदाम में डाली जाय?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, ऐसा आदेश है। लेकिन जिस गोदाम की घटना का उल्लेख किया गया है उस गोदाम की दीवारों में छोटे-छोटे सूराख होने के कारण वह गैस दीवारों से बाहर निकल गयी।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कैलोपेट्रा का डाइल्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था जो कि मकान में डाला गया, जब कि डाइल्यूशन पतला होना चाहिये?

श्री बलदेवसिंह आर्य—हो सकता है।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से जिन आदमियों को नुकसान हुआ उनको मुआविजा देने की बात पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस दवा का असर उस गल्ले पर क्या हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गल्ले पर अच्छा असर हुआ। वह कीड़े लगने से बच गया।

मेरठ में पंचायत मंत्रियों के रिक्त हुए स्थानों पर हरिजन उम्मीदवारों की नियुक्ति

*४—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में सन् १९५२ ई० की अन्तिम तिमाही में कितने पंचायत मंत्रियों के पद रिक्त हुये और रिक्त स्थानों की विज्ञप्ति के लिए क्या साधन प्रयुक्त किये गये ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—केवल ३ पद रिक्त हुये थे जिनके लिये सूचना जिले की मासिक पत्रिका 'ग्राम विकास' में प्रकाशित करा दी गई थी।

श्री वीरसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूसरे पत्रों में विज्ञप्ति क्यों नहीं दी गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—उसको काफी समझा गया।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका सम्पादन कहां से और किसके द्वारा होता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका सम्पादन वहीं जिले के हेडक्वार्टर्स से होता है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायत विभाग मिल कर करते हैं ?

*५—श्री वीरसेन—कुल कितने उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र भेजे तथा उनमें से कितने हरिजन थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुल १८२ उम्मीदवारों ने प्रार्थना-पत्र भेजे जिसमें ३ हरिजन थे।

*६—श्री वीरसेन—क्या सरकार बतायेगी कि कितने हरिजन उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—किसी हरिजन उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की गई।

मड़ियाहू, जिला जौनपुर के चिकित्सालय को बढ़ाने की आवश्यकता

*७—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के मड़ियाहू अस्पताल की इमारत खराब हो गई है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, मड़ियाहू चिकित्सालय जिला बोर्ड जौनपुर के अधीन है। इस विषय में जिला बोर्ड को आवश्यक आदेश दिये जा रहे हैं कि चिकित्सालय भवन की मरम्मत शीघ्र करायें।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहू अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सरकार के नियंत्रण में वह लें लेंगे ?

श्री बनारसीदास—अभी तक सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव जिला बोर्ड से प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्पताल के अलावा वहां रोगियों के रहने के लिये सरकार कोई इमारत बनवाने के लिये तैयार है ?

श्री बनारसीदास—क्योंकि यह चिकित्सालय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है इसलिये सरकार के द्वारा अब तो इमारत बनवाने के लिये प्रश्न उठता ही नहीं।

*८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहू अस्पताल में रोगियों के रहने के लिये नये कमरों का निर्माण किया जाने वाला है ?

श्री बनारसीदास—सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

*९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—यदि हां, तो कब से और कितने कमरों को बनवाया जायगा ?

श्री बनारसीदास—यह प्रश्न उठता ही नहीं।

पीलीभीत जिले के बीसलपुर अस्पताल की दुर्व्यवस्था

*१०—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या यह सही है कि जिला पीलीभीत के बीसलपुर अस्पताल में न चारपाई है, न दवायें हैं न पट्टियां बांधने का कोई इन्तजाम है और इमारत इतनी टूटी हुई है कि उसके गिरने का डर है ?

श्री बनारसीदास—हां, ये सब बातें सत्य हैं। बीसलपुर चिकित्सालय जिला बोर्ड,पीलीभीत के अधिकार में है और उसी बोर्ड का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि इस चिकित्सालय को अच्छी दशा में रक्खे। इस विषय में जिला अधिकारी पीलीभीत को सूचित किया है कि वह जिला बोर्ड से कहें कि उस चिकित्सालय की कुल दशाओं को शीघ्रता शीघ्र सुधारें और सदैव अच्छी दशा में रक्खें। जिलाधीश का उत्तर यदि संतोष-जनक न हुआ तो इसकी दशा सुधारने की सरकार स्वयं उचित कार्यवाही करेगी।

श्री हरिप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसी दशा उन्होंने अस्पताल की बताई उसका इन्तजाम सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ?

श्री बनारसीदास—यह तो उत्तर दिया गया। चूंकि यह अस्पताल जिला बोर्ड का है तो इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है कि सरकार इसका इन्तजाम अपने प्रबन्ध के अन्दर ले ले, लेकिन अगर जिलाधीश की रिपोर्ट आई कि जिला बोर्ड उसकी मरम्मत या उसमें सुधार करने के अयोग्य है तो सरकार उस प्रश्न पर विचार करेगी कि वह स्वयं उसको अपने हाथ में ले ले।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने दिन तक सरकार इसका नये सिरे से इन्तजाम करने की सोच रही है ?

श्री बनारसीदास—यह तो अभी उत्तर दिया गया। इसका तो प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ।

*११-१२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[८ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

वनस्पति घी में रंग देने की योजना

*१४—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फारेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, देहरादून से वनस्पति घी के रंग देने के सम्बन्ध में कोई रंग का नमूना सरकार के पास भेजा गया था? यदि हां तो कब?

श्री बनारसीदास—फारेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट देहरादून से वनस्पति घी रंगने के लिये कोई रंग का नमूना नहीं प्राप्त हुआ। अतः प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१५—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रान्त की वनस्पति घी पैदा करने वाली मिलों में वनस्पति घी में रंग देने की योजना पर विचार करना चाहती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—वनस्पति में रंग मिलाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भरसक प्रयत्न किया, परन्तु कोई संतोषजनक रंग न मिलने के कारण इस विषय में पूर्ण निर्णय अभी न तक नहीं हो सका।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार डाक्टर सद्गोपाल, जो फारेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट में काम कर रहे हैं उनसे मालूम करने की कृपा करेगी कि क्या उन्होंने इस प्रकार घी में रंग देने का नमूना ढूंढ निकाला है?

श्री बनारसीदास—यह तो अभी उत्तर दिया जा चुका है कि रिसर्च इंस्टीटयूट से तो अभी तक कोई ऐसे रंग की सूचना नहीं मिली, लेकिन जैसा आपने अभी सुझाव दिया है, इसमें उनसे पूछतांछ की जा सकती है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय अन्न मंत्री को पता है कि इन डाक्टर महोदय को डालडा के व्यापारियों ने कई हजार रुपिया इस बात के लिये देने को कहा है कि वे सरकार को रंग न दें।

श्री बनारसीदास—इसकी सूचना माननीय सदस्य को मुझसे अधिक होगी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक क्या भरसक प्रयत्न किये हैं?

श्री बनारसीदास—सरकार ने बराबर इस बात की कोशिश की कि ऐसा कोई रंग जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो मिल सके और साथ ही जिसकी आसानी के साथ में सफाई भी न की जा सके। अगर कोई ऐसा रंग निकाल सकें तो सरकार उसको इनाम देगी। इस सम्बन्ध में माननीय अन्न मंत्री ने एक घोषणा भी की थी गत साल कि जो ऐसा रंग निकालेगा उसको १० हजार रुपया पुरस्कार दिया जायगा।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रंग के निर्णय के सम्बन्ध में कब से कार्यवाही हो रही है?

श्री बनारसीदास—रंगने के लिए तो कई सालों से बराबर प्रयत्न किया जा रहा है कि कोई ऐसा रंग निकाल सकें और यह प्रश्न तो केन्द्रीय सरकार के भी और यहां की सरकार के भी सामने काफी समय से विचाराधीन है।

पंचवर्षीय योजना में फेमली प्लानिंग का महत्वपूर्ण स्थान

*१६—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह अपनी पंचवर्षीय योजना में फेमली प्लानिंग को भी क्या कोई महत्वपूर्ण स्थान देने का विचार रखती है?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन्तति निरोध के सम्बन्ध में किन-किन साधनों को वह अचूक समझती है?

श्री बनारसीदास—इस सम्बन्ध में आपको याद होगा कि गत दो सालों से रेडक्रास सोसाइटी को इसके प्रचार के लिये बराबर अनुदान दिया जाता है इसके अतिरिक्त लखनऊ यूनीवर्सिटी में जे० के० इंस्टीटयूट को पार साल उसके अनुसन्धान के लिए सहायता दी गई थी और इस वर्ष के बजट में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि वह इस प्रकार का अनुसन्धान करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी इन अनुसन्धानों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा सब से पहले इस सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसीदास—जी हां, जिस वक्त में अनुसन्धान की रिपोर्ट आ जायगी तो सदस्य उससे लाभ उठा सकेंगे और अब भी जो रेडक्रास सोसाइटी को सहायता दी जाती है माननीय सदस्य उसका लाभ उठा सकते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फेमिली प्लानिंग को सफल बनाने का क्या आधार है?

श्री बनारसीदास—उसके लिये जैसा अभी बताया कि रेडक्रास सोसाइटी को सहायता दी है, जे० के० इंस्टीटयूट को सहायता दी है। यह प्रश्न अधिक सामाजिक है, इसलिये जब तक सामाजिक वातावरण तैयार न हो कोई योजना सरकार के द्वारा अमल में नहीं लाई जा सकती।

गांव सभा के रजिस्टर में जन्म मरण लिखाने का उत्तरदायित्व

*१७—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा के रजिस्टर में जन्म मरण लिखवाने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है?

श्री मोहनलाल गौतम—पंचायत राज नियम १४३ के अन्तर्गत कुटुम्ब के वयोवृद्ध के ऊपर और नियम १४४ के अन्तर्गत चौकीदार के ऊपर।

*१८—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार बतलायेगी कि चौकीदार गांव सभा के रजिस्टर में जन्म मरण लिखाने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री मोहनलाल गौतम—चौकीदार गांव सभा के सभी कार्यों से मुक्त कर दिये गये हैं केवल गांव सभा के रजिस्टर में जन्म मरण लिखाने के उत्तरदायित्व से ही नहीं। कारण यह था कि चौकीदार अपने कर्तव्यों का पालन चेतावनी देने पर भी ठीक-ठीक नहीं करते थे। और इस कारण गांव सभायें चौकीदारों को २ रुपये मासिक शुल्क देने को तैयार न थीं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि चौकीदारों के इस तरह से कर्त्तव्यभार से मुक्त कर देने के कारण जन्म मरण के रजिस्टर अधूरे पड़े हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां तक मुझे मालूम है, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से चौकीदार मुक्त कर दिये गये हैं, तब से जन्म मरण के रजिस्टर में कैसे लिखा जाता है?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा मैंने अभी कहा कि परिवार के वयोवृद्ध के ऊपर यह जिम्मेदारी है और वह गांव सभाओं में लिखाता है।

*१९—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या यह सही है कि थानों में जन्म मरण का कोई रजिस्टर नहीं भरा जाता?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा कुछ सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरण

*२०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि म्युनिसिपल बोर्ड, झांसी ने अपने प्रस्ताव नं० १३०, दिनांक २८ अगस्त, १९५१ द्वारा सरकार से अनुरोध किया था कि वह झांसी शहर की बड़ागांव, लक्ष्मी तथा दतिया दर्वाजों की अपनी तीनों सड़कें वापस ले लें?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*२१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड के उक्त प्रस्ताव पर सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, जिलाधीश, झांसी को उक्त सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की आज्ञा दे दी गई है।

जिला बोर्डों व गांव पंचायतों के संगठन संबंधी समिति की रिपोर्ट

*२२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्डों व गांव पंचायतों के भावी संगठन के संबंध में मंत्रिमंडल की समिति कब बनी थी?

श्री मोहनलाल गौतम—उक्त कमेटी ७ मई, १९५२ ई० को बनी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं और कब तक इसकी रिपोर्ट निकल जायगी?

श्री मोहनलाल गौतम—पहले हिस्से का उत्तर यह है कि इस कमेटी की ५ बैठकें हो चुकी हैं, दूसरा हिस्सा साफ सुनाई नहीं दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस समिति की रिपोर्ट कब तक इस सदन के सामने आ जायगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसको जब पूरा करने की कोशिश की जा रही है तो समय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

जिला नैनीताल में कोसी नदी पर पुल बनाने की योजना

*२३—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार के पास जिला अल्मोड़ा नैनीताल के काकड़ी घाट घवेराडी के बीच चुपड़ा के नजदीक कोई पुल कोसी नदी में बनाने की योजना से संबंधित कई प्रार्थना-पत्र गत ४, ५ साल में आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, सरकार ने जिला बोर्ड, नैनीताल को पुल के निर्माणार्थ २०,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत कर दिया है।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल का काम कब से जारी हो सकेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस पुल के खर्चे का अन्दाजा ४० हजार रुपया है। २० हजार उसको दिया जा चुका है और २० हजार अब और दिया जायगा तब इस पुल का निर्माण आरम्भ होगा।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि अब जो आगे इन्तजाम होने वाला है वह कब तक होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास यह रकम निकल नहीं रही है और इस वक्त जो बजट है इस डिपार्टमेंट का उसमें कोई प्राविजन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये नहीं है फिर भी इस पुल को पूरा करने के लिए कुछ कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह पुल चुपड़ा के नजदीक ही बनेगा या वहां पर गवर्नमेंट किसी दूसरे स्थान पर बनाने वाली है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी नोटिस चाहिये। यह प्रश्न जुगराफिया से ताल्लुक रखता है।

जिला मुजफ्फरनगर में अदालती पंचायतों द्वारा वादों का निर्णय

*२४—श्री श्रीचन्द—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५२ से ३१ दिसम्बर, १९५२ तक जिला मुजफ्फरनगर में अदालती पंचायतों ने कितने वादों का निर्णय किया और कितने वादों को उच्च न्यायालयों को भेजा ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला मुजफ्फरनगर की पंचायती अदालतों ने दिनांक १-१-५२ से ३१-१२-५२ तक ४,५९० वादों का निर्णय किया और २४६ वादों को उच्च न्यायालयों को भेजा।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन निर्णित वादों में जो उच्च न्यायालयों में वाद भेजे गये, उनमें कितने वाद नहर संबंधी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ४,५९० वादों का निर्णय पंचायतों ने किया उसमें से कितनों का रिवीजन किया गया और रिवीजन में कितने रद्द हुये ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो न्यायालयों में गये वह रिवीजन ही के रूप में गये हैं और उनकी संख्या २४६ बतायी गयी। दूसरे हिस्से के लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि निर्णित वादों में कितने वाद फौजदारी से संबंधित हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—१,८१९।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनमें स रिवीजन के लिये हाईकोर्ट कितने गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के सभापतियों को नये इन्दराज की प्रतिलिपि देना

*२५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के किन-किन सभापतियों तथा संबंधित व्यक्तियों को फसली १३५९ के नये इन्दराज की प्रतिलिपि दी गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—सभी सभापतियों एवं संबंधित व्यक्तियों को इन्दराज की प्रतिलिपि दी जा चुकी है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि यह प्रतिलिपि प्रश्न पूछने के बाद दी गयी है या पहले ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस तहसील में कितनी गांव सभायें हैं और उनमें से कितने को यह प्रतिलिपि दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा कि उत्तर में कहा गया है सभी लोगों को दी जा चुकी है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि श्री उमाशंकर, सभापति, ग्राम सेमरा बाई, तहसील सगरी को फसली १३५९ के नये इन्दराज की कोई नकल दी गयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—मान लेना चाहिये कि दी जा चुकी है, क्योंकि सभी को दी जा चुकी है।

श्री उमाशंकर—अध्यक्ष महोदय, मैं खुद सभापति हूं और मैंने अपना ही नाम लिया था। मुझे कोई प्रतिलिपि नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—तो यह आपको पहले ही कह देना चाहिये था, नहीं तो यह भ्रम नहीं होता।

श्री मोहनलाल गौतम—अगर कोई शिकायत मेरे पास आयेगी तो मैं उसकी जांच कराऊंगा।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकारी अधिकारी प्रश्नों का जवाब जो गलत देते हैं उसका कोई प्रतिकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह मानते हुये ही आपने सवाल किया था, यह तो आप खुद मानते हैं।

गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड का वार्षिक खर्च और आय

*२६—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी जिस दिन जब्त की गयी थी, उस समय म्युनिसिपैलिटी का कितना धन चार्ज में मिला था ?

श्री मोहनलाल गौतम—४,०३,८६० रुपये २ आने ८ पाई।

*२७—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड का वार्षिक खर्च और आय क्या है ?

श्री मोहनलाल गौमत—इस बोर्ड का औसत आय-व्यय इस प्रकार है—

आय—१०,३३,२३७ रुपये

व्यय—११,०७,०९० रुपये।

श्री केशव पांडेय—ये बचा हुआ ४ लाख रुपया किस प्रकार और किन मदों में खर्च हुआ, क्या सरकार बताने की मेहरबानी करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसमें से १,७६,३३६ रुपया ११ आने ९ पाई बैलेन्स इस समय है। एक लाख ७५ हजार वर्क्स में खर्चा हुआ और शेष सड़कों की मरम्मत व सफाई वगैरह में जो म्यूनीसिपैलिटी के काम हैं उनमें खर्चा हुआ।

श्री केशव पांडेय—गोरखपुर बोर्ड जब्त होने के बाद कितने मील सड़कें नई बनीं और कितने मील की मरम्मत हुयी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार मेहरबानी से बतावेगी कि गोरखपुर बोर्ड में नोटीफाइड एरिया का भी विलीन हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या नोटीफाइड एरिया के रहने वालों के पास से कोई अर्जी सरकार के पास आई है कि म्युनिसिपैलिटी ने न सड़कों का इन्तजाम और न रोशनी का इन्तजाम किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जब मैं गोरखपुर गया था तो कुछ लोग इस तरह की शिकायत लेकर मुझसे मिले थे।

श्री इस्तफ़ा हुसैन—क्या सरकार उस हिस्से को जो म्युनिसिपैलिटी में आया है उसे अपनी कम माली हालत की वजह से अलहदा रखने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो रिप्रेजेंटेशन वहां के लोगों ने मुझसे मिलते समय दिया था उस पर विचार हो रहा है

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी कब जब्त की गई थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—२६-१-१९४८ को चार्ज लिया गया।

श्री भगवान सहाय—गोरखपुर के बहुत अच्छे फाइनेंसेज होते हुये किन वजहों से वह म्युनिसिपैलिटी जब्त की गई ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो प्रीजम्पशन सवाल में है उससे मतभेद करने का दूसरे को अधिकार है।

जिला बोर्ड गोरखपुर द्वारा पी० डब्ल्यू० डी० को सड़कें देने का निर्णय

*२८—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि स्थानीय जिला बोर्ड ने अपनी आर्थिक हालत खराब होने के कारण जिले की कुछ सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० को देने को लिखा था ? यदि हां, तो पी० डब्ल्यू० डी० ने क्या निर्णय किया ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, सरकार ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की है।

श्री केशव पांडेय—डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आर्थिक हालत सुधारने का कोई उपाय किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस पर एक कमेटी बैठी हुई है जो कि विचार कर रही है।

रायबरेली के नियोजन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*२९—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २४ सितम्बर, सन् १९५२ के प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के अनुसार रायबरेली के नियोजन अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—तत्कालीन जिला नियोजन अधिकारी को अपने जिला कृषि अफसर के मूल पद पर वापस कर दिया गया था।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी इस मामले की जांच के पहले ही अपने जिले के कृषि अफसर के मूल पद पर वापिस कर दिये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो मुझे ठीक याद नहीं है।

श्री राम कुमार शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिकारी के खिलाफ किस प्रकार की शिकायत थी।

श्री मोहनलाल गौतम—एक खास शिकायत तो यह थी कि उनका सुपरवीजन ठीक नहीं था और एक जाली चैक किसी मातहत ने भेजा था और इस प्रकार से जो उनके दफ्तर का कार्य चल रहा था उसका सुपरवीजन वह ठीक नहीं कर पा रहे थे।

*३०-३२—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ १७४-११७५ पर।]

गेहूं के राशन में बढ़ती

*३३—श्री देवकीनन्दन विभव (ज़िला आगरा)—क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने कोई ऐसा आदेश दिया है कि राशन कार्डों में २ छटांक अतिरिक्त गल्ला दिया जाय? क्या इस गल्ले की दर १ सेर १४ छटांक प्रति रुपया रक्खा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, ४ छटांक राशन के गेहूं के अतिरिक्त २ छटांक गेहूं प्रति यूनिट प्रति दिन १ सेर १४ छटांक प्रति रु० की दर से बेचे जाने की आज्ञा उन राशन वाले नगरों में दी गई है जहां गेहूं का बाजार भाव २२ रु० प्रति मन से अधिक हो। प्रदेश में गेहूं के बढ़ते हुये भाव को रोकने के लिये ऐसा किया गया है और गेहूं की बिक्री की दर यही होती है यदि सरकार स्वयं घाटा न उठाना चाहे तो। जो अनाज २ सेर २ छटांक के भाव से मिलता है उस पर घाटा उठाना पड़ता है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह गेहूं किस भाव से बाहर से प्राप्त हुआ और उसका औसत खर्चा कितना पड़ता है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इम्पोर्टेड ह्वीट १८ रुपये ८ आने मन पड़ता है और उस पर इंसीडेंटल चार्जेज २ रुपये ८ आने ८ पाई प्रति मन पड़ते हैं। यहां पर होलसेल प्राइस उसकी २० रुपये ८ आने मन है और रिटेलर्स को ४ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। इस तरह से इस गेहूं की कीमत १ सेर १४ छटांक प्रति रुपया होती है।

श्री रामदास आर्य (ज़िला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह एक रुपये का १ सेर १४ छटांक गल्ला प्रदेश के किन-किन जिलों को दिया जा रहा है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिन शहरों में राशनिंग है उन सभी शहरों में यह गल्ला दिया जाता है।

मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कालेजों को अनुदान

*३४—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक कालेज, इंडियन मेडिसन बोर्ड से मान्य और संबंधित हैं और उनमें से किन-किन कालेजों को कितना कितना ग्रांट सरकार द्वारा दिया जाता है?

श्री बनारसी दास—उत्तर प्रदेश में १२ आयुर्वेदिक कालेज डिग्री कोर्स के लिये, ६ आयुर्वेदिक कालेज सहायक वैद्य कोर्स के लिये एवं ३ आयुर्वेदिक कालेज गृह स्वास्थ्य विशारदा कोर्स के लिये इंडियन मेडिसिन बोर्ड से सम्बद्ध हैं तथा आयुर्वेदिक कालेज, बनारस विश्वविद्यालय बोर्ड से मान्य है। इन कालेजों के नाम तथा इनके संधारण के लिये जो सहायता सरकार देती है वह संलग्न सूची में वर्णित है। उक्त सहायता के अतिरिक्त कालेजों को समय-समय पर विशेष प्रयोजनों के हेतु अनावर्तक सहायता भी मिलती रहती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२८ पर)

*३५—श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त कालेजों में से कुछ को सहायता नहीं दी जाती? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं और उन्हें ग्रांट क्यों नहीं दी जाती?

श्री बनारसी दास—हां, डिग्री कोर्स के लिये सम्बद्ध उक्त सूची में संख्या ६ से १२ तक के सम्मुख वर्णित कालेजों को संधारण के हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, क्योंकि उक्त कालेजों में पर्याप्त साधनों की कमी एवं शिक्षा-स्तर निम्न होने

के कारण उनको बोर्ड से सम्बद्ध एवं मान्य रखने न रखने का ही प्रश्न बोर्ड एवं सरकार के विचाराधीन है। सहायक वैद्य एवं गृह स्वास्थ्य विशारदा कोर्सों को संचालित करने वाले कालेजों को सहायता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सूची में संख्या ४ की संस्था (गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज को) १९५३–५४ से ५,००० रु० सालाना मिलेगा।

श्री सत्यसिंह राणा—इन संस्थाओं को जो आवर्तक और अनावर्तक सहायता दी जाती है क्या यह किन्हीं नियमों के अन्तर्गत दी जाती है या सरकार की स्वच्छा पर निर्भर है?

श्री बनारसी दास—यह तो वहां कितने विद्यार्थी हैं, कैसी उनकी आवश्यकतायें हैं, कैसा उनका शिक्षा का स्तर है, इन सब बातों को विचार कर ही सरकार सहायता देती है।

श्री सत्यसिंह राणा—इन सब बातों को नापने के लिये सरकार के पास कौन सा आधार है?

श्री बनारसी दास—सरकार के पास डिप्टी डायरेक्टर, आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं वे रहते हैं और डायरेक्टर आदि इन सब बातों पर विचार करते हैं।

श्री सत्यसिंह राणा—सरकार ने जो गृह स्वास्थ्य विशारद कोर्सों को संचालित करने के प्रश्न को विचाराधीन बतलाया तो उस विचाराधीन काल की अवधि कब तक समझी जाय?

श्री बनारसी दास—यह बतलाना तो कठिन है लेकिन पहले जैसा संकेत किया गया है, इस प्रश्न पर १९५३–५४ में विचार किया जायगा।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, झांसी को कितनी सहायता दी जाती है?

श्री बनारसी दास—इस चालू वर्ष के अन्दर ४५ हजार रुपया उसको दिया गया, २० हजार रुपये आवर्तक तथा २५ हजार रुपये अनावर्तक दिये गये।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, झांसी के विद्यार्थियों की संख्या तथा उनकी शिक्षा के स्तर को देखकर यह रुपया कम नहीं समझते?

श्री बनारसी दास—यह तो अभी आपको बतलाया गया है। सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में जो रकम दी गयी है वह काफी है।

*३६—**श्री सत्यसिंह राणा**—क्या यह सही है कि सहायक वैद्य और स्वास्थ्य विशारद कोर्सों के लिये सरकार ने उक्त कालेजों को सहायता देने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो किस कालेज को कितनी सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, अन्य प्रश्न उठते ही नहीं। परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है अगर उचित प्रस्ताव आवेंगे तो उन पर १९५३–५४ में विचार होगा।

लखनऊ वाटर वर्क्स के कर्मचारियों के वेतनों में अवैधानिक कटौती

*३७—**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी उसके पास वाटर वर्क्स के किन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनों में अवैधानिक कटौती के प्रश्न म्युनिसिपल कर्मचारियों संघ, लखनऊ द्वारा कोई स्मृति-पत्र आया था? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार के पास म्युनिसिपल कर्मचारी संघ से नहीं, बल्कि लखनऊ वाटर वर्क्स एम्प्लाईज यूनियन से वहां के कतिपय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में कुछ पत्र आये थे।

[श्री मोहनलाल गौतम]

जितने प्रतिवेदन (Representation) सरकार को प्राप्त हुये थे उनके संबंध में अभी हाल में शासकीय आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस शासकीय आदेश के अनुसार उन कटौतियों की पूर्ति करदी गयी है जिनके संबंध में आपके पास प्रतिवेदन आये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—कटौती का प्रश्न इस प्रकार है कि जो आफिसर यहां मुकर्रर हुआ था उसको समय पर लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ ने प्रोपोजीशन स्टेटमेंट नहीं भेजा। इसलिये यहां के म्युनिसिपल कर्मचारियों के वेतन के संबंध में गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन्स नहीं दे सकी। लेकिन फिर भी समय समय पर जो आदेश दिये गये उनके अनुसार म्युनिसिपैलिटी उनको वेतन दे दे, ये आदेश जारी किये गये थे। और जो कुछ लोगों को उन आदेशों के अनुसार से ज्यादा वेतन दिया गया था, जिसका प्रश्न था, वह अब हल हो गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—जिन तारीखों से और इस शासकीय आदेश के बीच जब से वह कटौती आरम्भ हुई उस तारीख से और इस शासकीय आदेश के निकलने की तारीख के बीच के हिस्से का भी मुआविजा उन मजदूरों को दिया जायगा, उनकी कटौती हुई या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह प्रश्न जब सामने आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास म्युनिसिपल कर्मचारी संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, जिसमें इस सदन के दो सदस्य इसी संबंध में एक आवेदन-पत्र के साथ मिले थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे इसकी याद नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि म्युनिसिपल कर्मचारी संघ ने एक आवेदन पत्र उसी प्रतिनिधि मंडल के साथ भेजा था जिस प्रतिनिधि मंडल में इस सदन के दो सदस्य भी मौजूद थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका उत्तर मैं अभी दे चुका हूं।

मोबाइल मेडिकल ऐड की स्कीम

*३८—श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोबाइल मेडिकल ऐड की स्कीम उत्तर प्रदेश के किस-किस जिले में हैं ?

श्री बनारसी दास—उत्तर प्रदेश में मोबाइल यूनिट द्वारा चिकित्सा देने की कोई साधारण योजना नहीं है। एक यूनिट तराई कालोनाइजेशन क्षेत्र में काम कर रही है जिसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर है। कालाजार के निरीक्षण व चिकित्सा हेतु उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में १० ट्रैवलिंग यूनिट खोले गये हैं। यह निम्नलिखित जिलों में काम कर रहे हैं—

जिला	यूनिट संख्या
१—जौनपुर	१ यूनिट
२—आजमगढ़	१ यूनिट
३—इलाहाबाद	१ यूनिट
४—गोरखपुर	२ यूनिट
५—बनारस	२ यूनिट
६—बस्ती	३ यूनिट
२ मोबाइल यूनिट	कानपुर इम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरें स्कीम में।

श्री धर्म सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों में जो १० यूनिट खोले गये हैं उन पर सरकार कितना व्यय करती है ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये अगर आप नोटिस देंगे तो उत्तर दिया जा सकता है, इस वक्त यह बतलाना कठिन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोबाइल मैडिकल ऐड ने कालोनाइजेशन क्षेत्र में क्या काम किया है ?

श्री बनारसी दास—रुद्रपुर में जो मोबाइल यूनिट है उसने वहां के लोगों की चिकित्सा और मलेरिया को रोकने का कार्य किया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वहां जो मोबाइल यूनिट रखी गयी है वह कस्बे में है या देहात में है और वह कितने दिनों से काम कर रही है।

श्री बनारसी दास—वह देहात में है और लगभग दो साल से काम कर रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि पुरानी ट्रेवलिंग डिस्पेंसरीज और मोबाइल यूनिट में क्या फर्क है ?

श्री बनारसी दास—कुछ समय पहले चलती-फिरती डिस्पेंसरीज थीं, लेकिन उनका परीक्षण अधिक सफल नहीं हुआ, इसलिये उस योजना को बन्द कर दिया गया। जिन मोबाइल यूनिट्स का जिक्र किया गया है वे केवल उन क्षेत्रों में है जहां कालाजार की बीमारी अधिक होती है, उसका निरीक्षण तथा रोक-थाम करने के लिये ही उनकी स्थापना की गयी है लेकिन जहां तक अस्थायी रूप से चिकित्सा का संबंध है उसमें मोबाइल यूनिट्स उपयोगी सबित नहीं हुये हैं।

श्री धर्म सिंह—क्या सरकार पूर्वी जिलों की तरह पश्चिमी जिलों में भी ट्रेनिंग यूनिट्स खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—पश्चिमी जिलों के अन्दर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, अतः मोबाइल यूनिट्स वहां खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक मोबाइल यूनिट में कितने आफिसर्स, कितनी गाड़ियां और कितनी कालाजार की स्पेशल मेडीसन रहती हैं ?

श्री बनारसी दास—इसका जवाब सूचना मिलने पर ही दिया जा सकता है ?

श्री बृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि आजमगढ़ जिले के जिन-जिन स्थानों में कालाजार के डाक्टरों ने निरीक्षण का काम किया है उनसे सबमें ज्यादा बीमारी कालाजार की कोपागंज के आस-पास है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी सूचना आप माननीय मंत्री जी के पास भेज दीजिये। यह प्रश्न नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक यूनिट एक स्थान पर कितने दिन ठहरता है और एक यूनिट में औसतन साल भर में पेशेंट्स की संख्या कितनी है ?

श्री बनारसी दास—एक यूनिट का कोई निश्चित समय तो नहीं है। आवश्यकतानुसार वहां ठहर सकता है और बाकी कितने रोगियों की उन्होंने सेवा की, इसकी सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*३९—श्री धर्म सिंह—क्या सरकार उपर्युक्त स्कीम को देहातों में और अधिक फैलाने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

रामपुर जिले के कस्बों में जच्चा-बच्चा हितकारी केन्द्र

*४०—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या यह सच है कि रामपुर जिले के कस्बों में जच्चा-बच्चा हितकारी केन्द्र, जिनके लिये १९५२-५३ ई० के बजट में २,००० रुपये आवर्तक और १,००० रुपये अनावर्तक की धनराशि स्वीकार की गयी थी अभी तक भी नहीं खोले गये हैं?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, एक सेन्टर स्वार में १२ जनवरी, १९५३ को खोला जा चुका है और दूसरा सेन्टर टांडा में खोले जाने के लिये उचित आदेश भेजे जा चुके हैं। परन्तु वहां नियुक्त की गई मिडवाईफ के पहुंचने की सूचना अभी नहीं मिली है।

*४१—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह केन्द्र कब तक खुल सकेंगे?

श्री बनारसी दास—प्रश्न ही नहीं उठता।

*४२—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या यह सही है कि रामपुर जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिस्पेंसरीज परामर्शदात्री समिति द्वारा शाहाबाद तहसील के सागरपुर, ढकिया तथा पटवाई ग्रामों में स्थायी डिस्पेंसरीज खोले जाने का सुझाव सरकार के पास भेजा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव को स्वीकार करने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री कृष्ण शरण आर्य—कब तक इसपर विचार अंतिम रूप से पहुंचने की संभावना है?

श्री बनारसी दास—इस साल के बजट के अन्दर केवल १० एलोपैथिक और १५ आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये जिला परामर्शदात्री समितियों की सिफारिशें आ चुकी हैं। जिनका प्रस्ताव पहले आ चुका है केवल उन्हीं अस्पतालों के खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायगा। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि इस वर्ष इन स्थानों पर अस्पताल खोले भी जा सकेंगे या नहीं।

* * * *

सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया में जनाना अस्पताल की आवश्यकता

*३०—श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया में कोई जनाना अस्पताल नहीं है?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*३१—श्री बद्रीनारायण मिश्र—यदि हां, तो क्या उक्त तहसील में एक जनाना अस्पताल खोलने का विचार सरकार रखती है?

नोट—तारांकित प्रश्न ३०-३२ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

*३२—श्री बद्रीनारायण मिश्र—यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—आवश्यक सूचना मांगी जा रही है। उसके प्राप्त होने पर इस मामले पर विचार होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार को पता है कि सलेमपुर तहसील, जिला हेडक्वार्टर देवरिया में कोई भी जनाना अस्पताल नहीं है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, मालूम है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सलेमपुर में कोई पुरुषों का अस्पताल है कि नहीं ?

श्री बनारसी दास—इसकी सूचना मुझे तो नहीं है।

१९५३–५४ की सार्वजनिक लेखा समिति के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। सार्वजनिक लेखा समिति के लिये २० सदस्यों का निर्वाचन होना है, १९५३–५४ के लिये। इसका कार्यक्रम यह होगा—

नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय २४ मार्च को दिन के १ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा उसी दिन अर्थात् २४ मार्च को ३ बजे तक।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि और समय २६ मार्च को १ बजे तक।

निर्वाचन की तिथि, स्थान और समय यदि आवश्यक हो तो २७ मार्च, १९५३ को ११ बजे से ३ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

सदन का आगामी कार्य-क्रम

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—स्पीकर महोदय, मैं इजाजत चाहता हूं कुछ अर्ज करने के लिये। मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि जहां तक प्रोग्राम से पता चलता है २४ मार्च तक बजट खत्म हो जायगा, २५ को एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा वह भी खत्म हो जायगा। तीन अप्रैल को गुडफ्राइडे है और शनिवार की भी छुट्टी है। तो इसके बाद भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी या बीच में ब्रेक होकर फिर शुरू होगी।

श्री अध्यक्ष—उपनेता सदन इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यह ख्याल है कि दूसरी अप्रैल तक जारी रहेगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—दूसरी के बाद खत्म होकर कब तक के लिये बन्द होगा ? दूसरा सेशन कब शुरू होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सकी बाबत कुछ कहना मुश्किल होगा। टू अर्ली टु से।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान-संख्या ३२-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य और ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा (क्रमागत)

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने कल बोलते समय कुछ अपने जिले की बात, जौनपुर के निर्माण संबंधी कार्यों की बात निर्माण मंत्री के सामने वहां की कुछ खास सड़कों के लिये पेश की थी। अध्यक्ष महोदय, जौनपुर में पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क केवल ढाई सौ मील के करीब है और वहां की सारी सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में चलती हैं। जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत इतनी खराब है कि वहां का आय-व्ययक से कम है.....

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि शोर बहुत हो रहा है। यह सदन की व्यवस्था के विपरीत है। मैं समझता हूं कि यहां से बात करना हो तो धीरे-धीरे जायं।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—कुछ वहां की सड़कें जिसे पिछले वर्ष में पी० डब्ल्यू० डी० ने अपने हाथ में लेकर कुछ काम किया था। उन्हीं सड़कों में से दो एक खास सड़कें हैं, जिनके लिये वहां के जिलाधीश महोदय ने पी० डब्ल्यू० डी० को लिखकर सिफारिश की थी। उन सड़कों का संबंध कई जिलों से है। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिनका संबंध प्रतापगढ़, बनारस तक है कुछ सड़कों का संबंध तीन चार तहसीलों से है जैसे मछलीशहर और मढियाऊं, केरायत कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बादशाहपुर से फैजाबाद तक जाती हैं। १९३८ में जब पिछली मर्तबा कांग्रेस मिनिस्ट्री आई थी तो उसने कुछ रुपया एक सड़क बादशाहपुर से फैजाबाद जाने वाली पर खर्च किया था, लेकिन इधर फिर वह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी गई है। इसी तरह से मछलीशहर मढियाऊं की सड़क को भी काफी रुपया खर्च करने के बाद सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटा दिया है। मैं निर्माण मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जिस जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ऐसी हालत हो कि वहां किसी किस्म का कर लगाने का अधिकार बोर्ड को न हो तो उस जिले की सारी सड़कों को जिन पर देहाती आदमियों का जीवन है अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटा दिया गया तो वहां की क्या हालत होगी। अभी हमने देखा कि पिछले पांच-छः साल से मड़ियाहू मछलीशहर के बहुत से क्षेत्रों में सूखा चल रहा है। सरकार की तरफ से गल्ला सूखे के क्षेत्र में भेजा गया था, लेकिन बरसात के महीनों में बंधवा से केशवपुर जाने वाली सड़क पर किसी तरह से गल्ला नहीं पहुंच सका था। कच्ची सड़कों की हालत मैं बतलाऊं। सन् ४२ के आन्दोलन में जौनपुर ने जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उस संघर्ष में बहुत सी सड़कें वहां की जनता और सरकार के संघर्ष में खत्म हुई थीं और बहुत से स्कूल भी जला दिये गये थे। डाकखानों के लिये तो पता नहीं है कि कितने वहां की जनता ने अंग्रेजों से लड़ने में ऊबकर जला दिये थे। छोटी-छोटी पुलियों को भी लोगों ने खत्म किया था जिनमें अभी एक पुल पर धनियामऊ के पास सरकार ने काम शुरू कर दिया है।

श्री गुरुप्रसाद पांडेय (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं जो यह अनुदान उपस्थित है उसके समर्थन में और अपने मंत्री महोदय को धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं, किन्तु आलोचना के रूप में यह निवेदन करना चाहता हूं जहां तक मैं समझता हूं कि हमारी ग्रामीण जनता के लिये दो ही साधन उपयुक्त हुआ करते हैं। यों तो सभी साधन हैं लेकिन मैं दो को मुख्य मानता हूं। एक तो यह कि हमारे गांव के लोगों के खाने के लिये, गल्ले की उपज के लिये सिंचाई आदि और दूसरे उनके चलने-फिरने के लिये मजबूत रास्ते जिससे वह गल्ला

अपना ले जा सके। ये दोनों साधन तो हैं ही लेकिन सरकारी कर्मचारियों की तरफ से उनका दुरुपयोग होता है। और दुरुपयोग होने के कारण वह ठीक तरह से नहीं चल पाते। उस रास्ते के बारे में यह बताना चाहता हूं कि जो इंजीनियर लोग काम करते हैं उनके अधीन जो कर्मचारी होते हैं वे अपने मन का काम करते हैं। मैंने देखा कि जो रास्ते बनते हैं वे ऐसे बनते हैं कि जो एक बरसात में बनकर फिर उसके बाद जेठ या असाढ़ में खत्म हो जाते हैं। तो सुझाव के रूप में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे साधन हों जिनमें जनता की सम्मति हो। जैसे सिंचाई के लिये जो साधन बनाये गये हैं और आज हो रहे हैं उसमें हमारी जनता के लिये यही कल्याण की बातें हैं कि उनके खाने के लिये, उनकी उपज के लिये सिंचाई का प्रबन्ध हो, नलकूप और नहरें अगर उनके लिये हो जाती हैं तो वह बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके लिये यही स्वराज्य है। अगर मजबूत रास्ते बन जाते हैं और उनका उससे कल्याण होता है तो उसी को वह अपना स्वराज्य समझते हैं। तो सुझाव के रूप में मेरा निवेदन है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में नई सड़कों का आयोजन किया जाय। नई सड़कें कुछ न कुछ चाहे दो ही मील हो लेकिन नई सड़कें जरूर बनें और उसमें जनता का उत्साह भी हो और आगे के लिये जनता भी हमारी सरकार के के लिये सहायक हो। यही मेरा निवेदन है और सुझाव के रूप में मुझे यही कहना है कि जो यह काम हो वह वहां के कर्मचारियों की सलाह से हो। कर्मचारियों की अनुमति लेकर हो। प्रायः यह होता है कि वह अपने मन से काम करते हैं तो वह काम गलत हो जाता है। इसको मैंने देखा कि इंजीनियरों की तरफ से जो सड़क बनायी गयी है उसमें कुछ पुलियां बनायी गयी हैं। मैंने एक इंजीनियर को एक पत्र लिखा कि जो आपने पुलिया बनायी है यह तो कुछ दिनों के बाद टूट जायगी, क्योंकि मजबूत नहीं बनी है और ठीक नहीं बनी है। मैंने उनको यह सुझाव भेजा था। लेकिन इंजीनियर महोदय ने धन्यवाद का पत्र तो भेजा लेकिन उनको जो सुझाव दिया था उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा यही हुआ कि जो सुझाव उनको लिखा था उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वह पुलिया गाड़ियों के चलने से टूट गयी। जो गाड़ियों का रास्ता निकलने का था उनका रास्ता भी बन्द हो गया। तो यह बात ऐसी है कि जो गांव के बीच में काम करने वालों से और जनहित का काम करने वालों की सलाह से की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो जनहित के काम करने वाले हैं चाहे वह किसी पार्टी के हों, हिन्दू महासभा के हों, सोशलिस्ट हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हों अगर उनकी सलाह लेकर सरकारी कर्मचारी काम करें तो उनको ठीक-ठीक सुझाव भी मिलता रहेगा और वह ठीक रास्ते पर चलेंगे। उनको इस बात का आदेश होना चाहिये कि वह ऐसा कोई काम न करें कि जिससे जनता की भलाई का होने वाला काम भी बुराई का काम हो जाय। जो पुलिया बनायी गयी जिसका मैंने अभी जिकर किया उनके लिये जो मिट्टी ली गयी वह गांव के पास बने हुये घरों के सामने से ली गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके घरों के सामने बड़े-बड़े गड्ढे हो गये जिनसे जनता को बड़ी तकलीफ हो गयी बजाय इसके कि उनको आराम पहुंचे। इसलिये जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं अगर वह जनता के बीच में काम करने वालों की सलाह लेकर काम करें तो वह काम बहुत भलाई और लाभ का हो सकता है। इसलिये जो सुझाव मैंने आपके सामने रखे हैं मुझे आशा है कि सरकार उन पर ध्यान देने की कृपा करेगी।

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो इस समय हमारे सामने पेश है उसको देखने से खुशी होती है कि हमारे प्रान्त में निर्माण के कार्य में काफी प्रगति हुई है लेकिन फिर भी ऐसी कुछ बातें हैं जो सुझाव के लिये मैं कहना चाहता हूं। अभी कुछ सड़कें जो पिछले दिनों प्रान्तीय सरकार के अधीन थीं और उन पर काम भी काफी हुआ और सरकार की तरफ से काफी खर्च किया गया लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को

[श्री द्वारकाराम]

वापस कर दी गयी। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हालत इतनी खराब है कि वह अपने ढांचे को खुद नहीं संभाल सकते हैं। आज कहीं पर मास्टरों की हड़ताल हो रही है, उनको वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जाती है क्योंकि उनके सामने कई दिक्कतें हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन सड़कों की कैसे मरम्मत करेंगे। हमारे निर्माण मंत्री जी ने हमको यह बतलाया कि पक्की सड़कों का जहां तक ताल्लुक है तो जिन सड़कों पर पहले काम हुआ है पहले उनको पूरा करेंगे फिर दूसरी सड़कों की बनाने की कोशिश होगी। यह बात सही मालूम देती है लेकिन फिर भी बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जो जरूरी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि निर्माण मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान देंगे। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अगर किसी सड़क के बारे में वह सरकार से प्रार्थना करे कि दो-तिहाई रुपया सरकार दे और एक-तिहाई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपनी तरफ से लगावे तो उसमें सरकार को जरूर इम्दाद करनी चाहिये। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं कि जो अभी श्रमदान सप्ताह के अन्दर बनायी गयी हैं और उन पर लोगों ने बहुत काम किया है। मेरठ जिले में परीक्षितगढ़ की सड़क के लिये ढाई लाख रुपया दिया गया है वहां पर लोगों ने अपने श्रमदान से पक्की सड़क निकालने का प्रयत्न किया है। इसी तरीके से अगर और सड़कों के लिये जनता मांग करे तो मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि वह जरूर इस काम में उनको रुपया दे। सहारनपुर के जिले में एक सड़क गंगोह तीतरों रोड है, वह इतनी जरूरी सड़क है कि उस पर पब्लिक का बहुत ज्यादा यातायात रहता है और सरकार को भी उसकी बहुत जरूरत रहती है। तीतरों सहारनपुर में धान का सेन्टर है और हर साल सरकार वहां से गेहूं और धान की खरीददारी करती है, यह जो गंगोह से तीतरों तक का रास्ता है वह ८ मील इतना कच्चा और खराब है कि उस पर चलना मुश्किल हो जाता है और वहां जो चावल रहता है वह भी सड़क खराब होने की वजह से बरसात में सरकार नहीं खरीद पाती है। सहारनपुर से गंगोह का किराया ४ आना मन देना होता है और सिर्फ ८ मील के लिये सरकार को ८ आना मन देना पड़ता है जब कि सहारनपुर से गंगोह का २८ मील का ४ आना मन ही देना पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब कि सरकार का इतना नुकसान हो रहा है तो उम्मीद है कि सरकार इस सड़क की तरफ जरूर तवज्जह करेगी। साथ ही पब्लिक को भी इस सड़क की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक और सड़कों का और दूसरे कामों का ताल्लुक है उस में तो मैं समझता हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर ही रही है और शनैः-शनैः हमारे निर्माण कार्य आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर अगर ध्यान दिया जाय तो थोड़ा खर्च करने पर भी काफी फायदा हो सकता है। मैंने जैसे कि अभी निर्माण कार्य के संबंध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मिसाल दी, अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इमदाद दे दी जाय, और जरूर इमदाद देना चाहिये तो बहुत लाभ हो सकता है। मुझे यही दो सुझाव आप के सामने रखने थे।

श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा जो प्रस्ताव कटौती का लाया गया था, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी भी गांव, कस्बे या जिले को उन्नति के स्तर पर लाने के लिये वहां अच्छी सड़कों का होना बहुत ही आवश्यक है परन्तु पूर्वी जिलों में अभी इसका बहुत अभाव है और जिस समय वहां बाढ़ का प्रकोप होता है तो बहुत से गांव टापू बन जाते हैं और वहां जरूरत का सामान तक मुश्किल से मिल पाता है, श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह वह जिला है जो युद्ध काल में लड़ाई का केन्द्र बनाया गया था और उसी समय से इस जिले में दो दो हवाई अड्डे बने हुये हैं कि जिसकी वजह से कभी कभी हमारे नेतागण भी वहां पहुंच जाते हैं। हमारे महामान्य राज्यपाल जी भी वहां टेस्टवर्क्स देखने के लिये गये थे और जब वह वहां गये थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारा ड्राइवर होशियार न होता तो हमारी मोटर जरूर उलट जाती, यह वही सड़क है जो इलाहाबाद से गोरखपुर को जाती है लेकिन हमारे जिले गाजीपुर में इस सड़क की हालत विशेषकर शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसपर

कितनी ही सरकारी मोटरें चलती हैं और प्राइवेट मोटर्स भी चलती हैं। वहां जंगीपुर में हफ्ते में दो बाजार लगती है जिस की वजह से वहां सैकड़ों बैलगाड़ियां आती जाती हैं और सड़क खराब हो जाती है जो सालाना मरम्मत होने पर भी कट जाती है और बेकार हो जाती है। उस पर आजकल इतनी धूल उड़ती है कि कोई भी भला आदमी उस सड़क पर गुजर नहीं सकता। मैं श्रीमान् आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क पर तारकोल लगवाने की कृपा करें। बुजुर्गों से बहरि बाद जाने वाली सड़क पर पुल नहीं है और इस पुल के बिना जनता को बहुत तकलीफ है। दूसरी बात यह है कि इस सड़क पर जो पेड़ लगे हुये हैं उनसे दोनों तरफ के किसानों के खेतों को बहुत नुकसान होता है। मेरा सुझाव है कि वह पेड़ उन्हीं किसानों को देने चाहिये कि जिनके खेतों के सामने वह पड़ते हैं।

दूसरी सड़क ईसूपुर मोहम्मदाबाद से रसड़ा को जाती है। ईसूपुर मोहम्मदाबाद में बहुत बड़ी बाजार लगती है और ऐसा बाजार वहां आस पास के जिलों में कहीं नहीं लगती और रसड़ा की तरफ से इस बाजार में सैकड़ों गाड़ियां आती हैं और कोई बाजार ऐसी नहीं होता कि जिसमें दो चार गाड़ियां उलटती न हों, ऐसी इस सड़क की हालत है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस ओर भी मंत्री महोदय ध्यान दें। मैं इस सदन में ज्यादा समय न लेकर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से उम्मीद रखूंगा कि गाजीपुर जिले की सड़कों की तरफ ध्यान देंगे।

श्री गोबर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के सामने जो मुख्य प्रश्न है उनमें प्रदेश की आम जनता की आमदनी को बढ़ाना सबसे मुख्य है। देश की करीब ८४ प्रतिशत आबादी देहात में बसती है और देश की जीविका का साधन कृषि है। इसलिये सरकार ने अपनी योजनाओं में कृषि को प्रथम स्थान दिया है। लेकिन प्रदेश की भौगोलिक स्थिति समूचे प्रदेश में एक सी नहीं है। पहाड़ी जिलों का क्षेत्र जो चकरौता से अल्मोड़ा तक है वहां न कृषि के लिये समतल भूमि है और न सिंचाई के साधन ही उपलब्ध किये जा सकते हैं। इसलिये पहाड़ी जिलों के आर्थिक विकास के लिये यह जरूरी है कि वहां यातायात के साधनों को प्रधानता दी जाय। जब तक वहां यातायात के साधनों को प्रमुखता न दी जाय तब तक वहां आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। ब्रिटिश काल में वे जिले उपेक्षित रहे हैं और इस समय भी जब मैंने बजट पर निगाह डाली तो मुझे बड़ी माय्सी हुई। पहाड़ी जिलों के यातायात के साधनों को बढ़ाने के लिये बहुत कम रकम रखी गयी है।

जहां तक अल्मोड़ा जिले का सवाल है यातायात के साधनों को दृष्टि में रखते हुये, टनकपुर-पिथौरागढ़ मोटर रोड ने इस जिले को दो हिस्सों में बांट रखा है। इस बात को वहां की जनता महसूस करती है और बार-बार उसने इस बात के लिये सरकार से प्रार्थना की कि रामेश्वर अल्मोड़ा रोड को बना कर पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को मिलाया जाय १९४६ से कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड बराबर इसकी कोशिश करता रहा और जब कि जिला प्लानिंग कमेटी का निर्माण हुआ तो तब से वह भी प्रयत्न करती रही कि अल्मोड़ा-रामेश्वर रोड को सरकार अपनी योजना में ले। वहां की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और वहां के कार्यकर्त्ताओं की जो कान्फ्रेंस हुई उसमें भी अल्मोड़ा-रामेश्वर रोड को प्राथमिकता दी गयी। इस रोड के न बनाये जाने से अल्मोड़ा के पूर्वी भाग के लोगों में अलगाव की भावना हो गयी है। वहां के लोगों को अदालती कामों की वजह से अल्मोड़ा जाना पड़ता है। अगर मोटर से जाते हैं तो २८० मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है और ६० रु० प्रति आदमी खर्च पड़ता है। अगर पैदल अल्मोड़ा जाते हैं तो पचास साठ मील का चक्कर करना पड़ता है और २५–३० रुपये खर्च करना पड़ता है। अल्मोड़ा से उनका संबंध केवल अदालती कार्यों की वजह से है। जहांतक उनका व्यावसायिक संबंध है वह टनकपुर से है। जब तक हम उस मार्ग का निर्माण नहीं करते तब तक पूर्वी भाग की अलगाव की भावना जो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है उस अलगाव की भावना को हम दूर नहीं कर सकते।

[श्री गोवर्धन तिवारी]

जहां तक अल्मोड़े से लोहाघाट का सवाल है यह इलाका तो बृटिश काल से उपेक्षित रहा है। मैं कह सकता हूं आज पांच साल हमारी सरकार को शासन सूत्र सम्हाले हुए हो गये हैं किन्तु वह इलाका आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है जितना बृटिश काल में था। उसका एकमात्र कारण यह है कि वहां यातायात के साधन नहीं हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस बीच के रास्ते को मिलाया जाय चाहे वह अल्मोड़ा लोहाघाट रोड के रूप में हो या अल्मोड़ा रामेश्वर रोड के रूप में हो। अल्मोड़े की जनता यह चाहती है कि इन रोड्स को विकास योजनायों में प्रथम स्थान दे। जहां तक जन-श्रम का संबंध है २५-२५ के भागों में सड़क बनायी जा सकती है। लेकिन दुख यह है कि वह रास्ता चट्टानी है। उसमें जनता बगैर डाइनामाइट के चट्टानें तोड़ नहीं सकती। इसलिये सरकार पहले ४५ मील के टुकड़े को बना दे और उसके बाद वहां की जनता आपका साथ देगी और मदद करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गणतंत्र सप्ताह के अवसर पर जिन स्थानों को होकर यह मार्ग जाता है वहां की जनता इकट्टी हुई फावड़े लेकर और तमाम हथियार लेकर, लेकिन उसके सामने सवाल यह था कि कहां खोदें। अगर वह बीच में, रास्ते में काम प्रारम्भ करती है तो सवाल उठता है कि अल्मोड़े से प्रारम्भ कीजिये। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर वह चाहती है कि जनता के कार्य को देखे तो इसी पनवा नौला से बसौली और पौधा से शहर फाटक तक के जो २४–२४ मील के टुकड़े हैं उनको वह श्रमदान से बना सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि अल्मोड़ा तक का जो टुकड़ा है उसका निर्माण सरकार बाद में करे। जब तक आप इसका आश्वासन नहीं देते तब तक जनता के श्रमदान का सवाल पैदा नहीं होता। जिस तरह से हमने पाठशालों के सम्बन्ध में जब इमारतें बनाई तो सरकार की ओर से उनका रुपया नहीं दिया गया, इसलिये आश्वासन जरूर मिलना चाहिये। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अल्मोड़ा रामेश्वर रूट को अपनी योजना में अवश्य ले।

जहां तक पुल का सम्बन्ध है, तिखोन के पुल के सम्बन्ध में जनता सन् १९४६ से यत्न कर रही है और उसके लिये उसने ढाई हजार रुपया भी जमा कर दिया था। लेकिन रुपया जमा करने के बाद और बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई पुल निर्माण नहीं हुआ। पातलीबगढ़ के पुल के सम्बन्ध में, जब माननीय मुख्य मंत्री गये थे तो उन्होंने कहा था कि आपको सहायता देंगे, लेकिन जब बजट में देखा तो कहीं उसके लिये कोई व्यवस्था नजर नहीं आई।

लोहाघाट उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिये वहां की जनता ने ७५,००० रु० जमा कर रखा है और जमा किये पांच छः साल हो गये हैं, लेकिन जमा करने के बाद भी और बार बार उस इलाके की प्रार्थना के बावजूद भी जब कि उस तहसील में एक मात्र वही हाई स्कूल है, उसका निर्माण सरकार ने नहीं किया। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार उस ओर ध्यान दे।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सड़कों का बजट हाउस के सामने पेश होता है तो सहसा उन सारे प्रश्नों पर हमको विचार करना पड़ता है जिससे मुल्क समृद्धशाली बन सकता है। जब हम पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन सड़कों का है, जिनके जरिये से हम गांव वालों और उनकी संस्कृति से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि इतनी बड़ी पंच वर्षीय योजना के बनाने के बाद भी आज हम उत्तर प्रदेश को पूरा-पूरा सड़कों से आच्छादित नहीं कर सकते हैं। उसके कारण भी हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम सन् ४७ के बाद इस तरफ ध्यान देते हैं और उस प्लान की तरफ ध्यान देते हैं जब कि तमाम इंजीनियर्स की कान्फरेंस नागपुर में बुलाई गयी थी। उन इंजीनियर्स ने जो सिफारिशें की थी उस कान्फरेंस के सामने वे उन पर भी ठीक-ठीक

अमल नहीं करते हैं। सन् ४७ के बाद से एक नागपुर सड़क योजना भी बनी और उसके सम्बन्ध में लगभग एक सौ कुछ करोड़ रुपया पांच वर्ष में खर्च करने की बात थी, लेकिन अब तक ६० करोड़ रुपये से कम ही हम खर्च कर सके हैं। वह स्कीम जहां की तहां पड़ी हुई है। अब ऐसी हालत में जब हमारे इंजीनियर जो भी वह हों जब वह यहां पर बैठते हैं और उत्तर प्रदेश की बातों को सोचते हैं तो वह उस स्कीम को भी नहीं दुहरा सकते जो उन्हीं की बनाई हुई स्कीम थी और हम देखते हैं कि इस तरह से उत्तर प्रदेश अभी तक सड़कों से आच्छादित नहीं हो सका। जब हम अपने सामने जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि पंचवर्षीय योजना का संकल्प कर चुके हैं तो उसमें भी हमें संकोच होता है कि आया हम उस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में पूर्ण उतरेंगे भी या नहीं। इसके साथ ही साथ और भी बात एक है कि जब हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और पहाड़ी इलाकों की बात को यहां सुनते हैं तो सहसा हम यह भूल जाते हैं कि बुन्देलखंड भी इस राज्य का एक अंग है जिसमें हमीरपुर, झांसी, बांदा और जालौन चार जिले शामिल हैं जिसने उत्तर प्रदेश और सारे भारत को वह देन दिये हैं जिसकी बदौलत आज हिन्दुस्तान का नाम संसार में है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी स्वाधीनता की पुजारिणी जिसके गुण गौरव की गाथा आज भी संसार में गाई जाती है, महाराजा छत्रपाल जैसे वीर और बहादुर योद्धा इसने दिये और सबसे बड़ी चीज तो हमें यह दी जो कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के स्पीकर के रूप में यहां बैठे हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक-एक मिनट का, एक-एक पैसे का हिसाब रखते हैं कि वह जनता के हित में खर्च हो। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, हमारे पी० डब्ल्यू० डी० के विभाग ने उन सड़कों पर जो कि बुन्देलखंड से गुजरती है, दृष्टिपात भी नहीं किया है। मैं यहां पर एक सड़क के सिलसिले में कह देना चाहता हूं कि एक सड़क कानपुर से सागर को जाती है। वह अन्तर्प्रदेशीय सड़क है जो कानपुर से हमीरपुर होकर सागर को जाती है। तीन सूबों को वह मिलाती है, एक तो मध्य प्रदेश को और दूसरे विन्ध्य प्रदेश को और उसके बाद तब यू० पी० में आती है लेकिन उस सड़क की आज हालत यह है कि उसमें हमीरपुर के पास बेतवा और जमुना में स्थायी पुल भी नहीं बने हुये हैं जिसके जरिये से वह अपने सूबे से यातायात का सम्पर्क स्थापित कर सकें या वहां के व्यापारी माल और दूसरी व्यापार की चीजें हमारे कानपुर जैसे व्यापारिक और कमर्शियल जगहों पर भेज सकें। वह सारा का सारा हिस्सा जो है एक अन्धकार में पड़ा हुआ है। इसके सिलसिले में हमीरपुर जिले के निवासियों ने और खास हमीरपुर के लोगों ने यह देखकर कि सूबा सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और उसका ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ है, उन्होंने एक आवेदन-पत्र माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधान मंत्री को भेजा था जिनके उत्तर में मुझे उनकी तरफ से और सूबा सरकार की तरफ से एक सूचना २० दिसम्बर १९५२ को और एक २ जनवरी १९५३ को मिली थी कि वह जो आवेदन-पत्र है वह पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में भेज दिया गया है लेकिन दुःख की बात है कि आज तक उसका वहां से कोई जवाब नहीं मिला। कानपुर सागर रोड एक ऐसी सड़क है जो कि अन्तर्प्रदेशीय सड़क है, कानपुर जैसे व्यापारिक नगर को मिला कर इसके जरिये से विन्ध्य-प्रदेश और सी० पी० का सम्बन्ध स्थापित करती है और ईश्वर न करे कि अगर लड़ाई का बादल कहीं मंडराये, उस समय जब कि सी० पी० की तरफ से दूसरी सड़कों को रोक दिया जाय उस वक्त आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं और कानपुर जैसे औद्योगिक मिल्स शहर में उस समय सरकार की फौजें उसकी रक्षा को नहीं पहुंच सकती हैं। वह दूसरी तरफ से भले ही आवें लेकिन जो उस तरफ से आसानी से आ सकती हैं वह फौजें वहां नहीं पहुंच सकेंगी और उस वक्त हमें यह दिक्कत पड़ सकती है कि हम यू० पी० के एक समृद्धशाली

[श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी]

नगर को कैसे बचावें। तो मैं श्रीमन् आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा, यह अनुरोध करूंगा कि इस कानपुर सागर रोड को नेशनल हाईवेज को दे दें जिससे कि केन्द्रीय सरकार उसकी देख-रेख कर सके और उसमें स्थायी पुल वगैरह बना सके। अगर वह नहीं देने के लिये तैयार हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सूबा सरकार ही बेतवा के ऊपर और जमुना के ऊपर स्थायी पुल बनवा दे जिससे कि इसकी रक्षा हो सके।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अनुदान संख्या ३२ के अन्तर्गत कम्युनिकेशन्स के मातहत मुख्तलिफ मदों पर व्यय की जाने वाली रकमों को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि इस साल सरकार पिछले साल के मुकाबिले में १९ लाख १७ हजार रु० कम खर्च करने जा रही है। एक नई स्टेट के नवनिर्माण में जब कि खास कर वह प्लानिंग के दौर से गुजर रही हो, सड़कों का कितना महत्व हो सकता है। इस अम्र पर चाहे जितना भी हम जोर दें वह कम है। जेरिमिन बेंथम जैसे स्कालर का यह कहना है कि एक स्टेट में सड़कों का वही महत्व है जो एक मनुष्य के शरीर में आरटरीज और वैंस का महत्व है। डा० राधाकमल मुकर्जी जो अग्रेरियन इकोनामिक्स पर अथारिटी माने जाते हैं उनका भी यह कहना है जहां तक स्टेट के अन्दर ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस के दाम न गिरने की बहुत सी वजूहात हैं वहां एक खास वजह यह है कि हमारे स्टेट की सड़कें खराब हैं। यह बात सही भी है और मैं इसको स्पष्टरूप से देख रहा हूं कि जहां पेजेंटरी पुवर हो, जहां फूड स्टफ्स की शार्टेज हो, जहां रास्ते खराब हों, वहां यह कुदर्ती चीज है कि बहुत से इंटरमीडियरीज प्रोड्यूसर्स और कनज्यूमर्स के बीच पैदा हो जायं। यहां अन एम्प्लायमेंट है, रास्ते खराब हैं, फूड स्टफ्स की कमी है, पेजेंटरी पूवर है, यहां यह कुदर्ती चीज है कि प्रोड्यूसर्स और कनज्यूमर्स के बीच इंटरमीडियरीज बढ़ जायंगे, और यह इस बात को जाहिर करता है कि चाहे हम ऐग्रीकल्चर प्रोडयूस बढ़ायें लेकिन तब भी कुछ काल तक हमारे स्टेट के अन्दर गल्ले के दाम गिरने वाले नहीं हैं। इसलिये सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस ओर विशेषकर ध्यान दे और आने वाले कुछ सालों के अन्दर वह कम से कम सड़कों पर किफायतशारी न बरते और उन पर हर साल ज्यादा से ज्यादा खर्च करती चली जाय। एक और स्कालर की बात मुझे याद आती है। उसने तो यहां तक स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप दो मुल्कों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर का मुकाबला करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करिये, वहां की रोड माइल डेंसिटी का मुकाबला कर लीजिये। इस दृष्टि से जब हम अपने स्टेट का जापान से (Road mile density per unit of area) मुकाबला करते हैं तो हम १ और १५ का अनुपात पाते हैं। इसी प्रकार रोड माइल डेंसिटी पर यूनिट लैंड आफ पापुलेशन का अपनी स्टेट का आस्ट्रेलिया से मुकाबिला करते हैं तो १ और ५० का अन्तर पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे यहां सड़कों की तादाद कम है और जो है भी वे फेयर वेदर रोड्स हैं जब ऐसी दयनीय दशा हमारे स्टेट की सड़कों की है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि उन पर खर्चा कम देना कहां तक उचित है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि आने वाले कुछ सालों में वह इस मद पर अधिक से अधिक खर्च करे। इसके बाद मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपनी सड़क बनाने वाली नीति में कुछ मेरे सुझाओं का समावेश करे। सब से पहला मेरा सुझाव यह है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाटल नेक्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करे। ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एक जिले के अन्दर कोई सड़क आती है और आकर के रुक जाती है, और दूसरे जिले से कोई सड़क आती है और आकर के रुक जाती है, और बीच में कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें कोई सड़क न होने के कारण दो जिले मिलते नहीं हैं। मैं स्पष्ट रूप से बदायूं के सम्बन्ध में बतलाऊं कि बदायूं कई जिलों से मिला हुआ है लेकिन किसी जिले से कोई रोड मिली हुई नहीं है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप बदायूं जिले से आस-पास के चारों तरफ के जिलों में हर महीने में जा सकें। भजोही से इसलामनगर तक पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क है, उस पर कुछ काम हुआ है लेकिन वह सड़क अधूरी बनी हुई

पड़ी है, जिसकी वजह से बदायूं जिला मुरादाबाद जिले से नहीं मिल पाता है। दूसरे में यह कहना चाहता हूं कि जो स्टेट्स हमारे प्रदेश में अमलगमेट कर दी गयी हैं उनके लिये यह आवश्यक है कि उन स्टेट्स से यातायात के साधन मुहैया किये जायं और सड़कें बनवाई जायं। इसको मैं इसलिये खासतौर से जानता हूं कि रामपुर स्टेट, जो अब हमारे सूबे का एक जिला है वह बदायूं जिले से सटा हुआ है। बदायूं जिले में आसफ़पुर तक सड़क मौजूद है फिर रामपुर जिले में शाहाबाद तक वह सड़क मौजूद है लेकिन बीच का चार पांच मील रास्ता ऐसा है जिसमें सड़क नहीं है जिसके कारण, यातायात के कारण हाइडल के इंजीनियर जो जाते हैं वह वाया बरेली जाते हैं क्योंकि कोई साधन उनके पास नहीं है। वह अक्सर आसफ़पुर के इन्सपेक्शन हाउस में आते हैं लेकिन शाहाबाद नहीं जा पाते हैं क्योंकि बीच में कोई रास्ता ही नहीं है यहां तक कि कच्ची सड़क का भी रास्ता नहीं है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन्टर डिस्ट्रिक्ट बाटिलनेक्स जो हैं उसको जल्द से जल्द दूर किया जाय।

दूसरे वह रोड्स जिस पर कुछ काम हो गया है और वह अधूरी हैं उनको जल्द से जल्द शुरू करायें क्योंकि जब कोई काम सरकार करती है तो जनता उसको देखती है और जब कोई फैसिनेटिंग पालिसी जनता के सामने जाती है तो जनता का विश्वास कम हो जाता है। जनता के विश्वास पर जितना कुछ कहा जाय वह कम है। इसलिये सरकार कृपया ऐसा कोई काम न करे जिससे जनता के विश्वास को आघात पहुंचे। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन सड़कों को सरकार ने एक दफा उठा लिया है उनको अवश्य पूरा करे, यही मेरी सरकार से प्रार्थना है।

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब सदस्यों को जिन्होंने इस आज के दोनों अनुदानों की बहस में भाग लिया है, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सबने, इस मुहकमे की किस तरह से उन्नति हो, इस दृष्टि से जो त्रुटियां इसमें थीं वह बतलाने की कोशिश की लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो हो सकता है कि वे माननीय सदस्यों की नजरों से न गुजरी हों। बहुत सी ऐसी कठिनाइयां हैं जिनको माननीय सदस्य इतना न महसूस करते हों जितनी कि इस विभाग में वह महसूस हो रही है। इस वजह से हो सकता है कि उनकी बातों में कुछ अतिशयोक्ति हो और कहीं-कहीं वह शायद कुछ गलत भी हों। तो मैं सबसे पहले श्रीमन्, आपकी आज्ञा से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो मोटी-मोटी बातें कही गयीं उनका मैं जवाब दूं। इसमें जैसा अभी माननीय सदस्य श्री शिवराज सिंह ने बतलाया तो यह तो इस डिपार्टमेंट की पालिसी है कि जो सड़कें हमने पहले ली हैं और जो अधूरी पड़ी हुई हैं उनको सब से पहले पूरा किया जाय और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुये ही हमने पंचवर्षीय योजना बनायी है। इसके अलावा मैं अर्ज कर दूं कि ज्यादातर जो माननीय सदस्यों ने बातें कहीं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की रोड्स की कहीं। जौनपुर की बात आयी और भी कई जगहों की बातें आयीं, लेकिन ज्यादातर यह शिकायत की कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जो सड़कें लौटाई गई हैं, वह पालिसी ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की सड़कें इसलिये ली गयीं थी कि उनके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से रुपया मिलने को था लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाटमेंट बन्द हो गया तो हमको अपनी ही रेवेन्यूज पर निर्भर रहना पड़ा। तो यह लाजिमी हो गया कि हमने जिन सड़कों को ठीक कर दिया था या जिनको कम ठीक कर पाये थे, वह जिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें थीं उनको वापिस दे दी जायं। लेकिन जिस हिसाब से हम खर्चा कर रहे थे उसी हिसाब से करीब-करीब

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ग्रांट दे रहे हैं कि उनको ठीक रखें। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को वापिस करने की पालिसी इसलिये सही मानी गयी क्योंकि कैबिनेट ने तय किया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स स्थानीय संस्थाएं हैं उनको पब्लिक् का कोआपरेशन ज्यादा मिल सकता है बनिस्बत प्रान्तीय संस्था के, और वह उस रुपये का ज्यादा अच्छा उपयोग कर सकते हैं और सड़कों को अच्छा रख सकते हैं, ऐसा समझा गया था। मेरे ख्याल में इस बात में काफी तत्व भी है। इस तरह से ये चीजें हुई। एक बात और जो भ्रष्टाचार की कही जाती है उसे मैं बाद में लूंगा।

जो बातें माननीय नारायणदत्त जी ने कल कहीं मैं कुछ उनका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कल तीन चार बातें मुख्य-मुख्य कहीं और उनमें से ज्यादातर इस डिपार्टमेंट की शिकायतें थीं। वे कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो इस डिपार्टमेंट के सामने न आई हों या किसी कमेटी में वे रेफ़र न हुई हों। उन्होंने पब्लिक् एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई और खास बात यह कही कि इर्रेग्यूलैरीटीज़ हुई जिनकी एक लिस्ट भी पढ़ कर सुनाई। इस प्रकार साधारण प्रोसीज्योर की ग़लतियां थीं। आम-तौर पर जब ७, ८ करोड़ का काम होता है और इतने आदमी काम करते हैं तो कहीं कुछ लापरवाही या स्लेकनैस हो जाय और सही तरीक़े से काम करने में स्वभावतः ग़लती हो जाय, यह एक स्वाभाविक चीज़ है। गवर्नमेंट की उसमें कमजोरी कहां है? मैं आपसे अर्ज करूं जैसे ही पब्लिक एकाउट्स कमेटी की रिपोर्ट आई चीफ इंजीनियर ने ११ मार्च को एक सरक्यूलर भेजा और उन ग़लतियों की ओर सारे अफसरों का ध्यान दिलाया और कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहियें। तो आप देखिये कि हमने कितनी जल्दी ऐक्शन लिया। पिछले साल मैंने स्वयं पब्लिक् एकाउट्स कमेटी की जितनी बातें थीं उन सबको लेकर छानबीन कराई थी और कोशिश की कि ऐसी बातें न हों। लेकिन कुछ चीजें मनुष्य के प्रयत्नो हयूमन कंट्रोल के बाहर होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे दूर ही नहीं हो सकतीं लेकिन हमारे चीफ़ इंजीनियर ने फ़ौरन कार्यवाही की और यह सबूत इस बात का है कि हम इससे सजग हैं।

दूसरी बात उन्होंने कही कि चीफ इंजीनियर ने ३ साल की ग्रांट रिकमेंड की है और उससे माननीय सदस्य ने यह नतीजा निकाला कि चीफ इंजीनियर साहब अपनी कोई कमजोरी महसूस करते हैं। कमजोरी की कोई बात नहीं है। बल्कि यह है कि तरक्की कैसे हो? सड़क बनाने का काम एक टैक्निकल काम है और हर सदस्य मेरे से सहमत होगा कि एक अच्छी सड़क १ वर्ष में पूरी नहीं हो सकती। यह माना जा सकता है कि एक अच्छी सड़क ३ साल में बन कर तैयार हो सकती है और कामनसेंस से भी यह बात सम्भव है कि ऐसा माना जाय। विदेशी एक्सपर्ट्स की भी यही राय है। मद्रास में उन्होंने इस तरह की एक कमेटी बैठाई जिसकी भी यही राय हुई कि सड़कों की ग्रांट कम से कम ३ साल की होनी चाहिये। चीफ इंजीनियर की समझ में जो बात उन्नति के लिये आई उसका उन्होंने सुझाव दिया है। उस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है और जो रूल्स की बात है उस पर भी विचार किया जायगा। इस तरह के सुझाव देने के यह मानी नहीं हैं कि हमारे विभाग में सदैव लैप्सेज होते हैं। कुछ लैप्सेज तो होते ही हैं और उसके लिये वे बातें जिम्मेदार हैं तो पहले से कोई नहीं देख सकता। कि आगे किस तरह से चीजें होंगी, कौन सा मैटीरियल मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा? कौन ठेकेदार जिसका टेंडर कम था और उसको काम दे दिया गया था वह बाद में धोखा देगा और काम पूरा नहीं करेगा और फिर उस काम को दूसरे ठेकेदार को देना होगा। इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो अनिवार्य (अनएवायडेबि) होती हैं अध्यक्ष महोदय, इस साल खुशी की बात यह है कि सड़कों के मामले में सीमेंट और कंकरीट

को छोड़ कर बहुत कम रुपया लैप्स हुआ है और काफी काम हुआ है और हमने सड़कों, भवनों के सम्बन्ध में बहुत काम कराया है।

दूसरी बात जो कही थी वह यह थी कि दूसरे डिपार्टमेंट का काम जो पी० डब्ल्यू० डी० से कराया जाता है तो यह काम अलग रहने चाहिये। हो सकता है उन्होंने सही बात कही हो लेकिन जैसा कि इशारा पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में है वह उन सब डिपार्टमेंट के कामों से नहीं है जो पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये कराये जाते हैं। मसलन हेल्थ, शिक्षा वग़ैरा के काम, बल्कि इन कामों के लिये है पी० डब्ल्यू० डी० के बजट में जिनका रुपया रख दिया जाता है और काम कराते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स। इसमें अड़चन पड़ती हैं इस तरह भी इस बजट में एक ग्रांट है एग्रीकल्चर कोलोनाइजेशन की ३८ लाख रुपये की। इस काम को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करायेगा और रुपया हमारे डिपार्टमेंट में रखा गया है। इसकी तो हमारे डिपार्टमेंट को ही यह शिकायत थी कि हमारा सुपरवीजन नहीं रहता है जब कि रुपया हमारे यहां रहता है और दूसरा डिपार्टमेंट काम करवाता है। हमने रिप्रिजेंण्टेशन किया था कि ऐसी रकम उसी डिपार्टमेंट के बजट में रखी जाय जिससे वह काम करा जाये। जो काम और डिपार्टमेंट्स का हमारे जरिये होता है वह तो बजट में आयगा ही अगर नहीं आयगा तो हम कैसे सुपरवीजन करेंगे और कैसे एस्टीमेट वग़ैरह बनायेंगे? सिर्फ वही बात थी कि जो दूसरे डिपार्टमेंट काम करवाते हैं और पी० डब्ल्यू० डी० में जो प्रैक्टिस थी उसके अनुसार रुपया भी पी० डब्ल्यू० डी० के बजट में रख दिया जाता है। क्योंकि इस साल बजट बनाया गया और फायनेंस डिपार्टमेंट के रूल्स हैं, उनकी डिफीकल्टीज हैं, इसलिये यह समझा गया कि आयन्दा ध्यान दिया जायगा और इस पर विचार किया जायगा। यह भी एक ऐसी बात है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) दिया वह आपको शायद ग्राह्य हो।

एक चीज और उन्होंने कही कि इमैच्योर्ड स्कीम इस डिपार्टमेंट में आ जाती हैं और मैच्योर्ड होने से पहले ही वह ले ली जाती हैं। इसमें भी थोड़ी सी बात है। यह दूसरे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स होती हैं। वह भी मजबूर होते हैं क्योंकि बहुत से काम ऐसे आ जाते हैं जो जल्दी में कराना होता हैं। जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई है या जैसे रिफ्यूजीज का काम आ गया था या ऐसे और भी बहुत से काम आ जाते हैं तो रुपया जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं और उन डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम होती हैं वह जल्दी ही चालू कर देना पड़ती हैं बिना रुके हुये इस बात के लिए कि एस्टीमेट बने या प्रोसीड्योर फालो हो। इसमें दिक्कत पड़ती है। इस तरह की स्कीम्स की बाबत कहा गया है और इस तरह की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट लेविल पर, लेकिन सब तो एवाइड नहीं की जा सकती है लेकिन यह कोशिश जरूर जारी है कि कम से कम यह चीजें हों। यह तो मैंने उनकी बाबत कहा जो खास तौर से इस सदन के सामने कही गई थीं।

एक बात उन्होंने और कही थी। वह काम के बारे में थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बा अदब अर्ज करूंगा कि उसकी बाबत शायद उनका सवाल ख्याल ठीक नहीं है और वह यह है कि उन्होंने मेरा भी हवाला दिया था और यह कहा था और टौप कोट फिगर्स को लिया था। जब कि सड़क बिल्कुल मुकम्मिल हो जाती है तो इस तरह से तीन साल के फिगर्स उन्होंने लिये और कहा कि काम घट रहा है। सड़क का काम असल में ऐसा नहीं है जो एक दम से कहीं कम्पलीट हो जाय। इसमें कई स्टेजेज होते हैं। पहले मिट्टी की रेंजिंग करना पड़ता है, फिर सोलिंग करना पड़ता है यानी ईंटें बिछाई जाती हैं, इसके बाद पहला कोट दिया जाता है, फिर इंटर कोटिंग होता है

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

तब कहीं जाकर सड़क मुकम्मिल होती है। तो ये स्टेजेज हैं; और सड़कों के बारे में अगर आपको पूरी मुकम्मल सड़कों की लम्बाई ज्यादा मिले तो बहुत काम हुआ और अगर कहीं एक कोट कम हुआ तो कुछ काम नहीं हुआ, यह काम जांचने का पैमाना मेरी समझ में सही पैमाना नहीं है। आखिर जो यह भवन आप देख रहे हैं अगर इसकी नींव न रखते तो यह कैसे खड़ा होता? इसलिये नींव का काम भी बहुत जरूरी काम है। फीगर्स आँकड़े अगर आप देखते तो सारी की सारी फीगर्स देखते। मैं अभी आपको फीगर्स बतलाऊंगा तो आपको संतोष होगा कि इस साल काफी काम हुआ है।

एक बात मैं अर्ज कर दूं। उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि मैंने बतलाया कि साढ़े २२ मील लम्बी सड़क बनी। माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने मुझसे पूछा था तो मैंने बतलाया था, एक सवाल के जवाब में मैंने कहीं फाइल में देखा था। उस वक्त तक साढ़े २२ मील सड़क बनी थी और अब ३१ मार्च तक जो काम होगा वह इसी साल में शामिल होगा। वह फीगर्स इसमें नहीं हैं। मैं भवन को बतलाऊं कि उन आंकड़ों को लेकर ७७ मील टाप कोट पर काम हुआ है। साढ़े २२ मील तो उस समय हुआ था। तो इस तरह से सड़कों पर जो काम हुआ है वह ऐसा काम है जिससे हम थोड़ा सा संतोष कर सकते हैं। मार्च, १९५० तक, इंटर कोट का काम मैं बतला रहा हूं, ५७७ मील तक काम हुआ, मार्च १९५१ तक ६४२ मील तक काम हुआ, मार्च १९५२ तक ८३२ मील तक काम हुआ। मार्च १९५३ तक १,१२६ मील तक काम हुआ, यानी २९४ मील ज्यादा इस साल हमने काम किया। जब इंटर कोट का काम हो जाता है तो क़रीब-क़रीब मुकम्मल काम माना जाता है और उस पर गाड़ियां अच्छी तरह से चलने लगती हैं। रिकांस्ट्रेक्शन का जो हमने काम किया वह मार्च, १९५० में १९०३ मील तक हुआ, मार्च, १९५१ में १९,९० मील तक हुआ, मार्च, १९५२ में २१,०० मील तक हुआ और मार्च, १९५३ तक २,१६५ मील तक हुआ। अब टाप कोट के जो फ़ीगर्स माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने दिये हैं, उनको न तो मैं कह सकता हूं कि वे ज्यादा एग्जेक्ट हैं और न मैं यह कह सकता हूं कि ज्यादा ग़लत है क्योंकि उन्होंने जो फ़ीगर्स दिये हैं वे हमने सन् १९५२ में एक पुस्तिका बांटी थी उसके प्राफ्स से निकाले हैं। प्राफ्स के लिये जो फीगर्स तैयार किये जाते हैं वे ज्यादातर ऐप्राक्सीमेट होते हैं क्योंकि वह दस-दस साल के बना लिये जाते हैं और दूसरे जगहों से मुकाबिला किया जाता है। तो टाप कोट में जैसा मैंने बतलाया कि सब मिला कर ७७ मील हो गया आज तक या हो जायगा। बाकी उनकी फीगर्स की बाबत मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं लेकिन यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई सड़क किसी साल में एकदम से १०० मील बन कर तैयार होती है तो उस साल टाप कोट अधिक होगा और अगर किसी साल सड़कें नीचे से बनती रहीं तो उस साल टाप कोट की फीगर्स आपको बहुत छोटी मालूम होंगी; इसलिये खाली टाप कोट की फीगर्स को देखना कोई अकेला पैमाना काम देखने का नहीं है। जो और फ़ीगर्स मैंने आपको दी हैं वह आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस प्रदेश में सड़कों के मामले में काफी काम हुआ है। अब मैं थोड़ी सी बात भवन निर्माण के बारे में कह देना चाहता हूं। भवन निर्माण में भी जितना काम इस साल हुआ है वह भी आशाप्रद है। अगर आप तकलीफ करें तो दूर न जाकर केवल लखनऊ को ही देख लें। गांधी मेमोरियल हास्पीटल में सरदार पटेल के नाम से एक होस्टल बनाया गया है, इसके अतिरिक्त एक लंबा चौड़ा वार्ड भी बनाया गया है। इसके अलावा ट्रांन्सपोर्ट डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स बनायी जा रही हैं उनको आप देखें। एक प्रेस की इमारत भी हमने यहां बनायी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस बिल्डिंग को अवश्य देखें। इनको देख कर आपको मालूम होगा कि हमारा काम कैसा चल रहा है और जगहों की बात मैं इस समय नहीं करता केवल लखनऊ की ही

बात मैं आपको बतला रहा हूं और इसके बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बतलाया है उससे यह नतीजा निकलता है कि इस वर्ष भवन निर्माण का कार्य काफ़ी तादाद में हुआ है और अगले साल में हमें उम्मीद है कि और भी ज्यादा होगा। इस साल पहले से ज्यादा तरक्की हुई है।

अब मैं दूसरी चीज को लेता हूं, जो आमतौर से कही गयी है और वह करप्शन की बात है माननीय नारायण दत्त जी ने कहा, उनके जिले को मैंने देखा और वहां ग़ल्तियां पायीं। मैं यह मानता हूं कि वहां पर मस्टर रोल्स में कुछ ग़ल्तियां थीं, ये ग़ल्तियां उनके जिले में तथा दो एक और जिलों में थोड़ी बहुत ऐसी ग़ल्तियां मिलीं लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि कम से कम ३४–३५ जिले जो मैंने देखे उनमें से अगर दो चार जगह ऐसी ग़ल्तियां मिलीं तो क्या उन दो चार जगह की ग़ल्तियों पर मैं बाकी सब जगह के काम को भी कन्डेम कर दूं। आप अपने पड़ोसी अल्मोड़ा जिले को ही देखें, मुझे उम्मीद है कि वहां आपको ऐसी ग़ल्तियां नहीं मिलेंगी। वहां का काम अच्छा है। हो सकता है आपके दिमाग़ में कोई बात हो लेकिन यह मैं आपको अपने तजुरबे से बतला रहा हूं। अगर आप सारी बातों को देखें तो आपको मालूम होगा कि करप्शन की मात्रा अब बहुत कम हो गयी है और अगर कहीं कोई ऐसी बात पायी जाती है तो कड़ा दंड दिया जाता है। अब तक काफ़ी लोगों को सजायें भी दी गयी हैं लेकिन यह कैसे हो सकता है कि उन लोगों को भी जो अच्छा काम करते हैं उनको भी उसी तराजू से तौलें। जिसमें खराब काम करने वालों को तौलते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आप नहीं चाहेंगे कि सबको करप्ट कह कर बरखास्त कर दिया जाय। कोई भी माननीय सदस्य ऐसे नहीं हैं जो सड़कों के बारे में शिकायत न करते हों हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जिनको सड़कों के लिहाज से सरप्लस डिस्ट्रिक्ट कहा जा सकता है। सौभाग्य से माननीय नारायण दत्त तिवारी भी जिस जिले में रहते हैं वह जिला भी इसी प्रकार का है लेकिन वे भी किसी से कम शिकायत नहीं करते। हमारा कर्तव्य तो यह होना चाहिये कि हमारा काम हो, यह नहीं कि एक कलम से सब इंजीनियर्स और ओवरसीयर्स को बरखास्त कर दिया जाय, साड़ा स्टाफ डिसबेंड कर दिया जाय। अगर ऐसा कर दिया जाय तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। अतः हमें जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा तो करनी ही होगी। यह हो सकता है कि उनमें कुछ ब्लेक शीप्स हों लेकिन सबके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों ने जवाहरलाल जी और जय प्रकाश नारायण जी आदि के पास शिकायतें भेजीं उनमें उन्होंने यह तस्लीम किया कि उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर्स और सुप० इंजीनियर्स ईमानदार हैं। तो जब कोई शिकायत हमारे पास आती है वह उन्हीं लोगों के सुपुर्द की जाती है, ये ही लोग उन कामों पर सुपरवाईज करते हैं, जांच करते हैं और लोगों को सजा देते हैं। जहां पर भी हमें कमी दिखाई देती वहां ज्यादा से ज्यादा कढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। अतः हमें यही मद्देनजर रखना है कि हमें काम करना है, इसको देखते रहें और जो तारीफ के काबिल काम करते हैं उनकी तारीफ़ करें।

जो अच्छा काम करते हैं उनको कुछ शाबाशी भी दी जाय तो वे काम ज्यादा अच्छा करेंगे लेकिन जैसा कि देहात में मसल है कि "सब धान बाईस पसेरी" अगर इसी तरह से सबको तौलेंगे तो जो अच्छा काम करते हैं वे बेचारे भी कंधा डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने अर्ज किया कि जो करप्शन की बात है यह तो सोसाइटी की बात है और हर जगह है। उसे दूर करने में भरसक हम और आप मिल कर कोशिश करें तो मुझे आशा है कि वह दूर होगा। अब मैं आपको थोड़े से फ़ीगर्स देना चाहता हूं जिससे मालूम हो जायगा कि हमने कितने केसेज में ऐक्शन लिया। सन् ४६ से ५२ तक हमने कुल ७० आदमियों पर करप्शन का केस

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

चलाया जिनमें से २७ आदमी डिसमिस या डिस्चार्ज हो गये, १० आदमियों का इनक्रीमेन्ट बन्द किया गया, ३ का रिवर्शन किया गया और १४ केस अभी भी पेंडिंग हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—ये क्लर्क हैं या इंजीनियर्स हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इनमें सभी लोग हैं, ।

इस साल हमने कुल २८ आदमियों पर केस चलाया, जिनमें १० गजटेड कर्मचारी हैं और १८ नानगजटेड हैं। इनमें से करीब-करीब १९ केसेज तो पेंडिंग हैं। ६ आदमियों को डिसमिस किया गया, २ का इनक्रीमेंट बन्द किया गया और १ छूट गया। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि स्टेप लिया जा रहा है, कार्यवाही की जा रही है। हो सकता है कि हमारे माननीय सदस्य समझते हों कि जितनी तेजी हममें होनी चाहिये वह नहीं हुई है लेकिन इसका तरीका यह नहीं है। इसका तरीका तो यह है कि आप हमें सुझाव दें, हमें बातें कहें और बतलावें कि इस तरह से काम करना ठीक है, इस तरह से ऐक्शन लेना ठीक है। लेकिन उसके लिये शहादत भी सही होनी चाहिये। प्रोसीज्योर जो उसका होना चाहिये उसी के अनुसार काम होना चाहिये। केवल एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और वह यह है कि हमारे यहां स्टाफ कम है और हमारे यहां काम बहुत हो रहा है। अगर आप बजट के आंकड़े को देखें तो ३८ लाख का खर्चा है सेंटेज चार्ज हमारे यहां ५.६% आता है, जो तनखाहों आदि में जाता है, और यही मद्रास में इस्टेब्लिशमेंट पर १५% है। इसी तरह से और दूसरे स्टेटों में भी है। बम्बई में २१%, मध्य प्रदेश में २०%। सन् ३६, ३७ में सेंटेड चार्ज यू० पी० में २१.९८ था और आज ५.६ है। और पारसाल का मद्रास का जो मैंने बतलाया था, मद्रास का बजट ज्यादा था और वहां १५ परसेंट था लेकिन हमारे यहां ५.९ था। हमारा बजट वहां से कुछ कम था। तो आप देख सकते हैं कि इतने कम खर्चे में जैसा हमारा स्टाफ काम कर रहा है और हमारे यहां जो काम हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है उसको सभी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दूसरे प्राविंस वालों ने भी माना है कि यू० पी० में पब्लिक वर्क्स का काम अच्छा है। तो इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से कहता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्व सम्मति से इस ग्रांट को मंजूर करें

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने बड़े विस्तार के साथ मेरे सभी निवेदनों के उत्तर देने की चेष्टा भी की, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने स्थापना संबंधी व्यय के कुछ आंकड़े देकर हमें बतलाया कि सन् ३६, ३७ में जितना परसेंट खर्च होता था उससे घटकर आज ५ परसेंट हो गया है, लेकिन मेरा तो तर्क बिलकुल दूसरा था। मैंने तो यह कहा था कि अन्य राज्य, पी० डब्ल्यू० डी० के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को जितनी तनख्वाह देते हैं उससे यू० पी० के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों को आप बहुत कम देते हैं। यह आपके इन आंकड़ों से सिद्ध होता है, उसका जवाब माननीय मंत्री ने कुछ नहीं दिया कि पंजाब और मद्रास के मुकाबले में मजदूरी कम क्यों है, तनख्वाहें कम क्यों हैं ? इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। और मजदूरी बढ़ाने की चर्चा नहीं की।

मेटल रोड्स के बारे में उन्होंने बताया कि साढ़े २२ जो फीगर थी वह किसी फाइल या प्रश्न के जवाब में थी और जो नई फीगर्स हैं वह मार्च, सन् ५३ की हैं। उसके मुताल्लिक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। वह केवल एक कल्पना का विषय है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—२२ को फिर आपने कैसे मान लिया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने कहा कि साढ़े २२ बन चुका है इसलिये माना। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि जो ग्राफ होता है वह एप्राक्सिमेट होता है इसलिये वह ज्यादा सही नहीं माना जा सकता। इससे साबित होता है कि हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं

उनमें कितना तथ्य होता है। माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट्स से साफ हो जाता है कि ग्राफ एप्राक्सिमेट होता है। हमारी समझ में तो वह बिलकुल करेक्ट ही होता है। उसमें एक-एक मील तक दिया होता है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि वह चार्ट एप्राक्सिमेट है। उसमें तो बिल्कुल फाइनल है। फिर भी माननीय मंत्री ने जो आंकड़े दिये उनको मान लिया जाय तो यह पता लगता है कि पिछले तीन वर्षों से लगातार आंकड़ों का क्रम गिरता गया। जितनी सड़कें सन् ५० में बनी थीं उससे कम सन् ५१, में और जितनी सन् ५१ में बनीं उससे कम सन् ५२ में बनी है। माननीय मंत्री जी ने इसके सिलसिले में इंटर कोट और लोअर कोट सड़कों की मिसाल दी और कहा कि पहले जड़ मजबूत करते हैं तब जाकर मीनार पर पहुंचते हैं। हमें तो देखना यह है कि जो लड़का इम्तिहान में बैठा वह पास हुआ या फेल। यह नहीं कि उसका क्वार्टर्ली में क्या रिजल्ट था और सिक्स मंथली परीक्षा में क्या रिजल्ट था। पूरी सड़कें कितनी बनीं यही हमें देखना है।

जहां तक करप्शन का सवाल है माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े हमको दिये उनमें यह ध्यान देने की बात है कि सन् ४६ से सन् ५२ तक ६ साल में इतने बड़े पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जब कि सारे करप्शन को दूर करने की चेष्टा की गई तो केवल ७० कर्मचारी ऐसे मिले जो निकाले गये, जिनको दंड दिया गया। उनमें से २७ ऐसे थे जो डिसमिस किये गये और उन २७ में से ७ गजेटेड आफिसर्स थे यानी एक साल में एक गजेटेड आफिसर डिसमिस हुआ। इस संबंध में जो पिछले साल की रिपोर्ट है उसको देखिये उसमें लिखा है कि ढाई साल में ९० आदमियों से अधिक के खिलाफ ऐक्शन लिया गया और ६ साल में ऐक्शन लिया गया ७० आदमियों के खिलाफ। मैंने करप्शन की मिसाल देते हुये पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। माननीय मंत्री ने कहा कि ये ग़लतियां होना स्वाभाविक है। जिनका टेंडर कम हो उनका टेंडर मंजूर न करना इस बात को माननीय मंत्री ने इस तरह से घुमा कर कहा कि कोई ठेकेदार टेंडर कम दे और बाद में धोखा दे जाय तब क्या होगा। रिपोर्ट में साफ लिखा है "in certain cases tenders other than the lowest were accepted" तो क्या यह स्वाभाविक ग़लती में आता है कि इस प्रकार की ग़ल्ती को स्वाभाविक गल्ती में मानने से यह सिद्ध होता है कि करप्शन स्वाभाविक है और ठेकेदारों में स्वाभाविक करप्शन चलना चाहिये और अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गाया तो फिर भगवान ही मालिक हैं। मस्टर रोल में गल्ती होना और मजदूरों के वेतन का लेट पेमेंट होना इसमें कहां स्वाभाविक गल्ती आती है। "Payments for stock purchased were made in advance of the actual receipt of the store" इसमें कहां स्वाभाविक गलती है। "Cash transactions were entered in the cash book several days after their occurrence." यह कितनी बड़ी गल्ती है। दस परसेंट वाली बात इससे सही सिद्ध होती है। खुद आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी श्री चटर्जी ने एक जी० ओ० में इसको अत्यन्त गम्भीर अनियमितता बताई है। उस सरकुलर में लिखा हुआ है कि अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। जहां तक और ग्रांट्स का सवाल है माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि लैप्सेज बहुत कम होते हैं। लेकिन इसी साल के बजट को अगर देखा जाय तो माननीय नरेन्द्रसिंह जी विष्ट के क्षेत्र पिथौराढ़ चम्पावत के लिये जितने अनुदान थे वह करीबन सब के सब लैप्स कर दिये गये जैसे घाट व चलथी के पुल हेतु। आज किसी भी अनुदान को देखिये मुश्किल से एक तिहाई रुपया खर्च होता है बाकी सबका सब लैप्स हो जाता है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि ९० प्रतिशत अनुदान ऐसे हैं जिनमें ऐसा होता है और इन लैप्सेज के बारे में माननीय मंत्री जी ने क्या आयोजन किया है इसको स्पष्ट नहीं किया। अब समय खत्म हो गया है। मैं फिर माननीय मंत्री जी के प्रति किसी अन्य समय पर इन बातों पर प्रकाश डालूंगा।

श्री अध्यक्ष—क्या अपने कटौती के प्रस्ताव को आप वापस ले रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ३,४६,६०,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ३८,०७,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय सभानेत्री जी, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश पर यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३ यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत २६,००,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

यह बहुत छोटी सी मांग है और यह सेन्ट्रल फंड जो केन्द्रीय सरकार का है, उसमें से सेन्ट्रल गवर्नमेंट कुछ अपना खर्चा २० परसेंट निकाल कर बाकी जो बचता है वह मोटर स्प्रिट एक्साइज ड्यूटी का रुपया सब स्टेट्स को दे देती है । यह रकम उसमें से ही मिली हुई है और उसमें ही यह मांग है । इसमें दो हेड हैं जिसमें यह खर्च की जायगी । एक तो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १७ लाख १८ हजार रुपया इसमें रखा गया है कि जो विभिन्न सड़कें पंचवर्षीय योजना के अन्दर हैं उसमें इस मद से खर्च किया जायगा ।

दूसरा ७ लाख ६५ हजार रुपया नैनीताल जिले में भुवाली रामगढ़ सड़क को मुक्तेश्वर तक बढ़ाया जायगा उसमें खर्च होगा । उसका पूरा तखमीना तो १५ लाख रुपये का है लेकिन उसमें यह ७ लाख ६५ हजार रुपया दिया गया है बाकी ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी । १ लाख १० हजार रुपया इसमें ऐसा है कि जो छोटे-छोटे काम हैं और जो चल रहे हैं उनके लिये रखा गया है । यह सब इस तरह से खर्च किया जायगा । मैं इस पर अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता और ज्यादा नहीं अर्ज करता । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को इस पर अधिक मौका मिले । इसलिये मैं जवाब में कहूंगा । मैं आशा करता हूं कि यह मांग सदन स्वीकार करेगा ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय सभानेत्री जी, मैं आपकी आज्ञा से इस सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। यह एक छोटा सा अनुदान है २६ लाख रुपये का और इसके पहले सदन में सार्वजनिक निर्माण कार्य के संबंध में काफी बातचीत हो चुकी है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि यह एक बहुत छोटा सा अनुदान है, मैं भी कुछ ऐसी बातों की ओर ही प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा जो आंखों से ओझल हैं। यों तो सड़कों का महत्व देश की प्रगति के लिये बहुत ही अधिक है और स्वयं सरकार अपनी पुस्तकों में और अपनी रिपोर्टों में यह स्वीकार करती है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि सरकार इन ज्ञान की बातों को रिपोर्ट में तो छापने की कोशिश करती है लेकिन उन पर अमल नहीं करती और इस चीज से हमें ज़रा कष्ट होता है। नेशनल हाईवेज, प्राविन्शियल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स यह चारों इस तरह के रास्ते हैं कि जब तक उन चारों को बराबर तरक्की देने की कोशिश न की जाय तब तक काम नहीं चल सकता। सड़कों का काम जो होता है, उसमें मैं माननीय निर्माण मंत्री जी से क्षमा चाहूंगा इस बात का ध्यान बहुत कम रहता है कि किस प्रकार देश की आर्थिक उन्नति करने के लिये सड़कों के निर्माण की ज़रूरत है। एक व्यक्तित्व का निर्माण करना आवश्यक होता है और उसके नाम पर हमारे देश में सड़कें बनती हैं। उसका मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे समूचे प्रान्त का तो ज्ञान नहीं है क्योंकि मैंने अभी इतना भ्रमण या किताबों का अध्ययन नहीं किया है लेकिन जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पर ऐसी सड़कों के काम को भी छोड़ दिया गया है जिन पर चार पांच साल तक व्यय हो चुका है, साल दो साल में फिर वह रुपया जो उन पर लग चुका है बेकार हो जायगा। उन सड़कों को छोड़ दिया गया है कि जिनको युद्धोत्तर काल में बड़ा अच्छा स्थान दिया गया था। जैसे गोरकपुर से तमकुही रोड। उस सड़क पर गंडक के पुल को बनाने में २ लाख ६० हजार रुपया खर्च किया जा चुका है और उस सड़क पर भी ४ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। लेकिन अबकी बजट में उसके लिये कोई रकम नहीं रखी गयी है। लेकिन कहीं-कहीं, जैसे एक छावनी डाक्टर सैयद महमूद साहब की है, जो हमारी सरकार के कुछ रिश्ते में लगते हैं, वह बिहार के रहने वाले हैं, उस रिश्ते की वजह से उनकी छावनी तक सड़क बनाने के लिये एक लाख रुपया मंजूर किया जा चुका है। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्ति देखकर सड़कें बनायी जाती हैं न कि जो ज्ञान की बातें हैं उन पर अमल करके। अगर ज्ञान की बातों पर अमल किया जाय तो मैं समझता हूं कि इस देश के पुनर्निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी। अब यह प्रश्न जरूर है कि हम गांव की सड़कों को भी प्रान्तीय सरकार पर छोड़ दें। जिले की सड़कों को भी प्रान्तीय सरकार पर छोड़ दें। नेशनल हाईवेज और प्राविंशल हाईवेज सब को प्रान्तीय सरकार पर छोड़ दें। यह कठिन बात जरूर है। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से इत्तफाक करूंगा। वह चाहे कहें या न कहें। मैं तो यह जरूर सुझाव दूंगा कि जो गांव की सड़कें हैं, उनमें जो अभी श्रमदान सप्ताह मनाया गया उस प्रकार के कार्यों का बड़ा महत्व है और इन श्रमदान कार्यों से गांव की सड़कें बनायी जा सकतीं हैं। परन्तु इसमें जो कठिनाई है वह यह है कि गांव की सड़कों को लोगों ने तोड़कर खेत बना लिया है। और इस जमींदारी उन्मूलन के सिलसिले में लोगों ने बुरी तरह से तोड़ा है। इसलिये सरकार को ऐसा बंदोबस्त करना चाहिये कि इन सड़कों को गांव पंचायतें बनवायें और अगर गांव पंचायतें न कर सकती हों तो उनकी दिक्कतों को समझकर इसमें सरकार उन दिक्कतों को रफा करे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह था कि एक पूरी तरह से सुनियोजित योजना ऐसी हो कि सारे प्रान्त में सड़कों का जाल बिछ जाय। ऐसी कोई योजना अभी तक हमारे सामने नहीं है और अगर वह बनायी गयी है तो किताबों में है। मैंने जैसा कि अर्ज किया व्यक्तियों के ख्याल को छोड़कर और उसमें व्यक्ति भी आते हैं, उनका काम भी चल जाता है। मैं समझता हूं कि ज्यादा मुनासिब यह होगा कि जहां पर बड़ी-बड़ी मंडियां हों, जहां पर कच्चा माल मिलों को जाता हो, या कच्चा माल रेलवे स्टेशन को पहुंचाना हो और जहां एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने से मंडियों और कृषिकारों की तरक्की हो सकती है और छोटे-छोटे

[श्री गेंदा सिंह]

उद्योग धंधों के करने वालों की तरक्की हो सकती है इस तरह की योजना बना कर ऐसी सड़कें बनाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। करप्शन की बात बहुत ऊंचे पैमाने पर कही गयी। मैं ऐसी स्थिति में स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह विभाग कुछ अजीब विभाग है। इस विभाग में करप्शन करने वाले भी एक्सट्रीम पर हैं। दूसरे विभागों से कुछ चतुर है। चतुर कहिये या धूर्त कहिये। ऐसे खाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ इस विभाग में गैर मामूली ईमानदार भी हैं। इस विभाग में कोई थोड़ा सा ईमानदार रह कर अपने ईमान को बचा नहीं सकता है क्योंकि इतना प्रलोभन है कि उसकी ईमानदारी कायम नहीं रह सकती। जब तक उसमें कोई गैरमामूली ईमानदार स्वभाव का आदमी न हो तब तक वह ईमानदार नहीं रह सकता। मेरा अनुभव ऐसा है कि कुछ गैरमामूली ईमानदार भी हैं। और गैरमामूली ईमानदारों से कुछ दुश्मनी करने वाले भी हैं। मैं माननीय निर्माण मंत्री जी से जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि एक वर्ष का जमाना गुजर चुका। उन्होंने कुछ अनुभव किया होगा कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उन को पब्लिक की निगाह में आना चाहिये और इस बात का भी प्रबन्ध होना चाहिये कि जो गैरमामूली बेईमान हैं उनकी भी खोज पूछ होनी चाहिये। सरकार को कम-से कम अपना पिंड उनसे छुड़ाना चाहिये। अगर कोई भी निर्माण का कार्य कराना होगा तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराना पड़ेगा। अगर उसको ईमानदार नहीं बनायेंगे तो हमारी तरक्की का काम सारा रुक जायगा। इसलिये जितने भी इसमें मंत्री लोग हैं उन मंत्री लोगों के सामने यह आना चाहिये और जो लोग ऐसे हों कि जो खाने वाले हों उनको इस विभाग से दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये।

मुझे बड़ी निराशा हुई माननीय चतुर्भुज शर्मा की बातों को सुनने के बाद जब उन्होंने कहा कि यह तो स्वाभाविक है। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह संतोष कर गये कि यह तो स्वाभाविक है इसलिये अब इसके लिये यत्न नहीं किया जायगा, क्योंकि स्वाभाविक चीज के लिये यत्न क्या करना? लेकिन मैं कहता हूं कि करप्शन अस्वाभाविक है। मनुष्य का स्वभाव है अच्छा बनना, इसलिये वह स्वाभाविक छोड़ कर अस्वाभाविक क्यों बनेगा? उन्होंने यह कहा कि ३४ जिलों में तो उनको वह बुराई दिखाई नहीं देती। इतना सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि माननीय चतुर्भुज शर्मा को सार्वजनिक निर्माण विभाग में आने के बाद बुराई नहीं दीखती। पहले तो बुराई उनको दीखती थी, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग में आने के बाद बुराई नहीं दीखती है उन ३४ जिलों में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वहां जो ५ रुपया और १० रुपया सैकड़ा कमीशन की चर्चा चलती है कि वह कमीशन लेने के बाद भी ओवर-सीयर बेईमान नहीं कहा जाता, क्या यह चीज बन्द हो गयी है? वह तो आज भी जारी है? जिस दिन यह ५ रुपया और १० रुपया सैकड़ा कमीशन लेने की बात बन्द हो जाय उस वक्त सचमुच सार्वजनिक निर्माण विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग हो जायगा। मैं तो उस कमीशन को रिश्वत भी नहीं मानता हूं, इसलिये कि जिस युग में केवल एक परसेंट बिना रिश्वत लेने वाले हों तो कम रिश्वत लेने वाले को भी मैं समझता हूं कि भगवान ही है। इसलिये कमीशन लेकर के यदि पी० डब्ल्यू० डी० का आदमी किसी की जान छोड़ देता है तो मैं समझता हूं कि उसको रिश्वत लेने वाला न समझा जाय और वह बुराई नहीं है। लेकिन जिस दिन सार्वजनिक निर्माण मंत्री को विश्वास हो जाय कि ३४ जिलों में कोई बुराई नहीं है तो मैं इस सदन में खड़ा हो जाऊंगा उनको धन्यवाद देने के लिये और मैं धन्यवाद दूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को भी सुना और इस अनुदान का बजट में भी अध्ययन किया। यह अनुदान खास कर मेरी कांस्टिट्युएंसी के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अनुदान के अन्तर्गत मेरी कांस्टिट्युएंसी पिठौरागढ़ और चम्पावत में जो टनकपुर से पिठौरागढ़ तक मोटर रोड है उसके सुधार लिये और एक दो अन्य सड़कों के लिये ६

चलथी और घाट के पुलों के लिये अनुदान रखे गये हैं, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे साथ ही यह कहना है और यह दुख भी है कि यही अनुदान पिछले साल के बजट में मंजूर हो चुके थे लेकिन ये रकमें काम में नहीं आईं और बजट में ही किताबी चीज बन कर रह गयीं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर पूरा ध्यान देंगे और देखेंगे कि किन कर्मचारियों की गलती थी जिसका नतीजा यह हुआ कि ये रकमें सब लैप्स हो गयीं और पिछले साल इनके अन्तर्गत कोई भी काम इन सड़कों पर नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि इस साल जो बजट मंजूर हुआ है वह पूरे रूप में काम में आयेगा और यह सब काम, चलथी का पुल और घाट का पुल और सड़क जो पक्की करने का काम है वह अवश्य पूरे रूप में किया जायगा। मैं वैसे तो बधाई मंत्री जी को इसलिये भी देता हूं कि यहां से हर एक चीज बहुत ऊंचे-ऊंचे दर्जे की कही जाती हैं, मगर दुःख है कि वह कार्य रूप में परिणित नहीं हो पातीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कर्मचारी हैं वह कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं जिससे इस भवन से जो कुछ भी रकमें मंजूर होती हैं वह कार्य रूप में न लाकर उनकी अवहेलना की जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह भी नहीं है। कि सब कर्मचारी एक से हैं। जहां तक चीफ इंजीनियर साहब का सवाल है वह एक बहुत ऊंचे दर्जे के आदमी हैं, बहुत परिश्रमी हैं, न्यायपूर्ण हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनके नीचे जो नीचे दर्जे के कर्मचारी हैं वह लोगअपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन बातों पर पूरे रूप से छानबीन की जाय और जिसकी भी यह गलती हो उसको उसके लिये सजा मिलनी चाहिये।

मैं इसके अलावा यह बतलाना चाहता हूं कि मेरी कांस्टिटयुएंसी तिब्बत तक फैली हुई है। इस सदन के सदस्यों को भलीभांति मालूम ही है कि तिब्बत में कम्युनिस्टों का राज हो जाने से जो उस भोट के इलाके के लोग हैं वह व्यापार से रहित हो गये, उनकी आर्थिक अवस्था भी बिगड़ चुकी है। अगर उनके लिये हम इस वक्त न सोचें तो एक जमाना आयेगा जब कि हमको पछताना पड़ेगा और वे लोग हमारे देश से अपनी लायलटी खो देंगे और एक दिन कम्युनिस्ट हो जायंगे। मैं आशा करता हूं कि यह समय है जब कि सदन को विचारपूर्वक इस समस्या को लेना चाहिये और ठंडे दिल से इस बात को महत्व देकर पूर्ण तौर से इसका कोई न कोई उपाय सोचना चाहिए। अगर उन लोगों के लिए हम कोई व्यवस्था न बनायें तो एक दिन यह जरूर हो जायगा कि वह दुखी हो जायेंगे और हम लोगों से उदासीन होकर दूसरों की शरण में चले जायेंगे ऐसे ही। मेरे यहां दूसरा गंगोली का इलाका है। वहां पांच छः साल से लगातार अकाल होता जा रहा है तथा वहां के लोगों की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ चुकी है। उनके पास जेवर जितने थे वह सब बेंच चुके हैं। वहां पर भी एक सड़क के बनाने की योजना थी मगर इस साल के बजट में उसके लिए कोई रुपया नहीं रखा गया है। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बुभुक्षितः किम् न करोति पापम्, क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति। एक दिन जब कि भूख से आदमी बहुत ही पीड़ित हो जाता है तो रोजी पाने के लिये वह कोई भी पाप करने के लिये मुस्तैद हो जाता है। तो यह समय है जब कि हमें इस मिसाल से फायदा उठाना है कि "A stitch in time saves nine" (समय पर किये गये काम से काफी लाभ होता है।) कोई काम जो कि समय के अन्दर एक रुपये में हो जाता है अगर उस वक्त न किया जाय तो फिर वह दस रुपये में भी नहीं होता। तो यह समय है जब कि हमें गंगोली पट्टी गोली, बेल भरेम भेरंग तथा पुंगराव के जो इलाके हैं उन इलाकों के लोगों के लिए कुछ करने का अवसर है और यदि हम इस वक्त न कर सके तो एक जमाना आयेगा जब कि इन लोगों को बहुत तकलीफ हो जायगी।

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूं कि डेफिसिट एरिया होने की वजह से पहाड़ों में अनाज पहुंचाने में सरकार का बहुत रुपया खर्च हो जाता है। एक मन अनाज जो बसों से आठ आने मन के हिसाब से पहुंचाया जा सकता है, वही आदमियों के सिर पर चार-चार रु० मन के हिसाब से पहुंचाया जाता है। लाखों रुपया सरकार का इस तरह से खर्च हो रहा है। यह रुपया बच सकता है अगर मोटर रोड्स वहां बन जायं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ अपने विचार प्रकट करने के लिये मौका दिया। मैं आपके सामने इस अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन शब्दों के साथ मुझे यह कहना है कि कानपुर शहर की चकाचौंध को देख कर कानपुर जिले को भुला दिया जाता है। जैसी हालत कानपुर शहर की है, जिले की हालत बिल्कुल उसके विरुद्ध है। यदि कानपुर शहर की हालत को देखते हुये कानपुर जिले की सड़कों को, कानपुर जिले के यातायात के साधनों को नहीं सुधारा गया तो जिला शहर से बिल्कुल अछूता ही रह जायगा। मैं आपका इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सड़कें ली गई हैं, सरसौल से नरवल और अकबरपुर से रूरा की सड़कें हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पहले की ही पक्की सड़कें थीं जो कि कंक्रीट की बनी हुई थीं। अब सरकार ने उन्हें लिया है तो उनमें कोई ऐसी नयी बात नहीं है, वह तो पहले से ही पक्की थीं। दूसरी चौबेपुर से बेला विधूना रोड जो ली गई थी वह भी अब तक अधूरी पड़ी है। उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ पुल अब भी ऐसे हैं जो कि कच्चे हैं। साथ ही पांडव और रिन्द जो कि उनके रास्ते में पड़ते हैं अगर वहां पर पुल न बना तो इस सड़क से कोई लाभ नहीं होगा। यद्यपि यह सड़क बहुत ही आवश्यक है और ऐसे स्थानों से गुजरती है जहां से अब तक कोई आने-जाने का साधन नहीं था और इससे व्यापार में बहुत कुछ वृद्धि भी हुई, लेकिन फिर भी पांडव और रिन्द के पुल नहीं बने। इसलिये इन पुलों का बनाना बहुत आवश्यक है और मेरा निवेदन है कि इन दो पुलों के लिये सरकार अवश्य ही ध्यान देगी। इसके साथ ही साथ नानामऊ से बिल्हौर से रसूलाबाद के लिए जो सड़क मंजूर की गई थी उसमें मिट्टी ही पड़ कर रह गई और कोई काम नहीं हुआ है। असालतगंज से सिकन्दरा, ये स्थान ऐसे हैं कि जहां पांच छः मील के इर्द-गिर्द आने जाने के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है। अगर यह मार्ग भी ले लिया जाय तो वह बीच का हिस्सा जो मुख्य नगरों से अछूता रह जाता है वह भी उसमें आ जाय और वहां के खास-खास स्थान एक दूसरे से यातायात के साधनों से मिल जाने पर वहां के व्यापार में वृद्धि हो जायगी। इसके बाद गजनेर से मूसानगर सड़क पर मूसानगर के पास अगर जमुना नदी पर पीपों का पुल बना दिया जाय तो बावनी स्टेट से जो व्यापार कानपुर से चलता है, उसमें भी सहूलियत हो जायगी। इसी प्रकार भोगनीपुर से गऊघाट और सचेंडी से रमईपुर तक एक सड़क पहले नक्शे में आई थी परन्तु कुछ कार्य होने के बाद वह सड़क नक्शे में ही रह गयी। अगर यह भी जोड़ दी जाय तो इस तरह से कानपुर जिले में सड़कों का एक जाल बिछ जाता है। और जिस प्रकार शहर हरा भरा है, शहर में व्यापार बढ़ रहा है, उसी प्रकार जिला शहर से संबंधित हो सकता है और जिला भी सम्पन्न हो सकता है। इन सब बातों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि कानपुर शहर को देखते हुये जिले को न भुलाया जाय। यदि मजिले को भुलाया गया तो जैसा कानपुर शहर आगे बढ़ा हुआ है उसके मुकाबले में जिला कहीं पीछे रह जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीया सभानेत्री जी, जो हाउस के समक्ष माननीय मंत्री जी ने ग्रांट पेश की है, उस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि

यह ग्रांट नई सड़कों के लिये है तथा नई सड़कें बनी हुई हैं उनकी मरम्मत के लिये या पुल बनाने के लिये है। जहां तक हमारे जिले का सम्बन्ध है, हमारे जिले का इतना बड़ा क्षेत्र होते हुये भी मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा सौ मील लम्बी सड़क होगी। एक प्लान बना था उसके अनुसार कुछ सड़कों को पक्की करना तय हुआ और कुछ सड़कों पर सरकार की तरफ से मिट्टी भी डाली गई थी। वहां एक सड़क बनाना तय हुआ था, उस पर पुलियां बनीं, मिट्टी पड़ गई, लेकिन आज हालत यह है कि मिट्टी बही जा रही है और पुलियां टूट गई हैं। उस सड़क के पक्की करने के लिये इतना रुपया खर्च हो चुका है और मैंने माननीय मंत्री जी को भी उस सड़क के सम्बन्ध में लिखा, लेकिन आज तक कोई आश्वासन नहीं आया है। एक दूसरी सड़क सिकन्दराराव से जलेसर तक जाती है। डिस्ट्रिक्ट एटा में रेल नहीं है, इसलिये यह आवश्यक है कि वहां सड़कें बनाई जायं। जो सड़क दो जिलों को लिंक करती है उसको पक्का करना बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि कम से कम सिकन्दराराव से जलेसर तक १५, १६ मील की सड़क बना दी जाय। जब हम सिकन्दराराव से जलेसर जाते हैं तो करीब-करीब ३५, ४० मील के अन्तर से घूम करके जलेसर पहुंच पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कम से कम इस सड़क को बनवा देने की जरूर कृपा करें।

साथ में एक और सड़क है जो विजयगढ़ से अकरावत तक जाती है। उस सड़क की भी यही दशा है, वहां पर भी मिट्टी पड़ी और पुल बने। मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि अगर सड़क का काम शुरू कर दिया जाय तो हमारे क्षेत्र से कुछ श्रमदान और रुपया मिल सकता है। जितनी भी यह ग्रांट है इसमें से अगर माननीय मंत्री जी थोड़ा सा रुपया एक ही सड़क पर खर्च कर दें तो बड़ी कृपा होगी। जिला अलीगढ़ में और खासकर सिकन्दराराव के क्षेत्र में एक भी सड़क पक्की ठीक नहीं बनी है। जो बनी हैं उनकी भी दशा शोचनीय है, पुल टूटे हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, मुश्किल से मरम्मत हो पाती है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम इन पांच वर्षों में एक सड़क का निर्माण सिकन्दराराव के क्षेत्र में किया जाय। बस मुझे यही कहना है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—सभानेत्री जी, यह जो अनुदान है, यह संबंध रखता है सेन्ट्रल रोड फंड से, यानी हाई वे मार्ग, जिनके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। जहां तक मैं समझता हूं, राष्ट्रीय मार्ग की परिभाषा क्या है, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी परिभाषा दे दें और इसका स्पष्टीकरण कर दें क्योंकि मेरी समझ से जो राष्ट्रीय मार्ग है वह ऐसे मार्ग हैं जो कि एक जिले से सम्बन्ध रखते हैं और एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से मिलाते हैं। इस दृष्टि से जब मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिनको कि नेशनल हाई वे डेक्लेयर होना चाहिये था, और वे इस बजट में आना चाहिये थे लेकिन वे नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में आगे कहा है कि इस सदन में एंचातानी होती रहती है और लोग हल्ला करते रहते हैं, ऐसी सड़कों के लिये जिनकी कि बीस साल तक जरूरत न हो, यानी उन जिलों के माननीय सदस्य भी इस सदन में रोज कहा करते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसका कारण यह है कि आपका कोई प्लान, तरीका नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्टैन्डर्ड नहीं है। राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाने का अगर आपका कोई डेफ़निट क्राइटेरिया होता तो शायद इतना समय सदन का नष्ट नहीं होता। मैं देखता हूं कि हमारे जिले में बहुत भारी महत्वपूर्ण सड़कें हैं। खास कर मैं माननीय मंत्री जी से बताऊंगा कि गंगोत्री रोड एक राष्ट्रीय महत्व की रोड है। मद्रास, बंगाल और कलकत्ता के लोग उससे गुजरते हैं और गंगोत्री जाते हैं। इसके साथ ही तिब्बत का बार्डर भी मिलता है। अगर यह सड़कें नेशनल हाई वे नहीं हो सकतीं, राष्ट्रीय मार्ग नहीं हो सकतीं

[श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट]

तो कौन सी सड़क ऐसी होगी जिसको नेशनल हाई वे कहा जाय ? दूसरी सड़क जमुना रोड जो हिमांचल प्रदेश से मिलती है, मैं नहीं समझ सकता कि इन सड़कों की क्यों अवहेलना की गयी है ? मेरी समझ से इसके तीन कारण हैं। एक कारण तो यह है कि सरकार को ग़ैर-जानकारी इन सड़कों के मुताल्लिक है। अगर ग़ैर-जानकारी सबबुन है तो यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि सरकार जानते हुये भी इसके महत्व को नहीं समझती है। केन्द्रीय सरकार का इसमें दोष नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार से एक माननीय सदस्य ने सवाल किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें प्रान्तीय सरकार ने प्रभुत्व नहीं दिया है। दोष जो होता है वह इस सरकार का होता है। अगर जान करके भी इसको महत्व नहीं दिया जाता है तो सरकार इसमें गलती करती है। तीसरा कारण जो हो सकता है वह यह कि इसमें अवहेलना की जा रही है। अगर अवहेलना की जाती है तो इसमें बड़ा दुःख होता है और इसका परिणाम सरकार के प्रति अच्छा नहीं होगा। तीनों कारणों में से जो भी कारण होगा वह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है और सरकार के लिये बड़ी घातक बात होगी क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकार ने वहां मेले पर ८, १० कान्सटेबिल सुरक्षा के लिये रखे हैं। ८, १० कान्सटेबिल सुरक्षा का क्या इन्तजाम कर सकेंगे जब तक कि वहां मोटर कम्यूनिकेशन न पहुंचे ? इन बातों को देख करके मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह महत्वपूर्ण सड़कें जो हैं उनको नेशनल हाई वे, (राष्ट्रीय मार्ग) घोषित किया जाय और केन्द्रीय सरकार से यह अर्ज किया जाय कि इनको रोड प्रोग्राम में इन्क्लूड करें।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—श्रीमती सभानेत्री जी, आज जो एक इस छोटी सी प्वांट पर हमको बोलने का मौक़ा दिया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। जहां तक सड़कों की बात है मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश या इलाके की तरक्की और निर्माण वहां के यातायात के साधनों से होता है। जब हम अपने प्रदेश के यातायात के साधनों की ओर देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। सवाल इस बात का नहीं है कि कहां, और कितनी सड़कें बनती हैं। सवाल तो इस बात का है कि इस डिपार्टमेंट ने हमारे प्रदेश का अख़लाक़ नीचे गिरा दिया है। मैं एक ही बात कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय अपने ऊंचे उपदेशों के द्वारा सब से पहले डिपार्टमेंट के अन्दर वह हवा पैदा करें जिससे उनके ठेकेदार, ओवरसियर और इंजीनियर अपनी तरफ से जनता में विश्वास पैदा करा सकें कि जो कार्य वह कर रहे हैं वह निर्माण का है भक्षण का नहीं है। जब तक यह बात नहीं होती तब तक सड़क बनने से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह डिपार्टमेंट इस बात की पूरी कोशिश करेगा हालांकि यह बात हर साल कही जाती है। दूसरी ओर पैसे की कमी है और माननीय मंत्री जी के हाथ बंध जाते हैं कि हम इस तरक्की के काम को कैसे करें और कहां से करें ? तो एक तरफ तो यह मायूसी और विभाग की यह हालत और जनता के अन्दर अविश्वास, इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। जो बड़े-बड़े आदमियों ने इस डिपार्टमेंट के बारे में बतलाया है उसे सब अच्छी तरह जानते हैं और मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो फिर कल्याणकारी राज्य और वर्गहीन समाज की बातें कैसे पूरी हो सकती हैं ?

समय थोड़ा होने के कारण मैं अभी एक बात अपने जिले की भी कहे देता हूं। मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बुलन्दशहर की जो फेहरिस्त आपके पास है वह बिल्कुल ग़लत है। वहां सन् ४६ के बाद से जब से यह गवर्नमेंट आई एक भी सड़क किसी किस्म की आज तक नहीं बनी। वहां कोई मेरे साथ चलकर देखे। सन् ४६ से एक भी सड़क नहीं बनी। तो जनता में उसके बारे में कुछ न कुछ विचार

हो सकते हैं। हां, एक बात है कि वहां स्टाफ पूरा है और उसके लिये कुछ न कुछ इधर-उधर के काम निकलते रहते हैं। उनमें भी जनता को कष्ट निकलता है। अभी वहां के डिप्टी कमिश्नर साहब ने जाकर देखा था कि वहां इस विभाग के आदमियों के काम करने की वजह से जनता को कष्ट पहुंचा। एक सड़क की लाइनिंग के लिये एक ओवरसियर को भेजा और लहलहाती हुई खेती कटवा दी गई। ८० बीघे जमीन उसकी कटवा दी गई जब कि कानूनन उसे नहीं कटवा सकते थे, क्योंकि वह एक्वायर नहीं की गई थी। जब ओवरसियर साहब से कहा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरी ओर लोग धमकाते हैं और अगर उधर से नहीं कटवाते तो क्या करते? जब डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर साहब से कहा गया तो जवाब मिला कि ओवरसियर छोटी तनख्वाह वाला आदमी है, उनके जरिये से ऐसी बातें हो जाया करती हैं। ये दलीलें हमको देने के लिये हों, लेकिन जनता के सामने तो वे कारनामे हैं जो विभाग की ओर से होते हैं और मैं आशा करता हूं कि विभाग इसे सतर्कता के साथ और दिलचस्पी के साथ सुधारने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, तफसील से तो जब कहूं जब वहां कोई सड़क हो। वरना जब कोई बनी ही नहीं तो फिर कहने की क्या बात है? इसलिये मैं आशा करता हूं कि कुछ न कुछ सड़क तो इस पंचवर्षीय योजना में वहां के लिये ले ली जायगी, यही मुझे अर्ज करना है।

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—माननीया सभानेत्री जी, मैं आपका ध्यान पूर्व की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, खास करके रिहान्द बांध की तरफ। वह हमारे यहां सबसे बड़ा बांध है जिसके लिये बराबर टाला जा रहा है। हमारी सरकार हर साल दस लाख रुपया दे देती है, दाल में नमक के बराबर, और कोई ध्यान इस पर नहीं दिया जाता है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां बाढ़ आया करती है। गोरखपुर, देवरिया के तरफ। बिहार में भी बांध है और बलिया में भी बांध है तो राप्ती और घाघरा नदियों का पानी किधर जाय। एक सड़क है जो बरहज से गोठनीघाट तक जाती है। इसकी हालत बहुत खराब है। इसका पुल टूट जाने से हर साल इसका इलाका बाढ़ का शिकार बन जाता है। इस प्रकार से एक नई सड़क निकाली जा रही है। वहां हरिजनों के छोटे-छोटे खेत हैं उनको खत्म किया जा रहा है। जब कि पुरानी सड़क मौजूद है उसको छोड़कर नई सड़क निकाली जा रही है। यह थोड़े से ठाकुरों के लिये किया जा रहा है। इसलिये यह डिपार्टमेंट इन्हीं लोगों को खुश करने के लिये है।

इस विभाग में आजकल कितना रुपया लिया जाता है इसका कुछ शुमार नहीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि और विभागों में आम जनता से घूस ली जाती है लेकिन यहां पर जो सरकार से रुपया लिया जाता है उसमें से काट लिया जाता है और ठेकेदारों से इंजीनियर, ओवरसियर वगैरा ले लेते हैं। सरकार जितना रुपया कामों पर खर्च करती है उसका एक-चौथाई तो सरकारी कर्मचारियों के पास ही घूस में चला जाता है और बाकी रुपये से काम होता है।

हमारे यहां यातायात के साधन न होने से बड़ी ग़रीबी है। हमारे यहां के लोग खानों में काम करते हैं और साधन न होने की वजह से अपनी चीजों को बाजार में नहीं ले जा सकते हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो सरकार का एक नियम है कि वहां के इलाके के आदमियों को उजाड़ कर ऊपर के स्थान को बसाया जाय। लेकिन मैं देखता हूं कि दक्षिण का इलाका हर साल बाढ़ में बह जाता है लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे यहां पिंडी से लेकर तमखोही रोड तक भाटपार होते हुये सड़क जाती है वहां कुछ नहीं है। गंडक नदी के बीच में बहने की वजह से वहां का वह इलाका हमारे जिले से अलग हो जाता है और न वहां सरकार के आदमी जा पाते हैं

[श्री बद्रीनारायण मिश्र]

और न कांग्रेस के ही आदमी जा पाते हैं। वहां के लोग इतने पिछड़े हुये हैं कि उनका कुछ वर्णन नहीं कर सकते और मालूम होता है कि वहां कोई हुकूमत ही नहीं है। यातायात के साधन न होने से गरीबी की बड़ी जटिल समस्या है। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां कोई भी पक्की सड़क नहीं है। खास कर सलेमपुर तहसील में एक लार कस्बा है वह सड़क से केवल ५ मील रह जाता है। उसकी वजह से आदमियों को वहां आने-जाने में बड़ा कष्ट और असुविधा होती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कस्बा इस सड़क से मिला दिया जाय। मुझे इतना ही कहना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे और अपने विभाग में घूसखोरी बन्द कर देंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीया सभानेत्री जी, गत स्वतंत्रता के ६ सालों में इस प्रदेश की सरकार ने माल और एग्रीकल्चर, एजूकेशन और पुलिस तथा पंचायत राज आदि मुहकमों में जो कुछ कार्य किया है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश का बच्चा-बच्चा गौरव कर सकता है और हम ही उसकी सराहना नहीं करते हैं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी, इस प्रदेश की सरकार की ओर से जनता के लिये जो महान कार्य इन छः वर्षों में हुआ है उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी बहुत कुछ काम हुआ है। किन्तु ६०० मील लम्बे और ३०० मील चौड़े सूबे के लिये सीमित साधन होने के कारण जितना कार्य होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है। जिस तरीके पर कार्य चल रहा है उस तरीके पर मुझे तो संतोष नहीं। मुझे विश्वास अपनी सरकार पर है, अपने मंत्रियों पर है और इस हाउस पर है और हम सब के सब यह चाहते हैं कि उसका सुधार हो। न जाने क्यों इसको एक टेक्निकल मुहकमा बतलाकर उसके सुधार से आंखें बन्द कर ली जाती हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब भी एक टेक्निकल आदमी हैं। अगर हमारा दिमाग उन टेक्निकैलिटीज़ की तरफ नहीं जाता तो हमारे चीफ़ इंजीनियर साहब की जो विशेष जिम्मेदारी है और जो उनके नीचे मुहकमे में करप्शन चल रहा है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी वह अपने कंधों पर लें और अगर उनके होते हुये, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स के होते हुये उनके मुहकमों में करप्शन चलता है तो वह जिम्मेदारी उनकी है। आज किसी भी जिले में चले जाइये इतना भ्रष्टाचार इस मुहकमे में फैला हुआ है कि १२ फी सदी खुले आम दिन-दहाड़े इंजीनियर, ओवरसियर लोग कण्ट्रैक्टर्स से ले लेते हैं और २ फ़ीसदी कंट्रैक्टर्स से आफिस वालों का लिया जाता है। यह आज किसी से छिपा नहीं है। अक्सर आदमी यह कहा करते हैं कि कौन सा तरीका है इसके सुधार का। मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न आया करता है और मैं यह सोचता हूं कि क्या इस मुहकमे का सुधार एक रशा की लड़ाई हो गयी कि नैपोलियन और हिटलर भी रूस में हारे। क्या जितनी भी गवर्नमेंट्स, जितने भी मिनिस्टर्स, जितने भी चीफ इंजीनियर्स बनते चले जायेंगे वे इस मुहकमे का सुधार न कर सकेंगे, उनकी अक्ल से और उनके परिश्रम से इसका कोई सुधार न हो सकेगा, मैं ऐसा समझने में अभी तक सहमत नहीं हूं। मैं तो यह समझता हूं कि जहां चाह वहां अवश्य ही राह है। मैं इस पर विश्वास करता हूं और अगर इस विश्वास के साथ हमारे इस मुहकमे के आदमी, हमारे इस सदन के सब भाई, हमारे मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर महोदय इस प्रयत्न को करें तो हम बड़ी हद तक इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आज राष्ट्र के बहुत निर्माण इसी महकमे के जरिये से होते हैं, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के कार्य में जनता से कच्चा कार्य हम ले रहे हैं और इस विभाग के जरिये से उसे पक्का करना चाहते हैं। करोड़ों रुपया इस महकमे के लिये रखा जाता है, किन्तु खेद है कि गत वर्ष रखा गया रुपया अभी तक भी खर्च नहीं हो सका। मैं तो समझता हूं कि यातायात के साधन एजुकेशन की दृष्टि से, सार्वजनिक

हित की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, ग्रो मोर फूड कैम्पेन की दृष्टि से, हर क्षेत्र में यह मुहकमा एक विशेष महत्व रखता है। लेकिन यह सब कुछ होते हुये भी जो कुछ मुहकमे में कार्य हो रहा है वह सर्वथा सराहनीय नहीं कहा जा सकता है बल्कि वह एक निन्दनीय कार्य है, हम इसको कहे बगैर नहीं रह सकते हैं। आज उसके भारी सुधार की आवश्यकता है। हमारे मदनमोहन जी और त्रिपाठी जी वगैरह हैं, खैर उनको तो एक आदत सी हो गयी है कि हर एक बात में, अच्छे से अच्छे कार्य में भी वे बुराइयां निकालेंगे, लेकिन मैं बुराई निकालने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं बल्कि सीधे स्वभाव अपने देश का ध्यान रखते हुये और यह समझते हुये कि यह मुहकमा जो आज पब्लिक मनी के वेस्टेज का मुहकमा बना है उसके सुधार की दृष्टि से हम लोगों को क्या करना चाहिये। उस दृष्टि से मैंने इस सदन के सामने अपने विचार रखे हैं और मैं यह सोचता हूं कि आज हमारे इस सदन के ४३० के करीब सदस्य हैं, उनके समझ में बहुत से सुझाव आ सकते हैं, जिले की एक कमेटी हो सकती है, प्रत्येक सदस्य की अपनी कांस्टीटुएंसी में जो पब्लिक निर्माण का कार्य हो रहा है उसकी वह देख-भाल कर सकती है कि कितना सीमेंट का कार्य ठीक हुआ, कितनी ईंटें अच्छी लगी हैं, सड़कों के निर्माण का कार्य जिस ढंग से चल रहा है। मुजफ्फरनगर जिले के बारे में मैंने गत वर्ष शिकायत की थी कि वहां एक रिफ्यूजी कालोनी बनी है। उसमें लगे सीमेंट को मैंने हाथ से देखा तो बिल्कुल रेत सी थी। पता चला कि जो कैमिकल्स लिये गये उनमें वह सीमेंट ठीक निकली। अगर मेरी आंखें धोखा दे सकती हैं तो माननीय मंत्री जी अपनी आंखों से जाकर देख लें और जिस मुहकमे ने उसको पास किया है उसी मुहकमे से अगर रिपोर्ट ली जाती है तो यह साफ ही है कि वह उसको संतोषजनक लिखेगा।

इस्टैब्लिशमेंट पर भी हमारा खर्चा कम बतलाया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स जितने भी हैं वे सारे के सारे निरर्थक हैं और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं चाहे पी० डब्ल्यू० डी० हो, चाहे इर्रीगेशन हो, चाहे एलेक्ट्रिसिटी हो उनमें कोई टेक्निकैलिटी आ जाती है और करप्शन घुस जाता है। माननीय राजगोपालाचार्य ने कहा कि कम्युनिस्ट नम्बर १ शत्रु है उनके स्टेट का और पी० डब्ल्यू० डी० नम्बर २ शत्रु है। मैं यह नहीं कहता हूं, पी० डब्ल्यू० डी० हमारा शत्रु है लेकिन उनकी कार्यवाही एक शत्रु की तरह हो रही है। इसलिये मेरी इस विभाग के अफसरों से और माननीय मंत्री और उपमंत्री से यही प्रार्थना है कि पी० डब्ल्यू० डी० अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति महसूस करें और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये वे इस मुहकमे के सुधार की कोशिश करें।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीया सभानेत्री महोदया, किसी देश की उन्नति तथा और प्रकार के निर्माण के पहले उस देश की सड़कों का निर्माण होना अति आवश्यक है। मुझे तो प्रान्त के हर जिले की सड़कों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे देवरिया के बारे में कहना है। देवरिया एक तराई का जिला है। जहां बहुत कम सड़कें हैं। वहां तो देहातों में कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पांच-पांच, छै-छै मील की दूरी तक एक भी सड़क नहीं है। अभी जो ए० पी० स्कीम में वहां पर गल्ला गया था तो सड़कें न होने की वजह से आठ-आठ, दस-दस मील खुद आदमी उसे ढोकर ले जाते थे। इतना ही नहीं, उस जिले में बहुत सी गन्ने की मिलें होने की वजह से सड़कों का ज्यादा होना अति आवश्यक है। केन सेस से यू० पी० गवर्नमेंट को ६० लाख रुपया प्राप्त होता है, लेकिन जिले के अन्दर कोई ऐसी सड़क नहीं है जोकि पक्की हो। एक सड़क देवरिया से हो कर पडरौना तक जाती है। उस सड़क पर ज्यादा से ज्यादा बसें चला करती हैं और पडरौना से खड्डा तक एक सड़क जाती है। वह खड्डा से लेकर देवरिया तक संबंध रखती है। उसके एक ओर बरहज पड़ता है। उस सड़क पर बसें चला करती हैं और सड़क खराब होने के कारण बसें बराबर खराब हो जाया करती हैं और बिगड़ी हुई पड़ी रहती हैं। तो मंत्री महोदय से मेरी यह प्रार्थना है कि उस सड़क को कम से कम पक्की बनवा दें और जो गोरखपुर से पडरौना-तमकोही रोड जाती है वह सड़क भी

[श्री रामसुभग वर्मा]

बहुत दिन हुये बननी शुरू हुई थी, पहले उस पर मिट्टी डाली गयी, उसके बाद ईंटें पड़ीं, बाकी उसी तरह से पड़ी हुई हैं। उसकी हालत यह रही कि उसका एक ठेकेदार ने ठेका लिया और एक ओवरसियर कायम हुये लेकिन वह सड़क नहीं बनी। उसमें यह होता है कि जब ठेकेदार ठेका लेता है, मान लेते हैं कि १० हजार पर ठेका लिया गया तो उसके बाद वह ठेकेदार यह सोचने लगता है कि इसमें से ३ हजार बचाया जाय। तो तीन हजार के बचाने के लिये तीन हजार नीचे से ऊपर तक के कर्मचारियों को इनाम बांटता है। उसी तीन हजार में वह अपना काम पूरा करता है। अगर ऊपर से कोई देख-रेख को आता है तो चूंकि भेंट लिये हुये होता है, वह उसको तसदीक कर देता है। मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो सड़कें हैं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी जायं और यह जो सेस का ६० लाख रुपया वसूल किया जाता है उसमें से कम से कम, देवरिया-बरहज से, देवरिया से खड्डा तक जो सड़क जाती है उसको पक्का बना दिया जाय तथा कसिया-तमकोही रोड और पडरौना रोड जो निहायत जरूरी है उनको सरकार अपने हाथ में लेकर बनाये।

दूसरी बात यह है कि गांव सभाओं को सरकार अपनी तरफ से मदद दे और जैसा कि श्रमदान यज्ञ हुआ था उसी के अनुसार वे लोग भी एक गांव से दूसरे गांव तक सड़कें बनाना शुरू कर दें जिससे जिले भर में सड़कों का जाल बिछ जाय और हर एक गांव से दूसरे गांव का संबंध स्थापित हो जाय। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---मुझे भय है कि जब प्रान्त के समस्त जिलों की चर्चा इस सदन में हो रही है और प्रदेश के हर जिले की सड़कों का जिक्र किया जा रहा है, तो माननीय मंत्री जी का हाफ़िजा दुरुस्त रहेगा या नहीं।

जब हम यहां से लौटकर अपने अपने जिलों में जायेंगे तो हमारे क्षेत्र वाले भाई यह जिक्र करेंगे कि तुमने अपने क्षेत्र की सड़कों का वहां जिक्र किया या नहीं? लेकिन मैं जिस सड़क का जिक्र कर रहा हूं वह केवल एक जिले से संबंध नहीं रखती बल्कि इस सूबे से और सूबे से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंध रखने वाली है। सभानेत्री जी, आपको मालूम है कि बस्ती जिले के उत्तरी भाग में बुद्ध भगवान का जन्म स्थान लुंबिनी कानन जिसे रोमनदेही भी कहते हैं। उस जगह अपने ही प्रदेश के नहीं बल्कि लंका, चीन और जापान आदि विभिन्न देशों से लोग आते हैं। इस कारण वह स्थान एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बस्ती जिले में केवल २०० मील के लगभग पुख्ता सड़कें हैं और बस्ती केन्द्र से ३२/३३ मील तक जाती हैं। बस्ती से बांसी ३२ मील है, वहां तक सड़क जाती है वहां से एक क्षेत्र है जिसकी सरहद नैपाल से मिलती है। वहां से बुद्ध भगवान के जन्म स्थान को सड़क बन रही है।

मैं इस वक्त इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा कि इस विभाग में कितना करप्शन है क्योंकि अनेकानेक बार मैं इस करप्शन के बारे में जिक्र कर चुका हूं, यह एक ही विभाग की बात नहीं है करीब-करीब सब विभागों की बात है और इस विभाग को इस दृष्टि से देखना है कि इससे काम कराना है तो उनको हतोत्साह नहीं करना है, बल्कि जो त्रुटियां उसमें हैं उनको पूरी कराना है। तो यह ३२ मील की जो सड़क है वह २४ मील और जाती है जिसका निर्माण कार्य हो रहा है। इसके लिये मैं इस विभाग को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस मंद गति से यह काम हो रहा है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बीच में राप्ती नदी और बानगंगा दो नदियां पड़ती हैं जिन पर अभी तक पुल नहीं बनाये गये हैं। जब तक वह पुल नहीं बना दिया जाता है तब तक वहां का यातायात ठीक तरीके से नहीं हो सकता है। और जब नैपाल में उथल-पुथल हो रही है और वहां तरह-तरह की बातें सुनने में आती हैं, कम्युनिस्टों की बात भी कही जाती है तो वहां से संबंध रखने के लिये अपने सूबे और जिले से तो संबंध होना ही चाहिये। और तब तक यह संभव नहीं है जब तक कि हमारे निर्माण कार्य और खसूसन ये रोड्स और सड़कें ठीक नहीं होती हैं। इस वास्ते मैं माननीय मंत्री महोदय

से निवेदन करता हूं कि वे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज के उलझन में न पड़ें और गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी कुछ मांग पेश करें। क्योंकि ये सड़कें उपेक्षित होने वाली नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी और अपने यहां से भी कुछ बचत करके जब कि आज नैपाल की दुर्दशा मालूम ही है और यहां तक लोग कहते हैं कि तिब्बत तक भी उन लोगों का आक्रमण होने वाला है, इस यातायात के साधन को ठीक करना जरूरी है। यहां तक कि दारुल सल्तनत लखनऊ-फैजाबाद सीमेंट रोड बनायी जा रही है तो आखिरकार वह सीमेंट रोड कहां पहुंचती है। वह नैपाल बार्डर ही पर पहुंचती है जहां पर कि बुद्ध भगवान का जन्म स्थान है। इस वास्ते मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वे छोटी-मोटी सड़कों के झगड़े में न पड़कर इधर ध्यान दें और वहां पर पुल भी बनवा दें। जहां तक फर्स्ट फेज में सड़कों के लेने की बात है, बांसी से मेंहदावल तक जो सड़क जाती है वहां पर अरसा हुआ मिट्टी दिये हुये लेकिन कोई ध्यान न देने से मिट्टी गिरती जा रही है। इसके वास्ते मैंने लिपिबद्ध प्रार्थना की थी और आज भी मैंने लिखकर दे दिया है कि माननीय मंत्री महोदय उधर ध्यान दें। मैंने माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि वे स्वयं चलकर ही वहां की हालत को देख लें, लेकिन रुग्णावस्था के कारण वे नहीं जा सके, लेकिन मुझे आशा है कि बस्ती जिला जो इस प्रान्त का सबसे बड़ा जिला है और जहां कुल दो सौ मील ही पुख्ता सड़क है वहां की और सड़कों को भी पुख्ता कराने की तरफ विशेष ध्यान देंगे। अगर आप कहते हैं कि हम पंचवर्षीय योजना को लेकर चलेंगे और-और भी बहुत से निर्माण कार्य करने हैं तो मैं देखता हूं कि इस माने में हमारा बस्ती जिला बहुत ही उपेक्षित रहा है। यह स्टेट जो कि वेलफेयर स्टेट कहलाता है और जहां के मंत्री इसका हमेशा ख्याल रखते हैं मुझे आशा है कि वे हमारे जिले की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और यह सड़क जो बुद्ध भगवान के जन्म स्थान रोमनदेही तक पहुंचती है उसके निर्माण कार्य में शीघ्रातिशीघ्र सतत् प्रयत्नशील होंगे।

श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं देवरिया जिले के उस क्षेत्र की बात सदन के सामने रखना चाहता हूं जो कि मेरे जिले से ही नहीं बल्कि सूबे से बिलकुल अलग है। देवरिया जिले के अन्दर सलेमपुर तहसील से केवल एक मील के बाद भाटपार एक ऐसा क्षेत्र है। जहां एक छोटी सी गंडकी नदी होने के कारण और उस पर पुल न होने के कारण वह जिले से ही नहीं बल्कि सूबे से बिलकुल अलग है। भाटपार जिले का एक अच्छा बाजार होते हुये भी और कोशिश करते रहने पर भी वहां पर कोई तारघर नहीं है। मैंने पो० एम० जी० से मालूम किया तो मालूम हुआ कि वह क्षेत्र यू० पी० में नहीं है, बल्कि बिहार में है। जहां तक तारघर का संबंध है वह बिहार के ही हिस्से में पड़ता है। देखने से भी मालूम होता है कि वहां सारा काम बिहार क्षेत्र से ही होता है। तो मेरी प्रार्थना है कि केवल एक पुल न होने के करण वहां की ऐसी हालत है। सन् ४६ में जब पंडित जवाहर लाल जी दौरे के लिये उधर गये थे तो उन्होंने अपना प्रोग्राम तो बनाया था लेकिन केवल नदी पार न कर सकने के कारण वे वहां नहीं पहुंच सके। फिर जब पंडित जी इलाहाबाद पहुंचे तो उन्होंने दूसरा प्रोग्राम बनाकर वहां से विजय लक्ष्मी पंडित को भेजा। तो वह एक ऐसा एरिया है जो मेरे जिले से बिलकुल अलग है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान वहां एक छोटा सा पुल बनवा देने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वहां कोई जिलाधीश भी जब वह सारे क्षेत्र का दौरा करने निकलता है तो उसी सिलसिले में साल में केवल एक बार वहां पहुंच पाता है। तहसील के जो हाकिम परगना हैं उनकी भी वही हालत है, इसलिये कि सड़क से जाने का प्रबन्ध नहीं है। उस क्षेत्र में लाखों की संख्या होते हुये भी डाकखाने केवल दो हैं। स्कूल बहुत से हैं लेकिन ट्रेनों से लड़के बड़ी-बड़ी दूर से पढ़ने आते हैं क्योंकि सड़कों की हालत खराब है। मेरी प्रार्थना है कि सड़क का काम छुआ तक नहीं गया है उस, की ओर ध्यान दिया जाय। अगर कोई डकैती हुई, थाना उस हद के अन्दर है लेकिन अगर हेडक्वार्टर से फोर्स मंगानी पड़ी तो सड़क होते हुये भी वह फोर्स नहीं पहुंच सकती इसलिये, कि पुल नहीं है।

[श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी]

मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वह हिस्सा बिहार से मिला दिया जाय, वह हिस्सा अपना है, अपने साथ रहना चाहिये। इसलिये प्रार्थना करूंगा कि वह पुल शीघ्रातिशीघ्र बनवा दिया जाय, ताकि वह क्षेत्र जिले से फायदा उठा सकें क्योंकि सलीमपुर नदी से केवल एक मील इधर पड़ता है। अभी जब सरकार कोयला, सीमेंट इत्यादि हर एक चीज कुएं बनाने के लिये देने जा रही है तो वह क्षेत्र ऐसा है कि दो तीन मील तक बैलगाड़ी से कोयला ले जाया जाय तो १० रुपया भाड़ा पड़ता है इसलिये साधन जो सरकार दे रही है उस क्षेत्र में अच्छी सड़कें न होने की वजह से वह इन साधनों से वंचित रह जाता है। इसलिये मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वह उधर ध्यान दें और पुल बनवाने की कोशिश करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीया सभानेत्री जी, मुझे आज माननीय मंत्री जी का भाषण सुन कर कुछ ताज्जुब सा हुआ। मैं यह आशा तो नहीं करता था कि माननीय मंत्री जी हमसे जैसा और लोगों से कहा करते हैं, भी कहेंगे कि आप सबको करप्ट बता देते हैं, ऐसी बातें वह कहेंगे यह आशा नहीं थी। हमने कभी यह नहीं कहा कि इस डिपार्टमेंट में जितने हैं सभी करप्ट हैं। करप्ट भी हैं और अच्छे भी हैं लेकिन अगर अच्छों की तारीफ करने लगें तो गड़बड़ हो जायगी, इसलिये अच्छों की तारीफ करना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा करप्ट वालों की बात कही गई। वैसे तो मंत्री महोदय जो इस विभाग के हैं जहां तक उनका सवाल है, मैं उनको बताये देता हूं कि वह बेचारे बहुत रिस्पांसिव हैं, उनके पास जाते हैं तो वह सुनते तो हैं, कोशिश करते हैं लेकिन यह तो हमारे प्रान्त की बदकिस्मती है कि जो यह उनका डिपार्टमेंट है वह इतना रद्दी है कि उनकी बात नहीं सुनता और वह कह देते हैं कि क्या करें लाचार हैं, नीचे वाले यह सब करते हैं। इसलिये मैं उन्हें बताये देता हूं कि वह क्यों ऐसे डिपार्टमेंट में आकर पड़ गये, किसी अच्छे डिपार्टमेंट को संभालते तो अच्छा होता।

अपनी-अपनी सड़कों के बारे में सब माननीय सदस्यों ने कहा और मुझे खुशी हुई कि यह नहीं हो सकता कि इन बातों का हमारे प्रान्त की हुकूमत पर कुछ असर न पड़े। बल्कि जो हमारी केन्द्रीय सरकार है उस पर भी शायद कुछ असर पड़े कि सड़कों के साथ-साथ रेलवेज भी बढ़ें ताकि यातायात के साधन ठीक हों। जब हमारे भाषणों को वहां शास्त्री जी पढ़ेंगे और महसूस करेंगे तो रेलें भी बढ़ने लगेंगी। बुद्ध मंदिर इन्टरनेशनल है। रेल वहां पहुंच जाय तो बहुत अच्छा है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां रेल जा सकती है लेकिन हम बदकिस्मत जो पहाड़ की चोटियों पर रहते हैं वहां रेल जाने का सवाल पैदा नहीं होता। यह विभाग इतने महत्व का है और सभानेत्री महोदया, क्योंकि हाईवेज की बात है और हमारा सारा दारोमदार सड़कों पर निर्भर है, बद्रीनाथ और केदारनाथ हमारे यहां बड़े-बड़े धाम हैं, वहां पर अच्छी सड़कें बनाने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने ६ साल पहले २४ लाख रुपया मंजूर किया था कि वहां तक सड़क बनाई जाय। वह सड़क सिर्फ जोशीमठ तक बनी है और उसके आगे वह सड़क नहीं बनाई गई। इसलिये नहीं बनाई गई कि हमारे जो बड़े-बड़े लोग हैं उनको पहाड़ों की चट्टानों को काटने में डर लगता है। वह कहते हैं कि हम जाओलाजिस्ट्स से पूछेंगे। उसमें एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और दूसरे इंजीनियर जितने हैं ऐसी टेक्निकल बातें कर देते हैं ऐसे टेक्निकल आब्जेक्शंस कर देते हैं कि जिससे वह काम नहीं बन पाता। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाय, क्योंकि यह तिब्बत के पड़ोस का इलाका है और अगर वहां कोई घपला हुआ तो इधर के लोगों को बचाने में बड़ी मुश्किल पड़ सकती है। गोरिल्ला वारफेयर ऐसी जगह पर हो सकता है जहां इस समय ट्रांसपोर्ट के कोई साधन नहीं हैं। इसलिये बद्रीनाथ वाली सड़क को, जिसको २४ लाख रुपया सेंट्रल फंड से मिला है, जल्द से जल्द जरूर पूरा किया जाय। दूसरी सड़क केदारनाथ वाली २४ मील रुद्रप्रयाग से काशीपुर तक जो है उसमें १६ लाख रुपया खर्च हो गया है। वह सड़क बनाई तो गई लेकिन २ मील

बीच में छोड़कर फिर आगे को बनी है। उससे काठमांडू तक मोटर वगैरह जाने का रास्ता नहीं है सिर्फ हवाई जहाज से पहुंचा जा सकता है तो अगर वह सड़क सरकार बना दें जिसके लिये रुपया मंजूर है तो आगे की सड़क वहां की जनता बना लेगी। अभी गढ़वाल के लोगों ने, वहां की जनता ने ४० मील सड़क बनाई तो ऐसा उत्साह वहां की जनता में है। उनके उत्साह को मंत्री जी खत्म न होने देंगे। कोई किसी का मुंह लगा होता है कोई किसी का। कुछ हमारे मंत्री जी के मुंह लगे हैं तो कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह लगे हुये लोग भी हैं। ऐसे ही एक अफसर हमारे डिवीजन के अन्दर पड़े हुये हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो रुपया हमारा मंजूर हुआ है वह लैप्स हो गया और खर्च नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी को दोष नहीं देता लेकिन दोष इस बात का है कि सड़क मंजूर है लेकिन रोड़ा अटकाने के लिये इंजीनियर हैं। उन्होंने यह कहा कि यह सड़क इधर से न जाकर उधर से जाये। पंत साहब जो इंजीनियर हैं उन्होंने कहा कि यह जल्दी बन जायेगी इसमें आपको क्या एतराज है। मैंने कहा हमको कोई एतराज नहीं है। ८ लाख का एस्टीमेट है और अब ११ लाख का एस्टीमेट आया। अब भी सरकार ने कहा है कि यह सड़क जल्दी बनेगी। मुझे आशा है कि जल्दी बन जायगी। इसलिये ऐसे अफसर को जो गलत रास्ता बताकर रोड़ा अटकाने की बातें करते हैं उन पर कोई न कोई दबाव होना चाहिये और इस वेलफेयर स्टेट में ऐसे अफसरों पर जरूर दबाव होना चाहिये। मैं नहीं कहता कि सारे लोग खराब हैं लेकिन जो खराब हैं उन पर दबाव जरूर होना चाहिये। जहां-जहां कमियां हैं उनको बताना हमारा फर्ज है। हम बताते हैं। अब इस समय उनको बताने का वक्त नहीं रह गया है। एक लम्बा चौड़ा किस्सा हो जायगा। कुछ सुझाव मैंने दिये हैं अगर न देता तो माननीय वीरेंद्र वर्मा जी कहते कि मदन मोहन तो कोई सुझाव नहीं देते। मैं उन्हीं से पूछता हूं कि वे बतावें कि उन्होंने कौन से सुझाव रखे हैं। कोई नहीं रखे और इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के सामने यह कहता हूं कि जो खराब आफिसर्स हैं उन पर दबाव रहे। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि हमारा सहयोग उनके साथ है। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि उनके आते ही डिपार्टमेंट बदल गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मंत्री जी भले हैं लेकिन इसके माने यह तो नहीं हैं कि अगर मंत्री जी भले हैं तो सारा डिपार्टमेंट भला है। करप्शन कैसे दूर हो इसके लिये मैंने कुछ सुझाव दिये हैं और वह अगर और चाहें तो और बाद में बताऊंगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो सुधार आवश्यक हैं उन्हें माननीय मंत्री जी अवश्य करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीया सभानेत्री महोदया, मैं आज इस अनुदान के समर्थन के हेतु उपस्थित हुआ हूं। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना से बहुत कुछ सम्बन्ध इस विभाग का है। देश का भविष्य, उसका निर्णय इसी विभाग पर है। हमारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिले की बातें कही हैं। लेकिन मैं एक माननीय सदस्य के नाते कहता हूं कि मेरा सम्बन्ध समस्त प्रान्त से है। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने चक्षुओं को विशाल बनाना चाहिये और पूरे प्रदेश की उन्नति को दृष्टि में रखना चाहिये।

हमारे कुछ भाइयों ने विदेशी आक्रमण का प्रश्न उठाया है। जैसा कि हमारे भाई लाल टोपी वाले उपाध्याय जी ने बताया कि कम्युनिस्टों से भय है। मुझको तो उनसे भय है कि कहीं वह कम्युनिस्टों से साठ-गांठ न कर लें जब कि वहां पर सड़क बना दी जाय। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शेरशाह के जमाने में बनी हुई जितनी सड़कें हैं उनको ठीक कर दिया जाय। जिस प्रकार से सड़कों पर मरम्मत के लिये लाल झंडी खड़ी रहती है और कोई मोटर आती है, तो वह रुक जाती है। उसी तरह से जब कोई अनुदान यहां पर पेश होता है तो लाल टोपी वाले उठ कर बीच में ही रुकावट

[श्री शिवनारायण]

डाल देते हैं और सदैव रोड़े उसमें अटका देते हैं। मैंने गेंदा सिंह जी को सुना और मदन मोहन जी को सुना और जितने भी माननीय सदस्य उधर से बोले हैं उनको सुना। सिवाय करेप्शन के और कुछ उन्होंने नहीं बताया। यह नहीं बताया कि सरकार ने क्या किया और कितने काम हमारे प्रदेश में हुये।

हमको तो यह देखना है कि जैसा हमारे माननीय उप-मंत्री ने बताया और जवाहरलाल जी ने बताया कि इस प्रान्त के चीफ इंजीनियर निहायत होशियार और ठीक आदमी हैं। मगर वह एक बटन दबाकर तो एकदम बिजली की रोशनी सारे प्रदेश में नहीं कर देंगे। वह कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को यहां पर डेवलेप करें। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि आज यह विभाग पी० डब्लू० डी० का किसी ब्राह्मण या ठाकुर के हाथ में नहीं है बल्कि एक किसान के बेटे के हाथ में है जो झोपड़ी से आया है। वह इस सूबे की भलाई करना चाहते हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि नारायणदत्त तिवारी जी ने कल एक बात कही थी हमारे मंत्री महोदय के बारे में। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वह भी कभी बुड्ढे होंगे और बीमार भी होंगे। उनको इस तरह से बौखला नहीं जाना चाहिये था। हमारा हर आदमी उन मंत्री महोदय के साथ है और ८४ आदमी जो यहां पर बैठे हुये हैं वह एक इशारे पर सड़क कूट सकते हैं और उनके लिये एक रोलर हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग कच्चे नहीं हैं। लेकिन उन सदस्य महोदय के साथ एक भी हरिजन मेम्बर नहीं है, महज जबानी बातें करते हैं। जो डिसिप्लिन का नमूना उन्होंने दिखाया मैं उनको इसके बारे में यह बतलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी कहा जाय उस पर अमल किया जाय। आप जानते हैं कि इस पिछले सप्ताह में जब यह श्रमदान सप्ताह मनाया गया उसमें हमने देखा कि जनता, सरकारी अफसर, बच्चे और मास्टरों ने सबने मिलकर उसको पूरा किया। उसका विरोध किया हमारे लाल टोपी वाले भाइयों ने। उन्होंने कहा कि अगर सड़क बनाओगे तो चोर आ जायेंगे और चोरों को बुलाओगे। इससे लुटेरे आ जायेंगे। आप लोगों ने गांव में इस तरह का प्रचार किया और गांव-गांव में इस तरह की बातें हो रही हैं। यहां पर कुछ कहा जाय और वहां पर कुछ कहा जाय, यह उचित नहीं है। जो बात उचित हो वही जनता के सामने रखनी चाहिये। इस मुल्क की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है और हमारे ऊपर भी है। ऐसा न होना चाहिये कि कहीं पर गड़बड़ हो जाय।

मैं रिहन्ड डैम के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वह बांध रेणुका नदी पर बनाया जा रहा है। अगर उसका नाम रेणुका बांध हो जाय तो बड़ा अच्छा है। मिर्जापुर के लोगों की ऐसी मांग है। सरकार को मिर्जापुर की तरफ भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि वह भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। उस पर भी सरकार की नजर होनी चाहिये। वहां पर हमारी फैक्टरी बन रही है और वह भी एक बड़ी जगह है उसको इग्नोर न किया जाय तो बड़ा अच्छा है।

मैं अपने गोरखपुर की सड़क के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि जो प्रथम चरण सन् १९५३ में लिया गया था उसमें चाहे बस्ती हो या अल्मोड़ा हो, उसको पहले बनाना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सदैव उनके साथ रहा हूं और रहूंगा और उचित प्रचार देश के अन्दर कराऊंगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सभानेत्री जी, आज जो इस अनुदान पर बहस हुई है उसमें अच्छा होता कि जिन विषयों से वह अनुदान सम्बन्ध रखता है उन ही पर बातें होतीं तो ज्यादा सही बातें कही जा सकती थीं। आम बहस हुई और वह भी चीजें ऐसे ही हैं जो सामने आई। इसलिये मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह एक बात बतलाये देता हूं कि ज्यादातर बातें सड़कों के विषय में हुई हैं। सड़कों के ऊपर

कुल रुपया जो हम इस साल खर्च करने जा रहे हैं वह १ करोड़ ९१ लाख २४ हजार ५ सौ है। इसमें से १ करोड़ ६२ लाख ९५ हजार सौ रुपये के करीब तो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो काम हैं उनमें खर्च होगा; और २८ लाख से कुछ ऊपर आउटसाइड फाइव ईयर प्लान में खर्च होगा। मैंने यह जिक्र इसलिये किया चूंकि बहस आम तौर पर हुई है इसलिये माननीय सदस्यों को मालूम हो जाय कि हम ६ करोड़ ७० लाख के बजट से जितना रुपया सड़कों पर खर्च कर सकते हैं वह कर रहे हैं। इसके अलावा ९१ लाख ३८ हजार रुपया हमें नेशनल हाईवेज के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है जिससे हम नेशनल हाईवेज की सड़कों को दुरुस्त करते हैं। इस तरह से हमारी एक सीमित शक्ति है। अब देखना यह है कि इस रुपये का सद्उपयोग हो और हमारी हमेशा यही कोशिश भी है कि १६ आने में १६ आने का काम हो। मैं माननीय गेंदा सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे अपने इस विभाग की प्रगति से या करप्शन रोकने की बात से जो अब तक हो सकी है, उससे कोई सन्तोष नहीं है और न होगा, इसलिये कि मैं जानता हूं कि हमारा पैसा जो है, वह एक-एक पैसा हम बचा-बचा कर गरीबों के यहां से लाते हैं और उसके लिये मेरी भी इतनी ही हमदर्दी है जितनी हमारे दूसरे माननीय सदस्यों को है और मैं भी चाहता हूं कि १६ आने में पौने १६ आने नहीं बल्कि पूरे १६ आने का ही काम हो। इस तरह से जनता के पैसे का उपयोग हो तभी मुझे सन्तोष हो सकता है, इसके पहले नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया और मैंने जो बातें कही थीं वह इसलिये कहीं थीं कि आलोचना करते समय हमें थोड़ा सा सन्तुलन रखना चाहिये। अभी इस सदन में जो बहस हुई उसको अगर आप देखें तो उसमें अधिकतर सड़कों के बनाने की मांग आई है। मैं दो तीन भागों में उस सारी बहस को आपके सामने रखूंगा क्योंकि हर माननीय सदस्य का अलग-अलग जवाब देना शायद मेरे लिये सम्भव न होगा और इतना समय भी नहीं है। सब से ज्यादा मांग जो आई है वह अलग-अलग जिलों में और अलग-अलग क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये आई है। पहाड़ी इलाकों के बारे में मैं यह मानता हूं कि वहां सड़कें ही ऐसी चीज हैं कि जिन से वहां के लोगों के जीवन निर्वाह के लिये सुविधा हो सकती है। मैं वहां के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार ने पहाड़ी जिलों के लिये काफी रुपया खर्च किया है और आगे भी वहां उचित खर्च करने का विचार रखती है। सिर्फ इसी साल के बजट में अल्मोड़ा जिले के लिये ९ लाख ४७ हजार रुपया रखा गया है, नैनीताल के लिये ९ लाख ४५ हजार रुपया और गढ़वाल के लिये ६ लाख ६७ हजार रुपया और टेहरी के लिये ८ लाख १ हजार रुपया रखा गया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—नम्बर बताने से कुछ नहीं होता; किस-किस मद में खर्च हो रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—डिटेल अगर वह जानना चाहें तो मुझसे मिलेंगे तो मैं बतला दूंगा परन्तु इस मौके पर इतना समय नहीं है, लेकिन मैं इतना अर्ज करूंगा कि जो हालत आपने वहां की सड़कों के बारे में बतलाई उसका हम अहसास करते हैं। उसके अलावा जिस दूसरे क्षेत्र की बात कही गई वह देवरिया जिले का क्षेत्र है, वहां भी वाक़ई सड़कों की जरूरत है और हम चाहते हैं कि वहां सड़कों का काम बढ़े क्योंकि वहां लोगों को काफी परेशानी है। तीन चार माननीय सदस्यों ने देवरिया की बात कही लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि देवरिया जिला अभी इस गवर्नमेंट ने अलग किया है और आपको मालूम होना चाहिये कि वहां की इमारतें और सड़कें बनाने में अगर ऐवरेज लगाया जाय तो पी० डब्लू० डी० का वहां १ करोड़ के करीब रुपया खर्च हो चुका है। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जो जरूरी चीजें हैं वह होंगी। लेकिन हमें अपना कोष

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

देखना है। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया हमारा इतना बड़ा मुल्क है। उस मुल्क में इतनी गरीबी है। हमें जितनी सड़कों की जरूरत है अभी एक तिहाई भी नहीं है और सड़कों के बनाने का काम ऐसा नहीं है जो एक साल के अन्दर पूरा हो जाय। पहाड़ में तो एक अच्छी पक्की सड़क के बनाने में एक लाख रुपया खर्च होता है और दूसरी चालीस-पचास हजार रुपया अच्छी सड़क बनाने में खर्च होता है। जहां तक और रुपया रखने का ताल्लुक है हमारा प्रदेश और देश इतना ग़रीब है कि शायद एक जगह की भी जितनी मांग है उसको भी पूरा नहीं किया जा सकता।

अभी बार्डर की कुछ बातें कही गयीं। इत्तफाक से हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका तिब्बत से मिलता है। अगर वह सारी सड़कें बनायी जायं तो उत्तर प्रदेश की आमदनी को देखते हुए, सम्भव नहीं है। आप जानते हैं कि नेशनल हाईवेज जो कि बहुत महत्वपूर्ण की सड़कें हैं उनके लिये केन्द्रीय सरकार हमें रुपया देती है। जैसा कि हमने अर्ज किया कि ५१ लाख रुपया उनके रखरखाव और कुछ छोटे मोटे नये कामों के लिये हमको दिया गया है। हम उत्तरी इलाके की अहमियत को मानते हैं। लेकिन उसके लिए शायद ज्यादा रुपया उत्तर प्रदेश से नहीं दे सकेंगे। उसके लिए हमें केन्द्र से ही लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। हमारे मंत्री जी ने माननीय लालबहादुर शास्त्री जी से इस मामले में काफी बात की है और हमें आशा है कि उधर की सड़कों के लिए हमें कुछ रुपया मिलेगा। लेकिन सिवा इसके कि जिस तरह से आप कहते हैं उसी तरह से हम भी अपना केस बना कर रिप्रेजेंट करें हम क्या कर सकते हैं? देवरिया का जहां तक ताल्लुक है दो तीन सड़कों की बाबत हमने रुपया रखा है और जिनका जिक्र माननीय गेंदा सिंह जी ने किया है शायद उसमें से हों। एक सड़क का उन्होंने जिक्र किया। वह किसी रिश्तेदारी की वजह से नहीं। तय हुआ कि आधा रुपया वहां की जनता दे दे तो आधा रुपया गवर्नमेंट उस सड़क को बनाने के लिये दे देगी। लेकिन चूंकि उन्होंने आधा रुपया अभी तक नहीं दिया है इसीलिये अभी तक उसके बनाने का सवाल नहीं है। और ऐसी दशा में माननीय गेंदा सिंह जी को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। अब उसमें काफी देर हो गयी है। कोई दूसरा काम रोका नहीं जायगा।

इसी तरह से बस्ती जिले की कुछ बात आयी। इन सड़कों का हमें ध्यान है और उनके लिये कुछ प्राविजन है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं।

हमारे माननीय मित्र दीनदयालु शर्मा जी ने बुलन्दशहर की बात कही कि वहां एक मील भी नयी सड़क नहीं बनी। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर नये काम के मानी यह नहीं हैं कि कोई नयी सड़क बना दी जाय। पुरानी सड़कों पर जितना खर्च होता है वह बहुत जरूरी है और उससे भी जनता को लाभ पहुंचता है। बुलन्दशहर में कई मील लम्बी सड़कों पर यानी १०७ मील लम्बी सड़कों की मरम्मत का काम है और १६ मील नयी फीडर रोड्स बनाने का भी काम है हो सकता है जैसा कि माननीय मित्र कहते हैं कि मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी सड़क नहीं बनी। लेकिन आखिर जो यह मरम्मत होती है सड़कों की, उससे भी जनता का लाभ होता है। नहीं तो बड़ी-बड़ी सड़कें बेकार हो जायं। उनको भी रखना अपना फर्ज है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक सड़कों के बनाने का, ताल्लुक था इसीलिये इसमें कहा गया है कि यही नहीं कि जो पंच वर्षीय योजना में है। मैंने जैसा आपको बतलाया, हमने फाइव ईयर प्लान के बाहर २८ लाख रुपया इसलिये रखा है कि जितनी बहुत जरूरी चीजें हों जो फाइव ईयर प्लान में न आ सकी हों, वह जो आइटम हों उनके ऊपर भी कुछ रुपया दे सकें। जैसा मैंने अर्ज किया, हम ग़रीब हैं। अभी जैसा कि बताया गया गढ़वाल में ४० मील लम्बी सड़क जनता ने बनाई। मेरे पास भी चिट्ठियां आईं। मुझे खुशी हुई कि गढ़वाल में ही नहीं, सूबे के कई जिलों में यह जो हमने रिपब्लिक वीक मनाया

था और उससे पहले भी लोगों में सड़क बनाने की यह भावना है। हमीरपुर, बुन्देलखंड पहाड़ी इलाकों में, पश्चिम और पूरब के जिलों में सब तरफ लोगों को सड़क बनाने की चिन्ता है, क्योंकि जैसा कि आप सब महसूस करते हैं, सड़क बहुत ही इम्पार्टेंट चीज है अपने आर्थिक विकास के लिये। लेकिन वही बात आ जाती है कि जितनी चादर होगी उतना ही काम होगा।

अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो पैसा आपको मिलता है वह कैसे खर्च होता है और करप्शन की बात बार-बार आती है। उसके लिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीजें सामने आयंगी और वह चीजें जो सप्रमाण हों या कयास हों माननीय सदस्यों के, जो हमारी नजर में आयेंगी उन पर हम पूरी जांच करेंगे, लेकिन जो प्रोसीडचर है उसी के अनुसार हम सजा दे सकते हैं। यह जो मैंने ७० का नम्बर दिया था और इस साल का ९८ नम्बर कम्पलेंट्स के हैं इतनी ही यें नहीं हैं। और भी कम्पलेंट्स होती हैं जो कि सदस्यों ने 'आन दि फेस आफ इट' कीं वह इन कम्पलेंट्स में नहीं आतीं जिनकी संख्या बतलाई गयी और उनको केस बनाकर नहीं रखते, इन्क्वायरी करके खत्म कर देते हैं। इसलिये यह न समझें कि इतने ही केसेज हैं।

अब रही कमीशन की और दूसरी बातें जो कही जाती हैं। कहां तक उनमें सचाई है और किस जिले में कितना करप्शन हो रहा है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक इसको मिटाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब तक इसकी चारों तरफ से कोशिश न की जाय तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरे मित्र वीरेन्द्र वर्मा ने कहा था कि यह क्या रूस की लड़ाई है कि कोई फ़तह नहीं कर सकता? मैं यह नहीं कहता कि रूस की लड़ाई फतह हुई या नहीं हुई है। मैं तो कहता हूं कि यह हिन्दुस्तान की लड़ाई है। हिन्दुतान का अपना तरीका है लड़ाई का। अगर आप हम सब इरादा करें कि करप्शन और सारी चीजों को समाप्त करके ही रहेंगे, चाहे जिस तरह से हो और हम आप सबका सहयोग इसमें हो तो जो इसमें कोई भी अड़चन नहीं डाल सकता, वह डालना भी चाहे तो नहीं डाल सकता। क्योंकि हमारे नेताओं का और हर एक आदमी का यह ख्याल है। लेकिन इस करप्शन की चीज को यह कह देना कि यह ऐसी चीज है जिस पर ध्यान नहीं है, यह गलत है। ध्यान तो है, और उस ध्यान की वजह से इसमें कामयाब होना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो चीजें आपने कही हैं चाहे वह सड़क बनने के सम्बन्ध में या करप्शन के सम्बन्ध में या किसी सम्बन्ध में, और जो चीजें आप बतलाएंगे उन पर पूरी-पूरी तरह से जहां तक हम से बन सकेगा, हम अमल करेंगे और मुझे आशा है कि आपके सहयोग से इस डिपार्टमेंट की मदद जरूर होगी और इसमें काम ज्यादा होगा।

इतना कह कर माननीया अध्यक्षा महोदया मैं चहता हूं कि यह जो ग्रांट सामने है, यह स्वीकार की जाय और जो माननीय सदस्यों ने कटमोशन मूव किया है वह उसे वापस लें लें तो बहुत अच्छा है।

श्री गेंदा सिंह—माननीया सभानेत्री जी, मैंने माननीय सदस्यों के और माननीय निर्माण मंत्री जी के भाषण को बहुत ग़ौर से सुना। मैं इससे तो बहुत प्रेरित हुआ कि माननीय निर्माण मंत्री जी का यह अटल विश्वास है और वह भरोसा करते हैं कि इस मुहकमे से भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। यह बड़ी खुशी की बात है और उनके इस प्रण के पूरे होने में मुझसे भी या हमारे दल से जो कुछ हो सकेगा उसमें उनकी खिदमत करने के लिये तैयार रहेंगे। मैं समझता हूं कि उनको भी इस खिदमत के काम में संकोच नहीं करना चाहिये। अगर आवश्यकता हो तो वह हमारी दिखमत भी हासिल कर सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---हमारा आशीर्वाद है उन पर।

श्री गेंदा सिंह---मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि सन् १९५१-५२ में हमारे सड़क के खाते में १,९८ लाख रुपया था। सन् १९५२-५३ में कम हो गया और शायद अगले सालों में और कम हो जायगा। तो इस बात की भी चिन्ता उनको होनी चाहिये कि आखिर इन सड़कों की व्यवस्था करने के लिये धन की आवश्यकता पड़ेगी और धन की आवश्यकता यदि पड़ेगी तो मैं तो उन सड़कों को ऐसा समझता हूं यह एक पेइंग बिजनेस है। चाहे आज भले ही हमको अलग से पहले से रुपया खर्च कर देना पड़े लेकिन सड़कों के जरिये हम आगे चल कर के अपने स्टेट की अपने राज्य की आमदनी को बढ़ा सकते हैं बशर्ते कि हम इन सड़कों को तैयार कर सकें। एक आध बात उनसे हम जरूर कह देना चाहते हैं कि शायद उनको भ्रम हो गया कि हमने कोई रिश्तेदारी की बात ऐसी कही कि जैसे कि रिश्तेदारी के नाम पर सड़कें वहां बन रही हैं। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि कहीं भी, अपने प्रान्त भर की बात मैं कहता हूं कि किसी इंडिविजुअल के नाम पर, किसी व्यक्ति के नाम पर सड़कों के बनाने की बात न की जाय बल्कि देश की तरक्की के नाम पर की जाय और योजना के साथ की जाय, जिस योजना में कि कच्चे माल के उठाने की बात हो या एक माल को दूसरी जगह पहुंचाने की बात हो। इस तरह की बात मैंने कही थी और उसमें मैंने उदाहरण के तौर पर कहा था कि और जिलों की तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन हमारे जिले में एक सड़क ऐसी बनाई जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जो बहुत ही गैर जरूरी है। लेकिन एक चीज है उसमें, इतना आ जाता है कि डा० सैयद मुहम्मद साहब जो बिहार के रहने वाले हैं उनसे हमारी सरकार का कोई रिश्ता है कि जिसकी बदौलत उनके घर तक वह सड़क बनाई जा रही है और एक लाख रुपया उसके लिये मंजूर कर दिया गया है। अवध और बिहार का रिश्ता बहुत पुराना है और फिर हमारी सरकार और बिहार सरकार का भी तो रिश्ता है। वह बिहार सरकार के पुराने मंत्री हैं इसलिये भी इस सरकार का उनसे रिश्ता हुआ। तो इसलिये मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसी सड़कों के बनाने के बजाय ऐसी सड़कों को बनाया जाय जो किसानों के लिये लाभदायक हों तो अच्छा है। एक लाख रुपये में तो दूसरी जगह ऐसी सड़कें बनाई जा सकती हैं जिनसे हजारों किसानों को सुविधा हो सकती है और-और भी दूसरे फायदे हो सकते हैं। इस ओर ध्यान रखने की जरूरत सरकार को है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को असल में एक योजना चाहिये और उस योजना के अनुसार सड़कें बनानी चाहिये जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि गांवों की सड़कें जिलों की सड़कें, फिर प्राविंशियल हाईवेज और फिर राष्ट्रीय सड़कें इन चारों के बारे में सोचना कि कहां से कहां कितने में बनाना है और इस पर काफी कमेटियां बैठ चुकी हैं और काफी विचार विनिमय इन पर हो चुका है। उनसे हमें लाभ उठाना चाहिये। गांवों की सड़कों के संबंध में हमने बार-बार कहा और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उनका पूरा-पूरा खर्चा वहन कर सके यह सरकार के लिये असंभव है। जो कुछ भी संभव है वह जितनी सहायता कर सके करे। लेकिन बाकी सड़कें, जिलों की सड़कें, प्रान्तीय सड़कें, राष्ट्रीय सड़कें, इनको उसे लेना चाहिये और इसकी एक पूरी योजना होनी चाहिये। उस योजना के अनुसार काम करेंगे तो काम चलेगा।

मेरी यह शिकायत है कि जिस पंचवर्षीय योजना की शिकायत माननीय निर्माण मंत्री ने की उस पंचवर्षीय योजना के अनुसार ही काम नहीं होता है। अगर उसके अनुसार होता तो मुझे कोई शिकायत न होती। बीच-बीच में ऐसी चीजें भी आ जाया करती हैं जो ले जाकर के दूसरा काम करने के लिये विवश कर देती हैं और उस पर सरकार का पैसा खर्च हो जाता है। अन्त में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह जो रुपया लैप्स हो जाता है, किसी गलती से हो जाता है इससे इस समय कोई मतलब नहीं चाहे जिसकी गल्ती से होता हो, लेकिन जैसे कि इस वर्ष १० लाख रुपया रक्खा गया, कोई काम नहीं हुआ, और अगले वर्ष वह रुपया लैप्स हो गया। फिर नहीं रखा गया। मेरी यह शिकायत है माननीय निर्माण मंत्री जी से कि पिछले वर्ष जो रुपया रखा गया था, जो हम खर्च करना चाहते थे, उसको किसी के दोष से ही नहीं खर्च किया जा सका तो जिन सड़कों के लिये वह रुपया था उनको

नेगलेक्ट नहीं करना चाहिये। किसी कारण से वह नहीं बन सकीं तो उनको बनवाना चाहिये। मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जहां पर भी शुगर फैक्ट्रियां हैं वहां उन शुगर फैक्ट्रियों से बहुत बड़ी आमदनी सरकार को है। तो वहां गन्ने की गाड़ियों को ले जाने में जो दिक्कत होती है बैलों को कष्ट होता है, इसके लिये आवश्यक है कि सरकार सीमेंट और कांक्रीट की सड़क बनावे लाखों रुपया खर्च हुआ लेकिन वह नहीं हो सकी। तो यह बदइन्तजामी है और इन बदइंतजामियों की तरफ माननीय निर्माण मंत्री जी का ध्यान जायेगा और ध्यान जा करके इसका सुधार होगा। इन सड़कों का सुधार होगा, यही हमारा विश्वास है। मैं अपना कटमोशन वापस ले लेता लेकिन मैं इसलिये वापस लेने में असमर्थ हूं कि अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया है, अगले वर्ष अगर इस आश्वासन का फल निकला, तो मैं अगले वर्ष ऐसा कटमोशन अवश्य वापस ले लूंगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३, यातायात के साधनों का सुधार, केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित, (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क विधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत २६,००,१०० रुपये की मांग स्वीकार की की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक—८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीया सभानेत्री जी, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण–कार्यों पर लागत (लेखा शीर्षक ८१–राजस्व लेखे के बाहर नागरिकनिर्माण कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत १,४९,८८,३०० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय।

आप की आज्ञा से इस अनुदान का विश्लेषण करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा विवरण इन सब सार्वजनिक निर्माण विभाग की ग्रांट्स का दे दूं कि कितना रुपया खर्च होने वाला है ताकि एक खयाल माननीय सदस्यों के दिमाग में बन्ध जाय। हमने कुछ ६ करोड़ ७० लाख ८२ हजार और तीन सौ रुपया रखा है। उसमें से दो करोड़ ५ लाख, ९४ हजार और ३ सौ रुपया बिल्डिंग वर्क्स पर रक्खा है। सड़कों पर और कम्युनिकेशन्स पर १ करोड़ ९१ लाख २४ हजार और ५ सौ रुपया है। बिल्डिंग और कम्युनिकेशन्स के रिपेयर्स पर ७० लाख ९ हजार और २ सौ रुपया रखा है और मिसलेनियस पर २ लाख ४ हजार रुपया रखा है। इस तरह से पूरा ब्योरा है। इसके अलावा हमें कुछ और काम करने हैं जैसे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क आदि हैं। इस तरह से कुल मिला कर ८ करोड़ ३८ लाख ९५ हजार रुपया व्यय होने वाला है। अब जो मौजूदा ग्रांट सदन के सामने प्रस्तुत है, इसमें जो खास-खास काम होने वाले हैं उनको संक्षेप में बता दूं। मैं भवन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। भवन निर्माण काम के लिये १ करोड़ ६८ लाख ८९ हजार ९ सौ रुपये की धनराशि रखी गई है। इसमें १ करोड़ ७ लाख ८१ हजार ५ सौ रुपया की धनराशि भवनों के लिये है जो जनहित के कार्य के लिये ही कही जाती है और उसका ब्योरा इस प्रकार है। उपनिवेशन योजना के लिये ३८ लाख ६७ हजार है। कानपुर और लखनऊ में मजदूरों के मकान बनाने के लिये ३८ लाख ६० हजार है। भारतीय सरकार से एक अतिरिक्त भूमि लेने के लिये २ लाख रुपया है। मध्यमवर्ग के लोगों के मकान बनाने के लिये २५ लाख रु० है। सरकारी कर्मचारियों के मकान बनाने के लिये १ लाख रुपया रखा गया है।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

३३,८,४०० रु० ऐसे काम के लिये रखा गया है जिसमें और सरकारी विभाग हैं जैसे न्याय और पुलिस वगैरह और सभा सदन के सदस्यों के भवन निर्माण वगैरह के लिये, उसकी व्यवस्था यहां है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिये ७ लाख रुपया, लखनऊ में यहां पर विधान मंडल के सदस्यों के लिये निवास घर बनाने के लिये ३,५६,००० रु० सचिवालय की नयी इमारत के लिये तीन लाख रु०। देवरिया में पुलिस की नयी इमारत के लिये ७,१८,५०० रु०, उपमंत्रियों और सभासचिवों के निवास स्थान के लिये १,७७,००० रु० है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिफ्ट लगाने के लिये १,३०,००० रु० है। ८५,००० रु० की एक और रकम नये कामों के लिये रखी गयी है, यह काम वह है जो पहले से चालू हैं। यह नये कामों में जो जनहित काम के विभाग हैं, उन्हीं में खर्च होगा। इसी तरह से १,१५,००,०००से ऊपर की एक रकम उन विभागों में खर्च की जा रही है जोकि पब्लिक डेवलपमेंट के काम कहे जाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि इस डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कामों के लिये है जो सब के सब पब्लिक के फायदे के लिये है। २०,६१,००० रु० की व्यवस्था कम्यूनिकेशन्स में उन कामों के लिये जो पहले से चल रहे हैं, की गयी है। पंच वर्षीय योजना में ८,८६ लाख रुपये की एक रकम भी रखी गयी है, ऐसे कामों के लिये। बरेली पीलीभीत सड़क पर एक पुल बनाने के लिये और भोजपुर काठगोदाम की सड़क पर किच्छा पर एक पुल बनाने के लिये दो लाख की व्यवस्था है। भोजपुर, ईसापुर और हापुर की सड़क पक्की करने के लिये और दूसरे निर्माण के कार्यों के लिये साढ़े चार लाख रुपये की रकम रखी गयी है। १,२८,००० रुपये की एक धनराशि चालू कामों के लिये जो अभी चल रहे हैं, रखी गयी है। टूल्स और प्लान्ट्स, ऐसी मांगों के लिये प्रपोर्शनेटली १,८९,४०० रुपया रखा गया है। इसमें मैं इतना और अर्ज करदूं कि हमको इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसिडी ३७,३०,००० मिलनी है। इस तरह से कुछ और रुपयों से यह पूरा होता है। मुझे आशा है कि यह जो मांग है, यह पूरी-पूरी जनहित के लिये है इसको माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय निर्माण मंत्री ने जो ग्रान्ट नम्बर ४७ प्रस्तुत की है मैं उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह ग्रांट ऐसे मद में खर्च की जाती है जो रेवेन्यू से बाहर की है। आम तौर पर बजट में जो रेवेन्यू के बाहर का धन सरकार के पास होता है वह या तो रिजर्वस का होता है या लोन लेकर के लिया जाता है। आमतौर पर प्रथा यही है कि उस खर्च को कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में जैसे एग्रीकल्चरल प्राडक्ट्स वगैरह है, इन कामों पर किया जाता है लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा उसकी अगर अनालिसिस की जाय तो आप देखेंगे कि पुलिस ऐसे विभाग के लिये भी इसमें ७,१८,५०० रुपया है। वह मैं समझता हूं कि रेवेन्यू के लिये मुनासिब हो सकता है लेकिन कैपिटल आउट साइड रेवेन्यू के लिये मुनासिब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिन आंकड़ों को माननीय मंत्री जी ने पेश किया मैं उनका कुछ सिंहावलोकन करना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और पुलिस में ५१–५२ में इस मद के अन्दर लगातार वृद्धि होती रही। सामान्य प्रशासन में ५१–५२ में ५,६८,९०३ और ५३–५४ में ९,७७,००० रुपया रखा गया है। न्याय प्रशासन में ५१–५२ में ३०३,४६२ रु० और ५३–५४ में ९,७६,८०० है। पुलिस में जबकि ५१–५२ में ४,३८,३९१ रुपया था वहां ५३–५४ में ७३८३०० रुपया हो गया है। सामाजिक सेवाओं के विषय में अजीब मनोरंजक चीजें नजर आती हैं। शिक्षा में ५२–५३ में २४५८ हजार रुपया खर्च किया गया जबकि ५३–५४ में १९६९ हजार ही है। जनस्वास्थ्य में आज इस अनुदान में एक पैसा भी नहीं है। इसी तरह चिकित्सा में पहले ८,१६,७०० था और अब ७२,७०० रह गया है। एक बात तारीफ के काबिल अवश्य है कि कानपुर और लखनऊ में मजदूरों के लिये ३८ लाख रुपये के क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कहा कि सामान्य प्रशासन और पुलिस वगैरह में तो इतना अधिक खर्च किया जाता है और सामाजिक सेवाओं के लिये कम किया जाता है। इसके अलावा २ लाख रुपया के लैप्सेज भी हैं जो कि ठीक तरह से खर्च नहीं

हुआ। मिसाल के तौर पर पृष्ठ ३६९ पर मूल निर्माण कार्य भवन सामान्य, प्रशासन, विधान मंडलों के सदस्यों के लिये निवासगृह आदि का काम है जिसमें कि ४४ लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, शुरू में दारुलशफा का एस्टीमेंट २८ लाख रुपये का था जिसे पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के एक्सपर्टस ने बनाया था। उसमें ४४ लाख ५२ हजार रुपया खर्च हो चुका है और अभी तक वह पूरा बना नहीं है। मैंने तो यह सुना है, और माननीय मंत्री इसपर अधिक रोशनी डालेंगे, कि शुरू में जिस ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया उसने लो रेट पर टेंडर दिया और वह काफी रुपया खा कर बैठ गया और अब भी लखनऊ में दूसरे नाम पर बिजनेस करता है लेकिन सरकार उससे रुपया वसूल नहीं कर सकी। हमारे यहां पावर प्लग लगाने के लिये ६२ हजार रुपया खर्च किया जा रहा है और इसके अलावा ८० हजार रुपये की ग्रांट एक मामूली सुधार के लिये है। अगर विधान सभा के सदस्य बिजली की पावर पर रोटी न बनावे तो मैं समझता हूं कि कल्याणकारी राज्य के ऊपर कोई धब्बा नहीं लगेगा।

मैं यह जानता हूं कि किछा और काशीपुर में ४ लाख रुपये के राजनैतिक पीड़ितों के लिये मकान बनाये गये लेकिन वहां के लिये एक रकम है कि ३५ हजार रुपये में ५ मील लम्बी फेंसिंग लेजाई जा रही है। मैं नहीं समझता कि इसकी क्या खास जरूरत है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि गैलेरी में, हमारे सभामंडप की में, जो ५ सीटर बेंच हैं इनमें से प्रत्येक पर ३९० रुपया खर्च हुआ है। यह ज्यादा खर्च का नमूना है। इसके अलावा मैंने सप्लीमेंटरी ग्रांट के समय भी डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के बारे में कहा था कि वे गवर्नमेंट हाउस में और मिनिस्टरों के साथ पार्टीशन में रह सकते हैं। इसके लिये जो १७७ हजार रुपया मांगा है मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हाई कोर्ट की लिफ्ट का जिक्र आ गया। ४ लिफ्ट वहां पहले मौजूद थे और ५ लिफ्ट सप्लीमेंटरी में आये और ५ की और व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से मैं नहीं समझता कि यह जायज खर्चा कैसे है। इसके बरखिलाफ अगर आप देखें कि जन सुरक्षाओं में कैसे खर्च होता है; बरेली में लड़कियों के कालेज में एक नये साइन्स ब्लाक का तखमीना १६७ हजार रुपये था जो ३८ नम्बर पर है। उस पर अभी तक ६२,२८० रुपये खर्च हुये हैं। इलाहाबाद में साईकालोजीकल ब्यूरो के लिये १ लाख कुछ हजार रुपये का तखमीना था। यह ऐसी चीज थी जिससे हम बता सकते हैं कि कौन लड़का किस पेशे के लिये योग्य होगा। लेकिन इसमें आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। ऐसे कामों के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। जिन कामों के लिये सरकार तखमीना बनाती है उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करती है। लखनऊ में लड़कियों के नार्मल स्कूल की इमारत बनाने का सवाल था लेकिन उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। कानपुर में छूत की बीमारियों के लिये नये अस्पतालों के निर्माण के लिये ७,७१,४७४ रुपये का तखमीना था लेकिन सन् १९५१–५२ में केवल ५,३२० रुपया दिया गया और सन् १९५२–५३ में ५,००० रुपये दिये गये हैं।

इसी तरह से आइटम नंबर ५९ है। सरकारी अस्पतालों में कम्पाउन्डरों के लिये ९० क्वारटर्स बनाये जाने वाले थे जिनका तखमीना ४,५०,००० रुपये का था लेकिन इस पर सन् १९५२–५३ में केवल २,२०० रुपया ही खर्च किया गया। इसके अलावा जन स्वास्थ्य में ३६ जिला अस्पतालों के भीतर छूत की बीमारियों के ब्लाकों का निर्माण होने वाला था जिसका तखमीना ४,८६,००० रुपये का था। लेकिन सन् १९५२–५३ में १४,४१२ और सन् १९५३–५४ में केवल १२,३०० रुपये खर्च किये गये। इस तरह से कुल मिलाकर केवल २६,७१२ रुपये खर्च किये गये हैं।

इसी तरह से उद्योग के बारे में मऊ में जिला आजमगढ़ में एक आदर्श बुनाई फैक्टरी का निर्माण होने वाला था उसका तखमीना १,३६,२२७ रुपये का था लेकिन उसमें सन् १९५१–५२ में ८,४०७ और १९५३–५४ में १७,००० रुपये खर्च के लिये किये गये हैं। इस तरह से कुल मिलाकर २५,४०७ रुपये खर्च किये गये हैं। कानपुर में रीजनल एक्सचेंजेज आगरा,

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर वगैरा के लिये तखमीना १३,४७,७६२ रुपये का था लेकिन अब तक ५,७३,९४६ रुपया खर्च किया गया है और अब इतना रुपया खर्च कर के इन एक्सचेंजेज को तोड़ा जा रहा है। पहले कोई प्लानिंग नहीं किया जाता है और इस तरह से मुल्क का रुपया बरबाद किया जाता है।

यातायात में सन् १९५१-५२ में ५१,६१,४०६ रुपया था और १९५३-५४ में २०,६१,००० रुपया ही रह गया। कल हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ३० लाख रुपया शुगर मिल्स को सड़क बनाने के लिये सीमेंट और कंकरीट के लिये देना है जिनकी एवरेज इंकम ९ करोड़ ९० लाख रुपये है उनको तो सरकार सड़क बनाने के लिये सीमेंट और कंकरीट के लिये इतना रुपया देती है। यह नहीं करते किउनसे कहा जाय कि जो पक्का रास्ता मिल तक नहीं बनायेगा उसकी मिल चालू नहीं हो पायेगी। इसके लिये तो सरकार के पास रुपया है। अगर इसी रुपये को जिलों में दे दिया जाय तो दस मील लम्बी सड़क हर जिले में बन सकती है लेकिन कोई योजना नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन प्वाइंट्स की तरफ ध्यान देंगे कि यह रकमें कायदे से खर्च की गई है या नहीं।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान के संबंध में अपने विचार प्रगट करने से पहले में सार्वजनिक निर्माण के संबंध में कुछ बातें कहना चाहूंगा। सदन में विरोधी दल की ओर से तथा अन्य सदस्यों की ओर से ऐसे विचार प्रगट किये गये कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं माननीय उपाध्याय जी की इस बात से तो जरूर सहमत हूं कि इस विभाग में अच्छे भी हैं और बुरे भी। है लेकिन मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं कि वह अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि उससे बात बिगड़ती है। बुरे को अवश्य बुरा कहेंगे। मैं तो ऐसा समझता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय यह है कि जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा कहें और उसको प्रोत्साहित करें और जो बुरा है, उसको उसकी गल्ती मालूम होने पर उसके विरुद्ध कड़ी विचार कार्यवाही करके आदर्श रूप में उसको दंडित करें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में जैसे कि आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये हैं, सरकार को अपने मंत्रियों पर विश्वास है, और डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी हैं वह भी ईमानदार हैं, आपके जो चीफ इंजीनियर हैं वह भी ईमानदार हैं, लेकिन इन सबके होते हुये भी आपके यहां भ्रष्टाचार है। इसका कारण शायद यह है कि जो नीचे के लोग हैं उनकी बात ठीक समय पर देखकर जांच नहीं की जाती है और उनको आदर्श रूप में दंड नहीं दिया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि चीफ़ इंजीनियर से नीचे के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, जिला इंजीनियर आदि सब के सब बेईमान हैं। मैं रामपुर के बारे में खुद कह सकता हूं कि रामपुर राज्य के खत्म होने के बाद दो इंजीनियर्स जो वहां गये हैं वे निहायत ईमानदार हैं और विभाग का कार्य सुचारू रूप सेऔर अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि कुछ खराब भी हों लेकिन यदि विभाग की ओर से शिकायतों की अच्छी तरह से जांच करके, कोई रियायत न करके, दंड दिया जाय तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है।

इसके बाद इस अनुदान में मूल रक़म यातायात के संबंध में है, उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसको कहने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि औपनिवेशिक विभाग की तरफ करोड़ों रूपया खर्च किया जा रहा है और वहां 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है उसको प्रोत्साहन देने के लिये रुद्रपुर से किच्छा रुद्रपुर होती हुये रेलवे लाइन की एक स्कीम थी जिसको पहले बनाया गया था। अगर उसकी तरफ सार्वजनिक निर्माण विभाग केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलायें तो बहुत अच्छा हो और वहां जो खर्चा हुआ है उसका बहुत ही ज्यादा उपयोग हो जाय तथा राजधानी दिल्ली से पहाड़ों में हो कर कम खर्चे और कम समय में पहुंचने का संबंध स्थापित हो जाय।

इसके बाद मैं रामपुर के संबंध में कहूंगा और उसके विषयमें विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं। वह यह कि रामपुर रियासत जब खत्म हुई और उसके अलावा बनारस और टेहरी आदि रियासतें जो उसमें मिलीं उन सबसे ज्यादा कोष प्रान्तीय सरकार को रामपुर से ही प्राप्त हुआ। जो १ करोड़ ६० लाख रुपये के क़रीब था। इसके अलावा वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं था तो वहां की जितनी सड़कें और इमारतें थीं वे सब पी० डब्ल्यू० डी० के पास आईं। पी०डब्ल्यू०डी० ने बहुत सी इमारतें तो विभिन्न विभागों को ट्रान्सफर कर दी हैं लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। रंग महल के संबंध में मैंने स्वाशासन विभाग की चर्चा के समय भी कहा था लेकिन चूंकि उस समय निर्माण विभाग के मंत्री महोदय मौजूद नहीं थे इसलिये अब फिर कह देना चाहता हूं कि उसका उपयोग आजकल केवल सरकिट हाउस के लिये किया जा रहा है अगर वह टाउन हाल के तौर पर इस्तेमाल के लिये मिल सके तो जनता को उससे बड़ा लाभ होगा और म्युनिसिपैलिटी का २, ढाई लाख रुपया बच जायगा।

यातायात के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि रामपुर में शाहबाग तहसील वह भाग है जो बहुत ही उपजाऊ है तथा वहां पर सहस्त्रफणि बहुतायत से मिलते हैं जिसका जिक्र महाभारत में आता है उनके कारण यह भाग जलवायु की दृष्टि से भी बहुत अच्छा भाग समझा जाता है। इसलिये वहां के पहले नवाब साहब ने वहां तक अच्छी सड़क बनवाने के अतिरिक्त एक गढ़ी भी बनवाई और एक लाख पेड़ वहां लगवाये। रियासत के विलीन होने के पूर्व वहां गंगा में एक ऐसा सैलाब आया कि वह हिस्सा कट गया और ६,७,८ महीने तक वह सारे संसार से अलग सा रहता है। वहां ५,६ मील के एरिया में पानी ही पानी होता है और वहां के लोगों को हर प्रकार की तकलीफ होती है इसलिये उसके लिये इतना बड़ा पुल बनाया जाना तो मैं संभव नहीं समझता लेकिन जैसा कि मैंने पिछले तीन वर्षों के बजट के समय सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, अगर बिलारी जो कि जिला मुरादाबाद में है, उससे यह मिला दिया जाय तो कम से कम जीवित रहने भर को साधन उन लोगों को हो सकता है। क्योंकि वहां के लोगों को हर प्रकार का कष्ट होता है, अमनो अमान का, दैनिक कार्यों का, स्वास्थ्य का आदि। इन कष्टों से वे अपने को फिर बचा सकेंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस अनुदान को प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं। प्रातःकाल ही से निर्माण के ही विषय पर इस भवन में वादविवाद हो रहा है और बहुत सी शिकायतें माननीय मंत्री महोदय के समक्ष निर्माण विभाग के अधिकारियों की की गयी हैं। उन्हीं के साथ-साथ बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने जिले की शिकायत सड़कों के बारे में तथा अन्य निर्माण कार्यों के बारे जो उन्हें प्रतीत हुई अपने-अपने ख्यालात उन लोगों ने रखे हैं। मैंने इस अनुदान को बड़े ग़ौर से देखा है। इसमें जो मदें हैं, सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, जन स्वास्थ्य, कृषि, जेल, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा पशु चिकित्सा, श्रम और उद्योग। हर मद के लिये अलग अलग रक़म रखी गयी है। अभी हमारे देवरिया जिले के कई माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री महोदय को उलहना दिया है कि उनके जिले में सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ कई माननीय सदस्यों ने अन्य जिलों के बारे में भी बातें कही हैं। संयोगवशात्, आजमगढ़ जिले के किसी माननीय सदस्य को अवसर नहीं मिल सका इसलिये अन्य निर्माण कार्य के बारे में जिसका अनुदान अभी स्वीकृत हो चुका है, हम लोग अपने जिले की हालत नहीं बतला सके। इस मद को मैं ध्यान से देखता हूं तो किसी हेड में भी आजमगढ़ के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है। एक मद सिर्फ उद्योग है जिसमें मऊ में एक फैक्टरी बनने वाली है उसके लिये कुछ रकम रखी गयी है। लेकिन इस साल उसमें व्यय करने के लिये केवल १७ हजार रुपया रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आक-

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

षित करना चाहता हूं कि मऊ एक औद्योगिक केंद्र है जहां से कपड़ा बन कर अपने प्रान्त में ही नहीं बल्कि दूर देश मद्रास और बम्बई में भेजा जाता है। फैक्टरी बहुत दिन से बनने वाली है लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो सकी है और उस संबंध में बहुत कम काम हो रहा है।

इसी तरह से और विभागों को भी देखा जाय जैसे पुलिस विभाग को ही लें तो पुलिस हेड में बहुत सी ऐसी चौकियां हैं जिनमें से एक चौकी के बारे में माननीय मंत्री जी को मैं बतलाना चाहता हूं। श्रीमन्, एक चौकी है रामपुर, जो बलिया, आजमगढ़ और देवरिया इन तीनों जिलों के एक तरह से केन्द्र में पड़ती है और जहां पर बहुत ज्यादा जरायम हुआ करते हैं लेकिन उस चौकी के लिये कोई इमारत नहीं है, वह किराये के मकान में है। खासकर जिस व्यक्ति के मकान में वह चौकी है उनकी बड़ी शिकायत रहती है कि वे स्वयं चोरों और गुंडों से मिले रहते हैं लेकिन उसके लिये भी इस अनुदान में कोई रक़म नहीं रखी गयी है। कई मर्तबा इसके लिये प्रार्थना भी की गयी और जहां तक मेरा अनुमान है जिले के पुलिस अधिकारियों ने भी इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है लेकिन कोई रक़म उसके लिये नहीं रखी गयी है। इस तरह से मैं बतला सकता हूं और माननीय मंत्री महोदय की बात भी मानता हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि जो विषय उपस्थित हो उसी के अन्दर बोला जाय तो बहुत अच्छा है और उसी के अन्दर सुझाव दियाजाय तो बहुत अच्छा है। जैसे कि इस विषय में सड़कों के बारे में कहना ठीक नहीं हो सकता है परन्तु शिकायत इस बात की है कि हम कैसे बतलावें। माननीय मंत्री जी, जो लोग बोलते हैं उन्हीं के बारे में कहते हैं कि इन जिलों के लिये जो बातें आप ने कही हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं। मैं तो आजमगढ़ की बात कहना चाहता हूं। इसलिये आप के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में फूलपुर बहुत बड़ी तहसील है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिये सैकड़ों मील चलने पड़ते हैं। इसी तरह से गूड़नपुर, अहरौला सड़क जो १० मील का एक टुकड़ा है जिसमें ५ मील डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पक्का बनवा दिया है और ५ मील पर मिट्टी पड़चुकी है। इस तरफ कई मर्तबा माननीय उपमंत्री और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया कि इस ५ मील के टुकड़े कोभी पक्का करा दिया जाय जिससे बहुत बड़ा जन कल्याण हो जायगा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस तरफ ध्यान देवें।

अधिकारियों के करप्शन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं आशा करता हूं कि अब से इस ओर भी सुधार किया जायगा और हमारे अधिकारी लोग निर्माण कार्य को अच्छी तरह से चलायेंगे।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उपमंत्री महोदय ने इस विभाग से संबंध रखने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में बड़ी जबरदस्त धारणा प्रकट की और मैं भी उनसे सहानुभूति प्रकट करता हूं कि और यह आशा करता हूं कि उनकी बात सही हो। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि जितनी आसानी से वह कह गये उतनी आसानी से उसको दूर नहीं किया जा सकता। यह तो आज विभाग का एक अंग बन गया है, उसका स्थान बड़ा सुदृढ़ हो गया है। अगर मैं यह कहूं कि सरकार उसको प्रोत्साहन देती है तो कोई ज्यादती नहीं होगी। मैं एक दो स्पेसिफिक इंस्टेंसेज देना चाहता हूं जिससे साबित हो जायगा कि सरकार भी उसको दूर करने में असमर्थ है। उदाहरण के लिये मैं पहाड़ी इलाकों की बात कहता हूं वहां पर आम तौर पर यह देखा जाता है कि जो रेट्स पी० डब्ल्यू० डी० के मुक़र्रर किये जाते हैं वह प्रि वार टाइम, सन् ३८ के आधार पर किये जाते हैं। एक रोडवाल का उदाहरण लीजिए तो ३८ के रेट के मुताबिक़ २१ रुपये ८ आने पर हंड्रेड क्यूबिक फुट होता है और उस पर २०० परसेंट की बढ़ोत्तरी दी जाती है। तो उस हिसाब से उसकी क़ीमत साढ़े ६४ रुपये पड़ती है। किन्तु अगर असल में हम इस मंहगाई के ज़माने में उसका सही तखमीना लगायें तो १०० क्युबिक फुट के लिये ८ मन चूने कीज़रूरत होती है जिसकी क़ीमत पहाड़ में ४ रुपये प्रति मन होती है और २ रुपये ढुलाई।

इस तरह से ६ रुपये क़ीमत हो गई। इसके बाद राजों की मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी पत्थर बजरी सब मिला कर ९० रुपये से कम उसकी क़ीमत नहीं पड़ती है जिसके लिये ६४ रुपये निर्धारित किये गये हैं। फिर कम्पीटीशन में ठेकेदार २०० परसेंट के बजाय १०० परसेंट पर तैयार हो जाते हैं और वह ठेका इस प्रकार ४३ रुपये में पड़ता है इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय वह ९० रुपये का काम ४३ रुपये में किया जाता है और उसमें वह १० परसेंट भी सम्मिलित होता है जो रिश्वत का है और इसके अलावा ठेकेदार को मुनाफा भी होता है तो फिर अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वह काम जिस तरह तैयार होता है। इसके साथ ही साथ इस बात का भी अन्देशा पैदा होता है कि वह निर्माण कार्य किसी क्षण भी गिर सकता है।

इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं जो मेरी नजरों से गुजरा। पहाड़ों में हिल कटिंग का काम होता है। आम तौर पर तीन केटेगरीज़ राक्स की होती हैं—साफ्ट, मीडियम और हार्ड राक। साफ्ट का भाव २०० परसेंट बढ़ा कर तकरीबन २४ रुपये होता है १ सौ क्युबिक फुट का और मिडियम का क़रीब ५४ रुपया होता है और हार्ड का ७२ रुपये। जब बजट बनता है तो उसमें अधिक से अधिक गुंजाइश इस बात की रक्खी जाती है कि मुमकिन है कि वह हार्ड राक निकले। किन्तु जब काम पूरा होता है तो कोई गारंटी इस बात की नहीं होती कि ओवरसियर या इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी ठेकेदार से मिलकर साफ्ट को हार्ड न बना दें और इस तरह से दुगुना फायदा न उठायें। अगर बदक़िस्मती से कोई ठेकेदार इसके ख़िलाफ आवाज़ भी उठाना चाहे तो वह बेचारा क्यों उठाये क्योंकि अगर उसने हार्ड राक का काम किया तो उसे डर रहता है कि कहीं साफ्ट राक में उसे तब्दील न कर दिया जाय जिससे उसकी महान क्षति हो सकती है। इसके अलावा और एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किस क़दर पक्षपात टेन्डर्स और कोटेशंस को इन्वाइट करके अपने रिश्तेदारों को या अपनी नजदीकी आदमियों को ठेका दे करके किया जाता है। और अगर उसके ख़िलाफ सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स तक शिकायत की जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस संबंध में मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा।

टेहरी–गढ़वाल को नयी मोटर सड़कों के लिये ८ लाख की धनराशि जो डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बतायी उसे सुनकर मुझे जरा ताज्जुब हुआ। मेरी निगाह में इस बजट के अन्दर पुरानी जो सड़कें हैं उनकी रिपेयर्स के लिये कुछ मदें हैं जरूर लेकिन कौन सी नई सड़क का निर्माण होगा इसमें नजर नहीं आती। माननीय मंत्री जी इसके संबंध में बतलावेंगे कि कौन सी नई सड़क वे बनवाने जा रहे हैं। विष्ट जी ने गंगोत्री–यमनोत्री की महत्ता बताते हुये कहा था कि अगर यह नेशनल हाईवेज़ में चला जाता तो अच्छा था और खासकर जब यह चौकी तिब्बत बार्डर पर है और टेहरी–गढ़वाल एक बफर जोन सा बीच में है। तो इस जोन में निकास के लिए सड़क के सिवाय और कोई साधन उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिये कि रेल वहां जा नहीं सकती। सिंचाई के लिये कोई साधन नहीं है। तो अगर वहां सड़कें भी नहीं हैं तो फिर विकास के लिये कौन सा साधन गवर्नमेंट हमको दे रही है। ऐसी दशा में हमारे यहां के लोगों के अन्दर जो असंतोष की ज्वाला पैदा हो रही है वह बढ़ेगी और जैसा माननीय चन्द्र सिंह जी ने कहा कि वही भावना उनकी ठीक थी। मैं सरकार को इस दशा से अवगत कराना चाहता हूं कि जब वह जिला एक कोने में पड़ा हुआ है तो उसको इस तरह से नेगलेक्ट न करें। मैं माननीय मंत्री जी की भावनाओं का आदर करता हूं क्योंकि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने इस तरफ गौर करने को कहा लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसका कोई नतीजा बाद में नहीं निकला। इतना कह कर मैं उपमंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वह कौन सी नई सड़कें वहां बनवा रहे हैं उसके बारे में हमें बता दें।

श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुदान इस समय उपस्थित है मैं उसके समर्थन के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। महोदय,

[श्री राम प्रसाद नौटियाल]

जहां तक मैंने बजट का अध्ययन किया है मुझे निहायत गमगीन दिल से यहां पर इजहार करना पड़ता है कि गढ़वाल को इस बजट में बहुत बुरी तरह से ओवरलुक कर दिया गया है। महोदय, गढ़वाल एक बहुत ग़रीब प्रदेश है। अंग्रेजों ने इस जिले को अपनी फौजी मंडी बना रखा था और उनकी सदा यही इच्छा रहा करती थी कि यहां से उनको अच्छे से अच्छे सिपाही लड़ाई के लिये मिलते रहें। लेकिन आज राष्ट्रीय सरकार के स्थापित होने पर भी इस जिले के विकास के लिये ऐसा कोई कार्य नहीं सोचा गया है जिससे कि वहां की गरीबी का अन्त करके वास्तविक निर्माण हो सके। खासकर इस समय जब कि हमारे जिले में जितना जनश्रम होता है मेरा दावा है कि किसी दूसरे जिले में शायद ही उतना जनश्रम सरकार को मिल सकता है। यह जो पंचवर्षीय निर्माण की योजना है या और चीजें जो जनता की भलाई के लिये की जानी चाहिए थीं वह गांधी जी के दिमाग़ की उपज हैं, लेकिन अब उसको अंग्रेजी दिमाग़ से कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है और इसीलिये आज हम मुल्क के वास्तविक कल्याण का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहां मरचूला टू कर्णप्रयाग रोड पर गढ़वालियों ने खास तौर से जनश्रम लगा रखा है। वहां पर जितना श्रम जनता का लगा हुआ है अगर सरकार उससे फायदा उठावे तो मैं समझता हूं कि उससे कई लाख जनता को लाभ होगा। इस जनश्रम में हमारी मां, बहिनें, बच्चे, स्त्रियां सब उसमें लगी हुई हैं और जिस उत्साह और उमंग के साथ काम कर रही हैं कि मुझे शासन की नीति से ऐसा विश्वास नहीं होता कि आगे चलकर वह सरकार उनके उत्साह को दृष्टिगत रखते हुये वहां के कार्य को सम्हाल भी पायेगी। तो इस प्रकार से मैंने इस बजट में देखा कि गढ़वाल के नवनिर्माण के लिये इसमें कोई खास जिकर नहीं है। जब से हमारी राष्ट्रीय सरकार यहां पर क़ायम हुई है तब से गढ़वाल को हर एक बात में बिसराया गया है क्योंकि सरकारी विशेषज्ञों का यह कहना है कि वहां पर खेती नहीं हो सकती है, बिजली भी वहां पर नहीं पैदा हो सकती है, सिंचाई का प्रबंध भी वहां पर नहीं हो सकता है तो ऐसी सूरत में हम यह कहते हैं कि तुम ही सही यह न हो लेकिन कम से कम आज के इस विज्ञान के युग में व्यापार, कृषि और उद्योग की वृद्धि के लिये तो सड़कों का होना बहुत जरूरी है। गढ़वाल की ग़रीबी तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि वहां पर आप गाड़ी सड़कों का जाल नहीं फैलाते।

चमोली कोटद्वार सड़क जो है वह तो समस्त भारत सड़क है। वह गढ़वाल की अपनी सड़क नहीं है लेकिन गढ़वाल के नाम से उस पर रुपया लगाया जाता है। हम यह नहीं कहते हैं कि गढ़वाल को उससे फ़ायदा नहीं है कुछ थोड़ा बहुत फायदा जरूर है बल्कि उससे तो समस्त भारत को अधिक फायदा होता है क्योंकि वहां पर भारत के हर कोने से यात्री लोग जाते हैं। वह रोड तो ऐसी है कि जिसको भारत सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसके अलावा बहुत से काम गढ़वाल में जनता की ओर से ऐसे हुये हैं कि जो शायद ही दूसरे किसी इलाके में हमारे प्रान्त के हुये हों। उनके लिये मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि जहां तक हो सके सरकार देख-भाल करे। आज जो वहां पर स्टाफ है जैसे एग्रीकल्चर का है, सिंचाई का है उसके लिये मैं यह समझता हूं कि जब उनके लिये वहां पर कोई काम नहीं है तो उसको वहां पर रखना बेकार होगा, उन्हें कहीं काम में लगाया जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गढ़वाल की अपनी कोई दूसरी मोटर सड़क नहीं है। यदि है तो वह सड़क मरचूला-कर्णप्रयाग रोड है उसको बनाने की चेष्टा सरकार को करने की जरूरत है इससे वहां की ५ लाख देहाती जनता को राहत मिलेगी और वहां कृषि और उद्योग को भी बहुत भारी प्रोत्साहन मिल सकता है। जिससे गढ़वाल स्वावलम्बी बन सकता है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस भावना के लिये सर्व प्रथम बधाई देना चाहता हूं कि जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने यह अनुदान यहां पर पेश किया है। मैं ३२ अनुदान पर बोलना चाहता था, परन्तु दुर्भाग्यवश समय मिला इस ४७ पर। मैंने इन सब अनुदानों ३२,३३,३४ में शुरू से आखिर तक देखा और जब मैं ४७ में आया तो सोचा कि नागरिक निर्माण कार्य में देहात

के रहने वालों के लिये भी कोई काम होगा परन्तु मैं देखता हूं कि वही इंजीनियर, वही कर्मचारी और वही सुपरिन्टेंडेंट और वही सड़क और वही सड़कों की मरम्मत और उनके लिये मकान जो शहरों में रहते हैं। इस सबको देखकर मैंने सोचा कि इन गरीब किसानों के लिये, देहात की जनता के लिये न अस्पताल है, न सड़क है, न पंचायतघर है, न औषधालय है और न चिकित्सालय है और न विद्यालय है। यह सब बातें शहरों के लिये ही हैं और उनके लिये ही होती हैं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रातः स्मरणीय श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस स्थान में पैदा हुये थे और १९५२ के अप्रैल महीने में उनका जन्म-दिवस मनाया गया और वहां के ग्रामीण लोगों ने, हलवाहों ने, किसानों ने अपने श्रम से कुछ काम करके सड़क को बनाया, मैंने देखा है कि सरकार सड़कों के लिये कुछ इंतजाम कर रही है और बड़े-बड़े लोगों को बात करते भी सुना है कि यह किया जायगा और वह किया जायगा, लेकिन जब आज के अनुदान की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि द्विवेदी जी का स्मारक बनाने के लिये वहां समिति ने जो फैसला किया था उसकी प्रार्थना पर कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ३२ मील लम्बा और १० मील चौड़ा रायबरेली में एक खित्ता है जिसमें कोई हास्पिटल, विद्यालय या चिकित्सालय वगैरा नहीं बनाया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने सवाल भी इस संबंध में पूछे लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला, और वहां आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। मैं देखता हूं कि पहाड़ी इलाके में बड़े-बड़े काम किये जाते हैं और वहां के लिये तमाम अनुदान मौजूद हैं और जहां देखो पहाड़ी जिलों के लिये रुपया रखा गया है। बिजनौर में भी करीब ४५ लाख रुपया खर्च करके सड़क बनाई जा रही है, हरदोई शाहजहांपुर में भी १२-१३ लाख रुपये का निर्माण हो रहा है, लेकिन रायबरेली में जो फैजाबाद-रायबरेली रोड है वह बहुत ही खराब है लेकिन जब बजट को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि रायबरेली से मोहनगंज तक पक्की सड़क पहले से बनी हुई है, ३० मील जायस तक और दस मील मोहनगंज तक लेकिन ११ मील सीधी नहीं बनाई जा सकती है और टेढ़ी होकर बनेगी और इसमें लिखा है कि सुल्तानपुर-फैजाबाद रोड पहले से बनी हुई है। जहां बनना चाहिये वहां कोई बनने का इंतजाम नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि केवल नगरों के लिये ही कार्य न किये जायं बल्कि जो ग्रामीण जनता है और जिनके बल पर सरकार कायम है उनके लिये निर्माण कार्य होना चाहिये। शहरों में तो बिजली और हर तरह के प्रबंध हैं ही वहां पर तो चाहे बनें या न बनें लेकिन जब जिलेवार ही हो रहा है तो रायबरेली से लालगंज फतेहपुर की सड़क का जरूर प्रबन्ध किया जाय और जो स्वर्गीय महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिये इस प्रसिद्ध मार्ग का निर्माण करने की सरकार कृपा करे और इसके लिये रायबरेली की जनता सदैव आभारी रहेगी।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वाद-विवाद इस सदन में माननीय सदस्यों ने किया उसकी मुख्य-मुख्य बातों का मैं कुछ जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। सब से पहले मैं माननीय श्री त्रिपाठी जी से जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण को बिलकुल इस मांग के ऊपर ही कनफाइन रक्खा और मैं समझता हूं कि उन्होंने यह बहुत ही उचित किया। उन्होंने जो बातें रखी हैं, मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने बताया कि इस साल जो राष्ट्र निर्माण के विभाग हैं उनमें खर्च पार साल से बहुत कम है। रक़म के हिसाब से खर्च कम हो सकता है लेकिन जब आप परसेंटेज लगायेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि परसटेंज के हिसाब से यह बजट जन-निर्माण कार्यों में कम नहीं है। दूसरे यह कि जो काम पड़े हुये होते हैं और जिनको पूरा करना जरूरी होता है और मैं समझता हूं कि इससे सभी सदन के माननीय सदस्य सहमत होंगे कि पहले उनको पूरा करना चाहिये

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

चाहे वह किसी भी विभाग के हों और फिर जिन विभागों से रुपया आता है हमारे विभाग में उनके एस्टीमेट्स होते हैं। वह रुपया मंजूर करने के लिये वहां से हमारे इस विभाग में आता है और जब आप इसको देखेंगे तो मालूम होगा जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि एक करोड़ १५ लाख ८६ हजार ५ सौ रुपया इन विभागों का है जिनको राष्ट्रनिर्माण विभाग कहा जा सकता है। ३३ लाख ८ हजार ४ सौ रुपया और विभागों के लिये हैं। उनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनको जन उपयोगी विभाग कहते हैं। उन पर खर्च होने वाला है।

सबसे ज्यादा जो एतराज आपका हुआ वह पुलिस विभाग की कुछ इमारतों पर हुआ। यह काम ज्यादातर देवरिया में हो रहा है। वहां पर पहले से इमारतें बन रही हैं। उनको पूरा करने के संबंध में यह रुपया है। अगर उनको पूरा न किया जाय तो जो पहले खर्च हो चुका है तो जैसे और मामलों में होता है अगर उन चीजों को छोड़ दें तो और बड़े खर्च का बायस हो जाता है।

इसी तरह से आप देखें कि इस सदन के माननीय सदस्यों के रहने के लिये कुछ एक भवन बनाने के लिये एक रकम है। इसको आप कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण कार्य नहीं है। लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि हममें से कुछ सदस्य अच्छी जगह पर रहें और कुछ सदस्य को हम जगह न दे सकें तो जिन सदस्यों को हम जगह नहीं दे सकते उनके लिये और जगह की जाय। क्योंकि हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ गयी है। तो यह जरूरी खर्च हो जाता है।

दूसरी चीज उन्होंने लिफ्ट के बारे में कही। यह एक मामूली बात है। लेकिन हाई कोर्ट का एक स्टैंडर्ड होता है उसमें लिफ्ट पहले से मौजूद है। तो क्या यह करें कि जो नयी कोर्ट्स बनती हैं उनमें लिफ्ट न दें तो यह थोड़ी सी सही चीज नहीं होगी। फिर हाईकोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जिसका एक स्टैन्डर्ड होता है अगर उसी हिसाब से चीजें बनायी जायं तो मैं समझता हूं कि कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

जहां तक उपमंत्रियों और पार्लियामेंट्री सेक्रेट्रीज का सवाल रह जाता है यह जो मकान हम बनाने जा रहे हैं मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय सदस्य अगर इस पर ध्यान देंगे तो पायेंगे कि जितना रुपया काउंसिलर्स रेजीडेंस में माननीय सदस्यों के सूट के लिये खर्च किया गया है उससे थोड़ा सा ही ज्यादा इन बेचारों के लिये रखा गया है। २३ हजार रुपये का एक क्वार्टर बनाया गया है जो कि आर्डिनरिली तहसीलदार क्वार्टर्स जो पहले कहे जाते थे उसी स्टैन्डर्ड का है। कुछ माननीय उपमंत्री और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आपके रेजीडेंस में रह रहे हैं। आपको तकलीफ है। वह एक-एक दो-दो कमरे लिये हुये हैं। अगर उसके बजाय थोड़ा सा स्टैन्डर्ड बढ़ाकर उनको मकान दे दिया जाय तो आपकी भी तकलीफ दूर हो जायगी और उनको भी जगह मिल जायगी और फिर यह ऐसी चीज बन जायगी, आज भी आप किराया दे रहे हैं और गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, अगर वह बच जाय तो कोई बेजा बात नहीं है।

एक बात और कही गयी कि पहले कई एक ग्रांट्स चली आ रही थीं उनको इस बार नहीं रखा गया। तो मैंने जैसा आपसे अर्ज किया जो मुहकमा हमें रुपया देता है और ज्यादा जरूरी समझता है अपने कार्य को उस ग्रांट के जो काम उनके यहां शुरू हो गये, उनको पूरा करने के लिये अगर इस वक्त रुपया नहीं रख सके, तो आगे रखेंगे। उनका यह डिस्क्रेशन होता है और वह डिस्क्रेशन में अर्ज कर दूं कि इस बात पर मुनहसिर है कि वह डिपार्टमेंट किन चीजों को प्राथमिकता देता है, किनको पायटी देता है। उस हिसाब से जितना उनके पास रुपया है और जहां-जहां उन्हें देना है उस हिसाब से यह रुपया इसमें खर्च किया गया है और माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनकी बाबत मैं इतना ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि वह बातें जो पिछली मांगों में हुईं करीब करीब उन्हीं को दोहराया गया,

सिर्फ जिलों का फर्क हुआ। मिश्र जी ने आजमगढ़ की बात कही। मैं उनको बतला दूं कि उनके यहां भी ऐसा कोई फर्क नहीं रहा है। मधुबन से बिलथरा रोड नई बन रही है और उसके लिये रुपया रखा गया है। पहाड़ का और खास तौर से टेहरी जिले की चर्चा हुई। उसमें मैं बतला दूं कि वह अलखनन्दा से कीर्तिनगर वाले रूट पर एक पुल बनना है, उसके लिये २ लाख रुपया रखा गया है और टेहरी से धरोसा रोड बनाने के लिये २,२५ हजार रुपया रखा गया है और गंगोत्री के तीर्थ स्थान के इम्प्रूवमेंट के लिये ७५ हजार रुपया रखा गया है और पिंडर नदी के ऊपर अलखनन्दा पर ३ लाख एक हजार रुपया रखा गया है। इस तरह से उनके यहां प्राविजन है। यह मैं मानता हूं कि जितना प्राविजन हमारे माननीय सदस्य चाहते हों उतना न हो सका हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि सारे बजट को देख करके और सारे चित्र को देख करके उस पर हिसाब लगा करके कुछ अलाट किया जाता है।

माननीय आर्य जी ने रामपुर स्टेट के लिये कुछ कहा। उन्होंने जो बातें कहीं, सही हो सकती हैं। लेकिन मैं उनसे यह बताऊं कि जितनी मर्ज्ड स्टेट्स हैं वह स्पेशल ट्रीटमेंट चाहती हैं और हम स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें दे रहे हैं। मर्ज्ड स्टेट्स के लिये एक अलहदा से ग्रांट है, उसमें से कुछ न कुछ रुपया हर स्टेट के लिये खर्च करने की व्यवस्था है और जितनी जल्दी हो सकेगा आइंदा कोशिश की जायगी। क्योंकि यह बात सही है कि जो स्टेट्स मर्ज्ड हुई हैं उनका स्टैन्डर्ड सड़क वगैरह के हिसाब से जरा कम था। तो उनके लिये अलहदा से रुपया है और उनका ख्याल किया जायगा।

इसके अलावा जो और बातें यहां आई हैं उनको फिर दोहराना मैं नहीं चाहता, यह जो कि करप्शन वगैरह की बातें हैं वह तो मैं पहले ही जो कह चुका हूं वही जवाब मैं समझता हूं कि काफी है, लेकिन इतनी उम्मीद करता हूं कि कुछ हां लोग कोआपरेट करेंगे और सहयोग देंगे और हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे तो किस तरह से आप कहते हैं कि नामुमकिन है? मैं कहता हूं कि दुनियां में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर सही इरादा है किसी चीज के करने का और हम उधर चल रहे हैं तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। हमें वह करनी है और वह होगी, उसका तरीका हम तजवीज कर लेंगे।

मैं समझता हूं समय कुछ ज्यादा हो गया, अब मैं डिटेल की बातें जो कहनी थीं वह नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो बातें आपने सदन में रखी हैं और जिनके ऊपर यहां डिपार्टमेंट का ध्यान दिलाया है उनके ऊपर गौर किया जायगा। जो उनमें से मानने लायक होंगी वह मानी जायंगी और जैसा भी ठीक हो सकता है वैसा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से इस मांग को स्वीकार करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी दो बातों के जवाब तो मुझे मिले नहीं। एक बात ऐसी मैंने सुनी कि माननीय उपमंत्री जी ने यह निवेदन किया कि जो विभाग जिस मद में रुपया रखना चाहते हैं वह बतौर कंट्रेक्टर के कर दिया करते हैं। प्लानिंग में उनका कोई हाथ नहीं होता। यह बात गलत है। असल में यह ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी का कार्य है और मैं समझता हूं कि अगर आज तक कोई विभाग उसके प्लानिंग में हिस्सा नहीं लेता रहा तो अब से अवश्य उनको लेना चाहिये। दो तीन बातों का जवाब दिया गया। दारुल्शफा के बारे में मैंने कहा था कि क्या यह सही है कि उसका एस्टीमेट २८ लाख से शुरू हुआ और ४६ लाख में भी पूरा नहीं किया गया इसका तो मुझे जवाब भी नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट के स्टैन्डर्ड की बात थी।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट के जजेज ने जैसा काम किया है विधान के अनुकूल मैं तो समझता हूं कि वह देश की माइनारिटी के लिये और कांग्रेसी सरकार के रवैये के खिलाफ होते हुये भी वह जनता के हित में रहा है। तो इसके माने यह नहीं हैं कि मैं उनकी डिसरेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन कहां किसान, यह किसान की झोपड़ी और कहां तेरह तेरह लिफ्ट यह जन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाते हैं और यह मेरे कहने का मतलब है। माननीय उपमंत्री ने यह भी निवेदन किया कि जो माननीय सदस्य जिस खर्चे के मकान में रहते हैं उससे थोड़ा ही ज्यादा तो डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये है। मैंने यह भी सुझाव दिया था और आज भी कि गवर्नमेंट हाउस जो पहले अंग्रेजी जमाने की शान कायम रखने के लिये था उसमें कुछ इन्तजाम हो सकता है और मिनिस्टर्स के बंगलों में भी जो काफी बड़े-बड़े हैं इन्तजाम हो सकता है। माननीय विधान सभा के सदस्यों के लिये तो कम्पलसरी है कि दो आदमी एक साथ रहें। तो क्या वजह है कि ऐसा रखकर के एक एकानामी का आइडियल न पेश किया जाय। जहां तक हिसाब-किताब का सवाल है दारुलशफा का हर सूट ११ हजार ९ सौ रुपये में बना और हर एक में दो मेम्बर रहते हैं। तो एक मेम्बर पर ६ हजार रुपये के करीब पड़ता है और उपमंत्री पर २३ हजार प्रत्येक पर शुरू ही में है और बनते-बनते वह शायद ३२ हजार हो जायगा, इसका भी भरोसा हमारी सरकार को नहीं है तो मैं कैसे कहूं कि इन दोनों के बीच में समानता स्थापित की जाती है। तो इन शब्दों के साथ मैं जानता हूं तथा माननीय शिव नारायण जी से मैं सहमत हूं कि यह विभाग एक ऐसे मंत्री के सिपुर्द हुआ है जो कि एक ऐसी जाति के हैं जो जाति कि बदकिस्मती से पिछड़ी हुई जाति है और इससे साबित है कि सही मानों में गरीबों, मजदूरों और किसानों का दर्द उनके दिल में है और उनके सहायक जो एक उपमंत्री भी हैं तो उनके साथ इस विभाग में बहुत बड़े सुधार भी किये जा सकते हैं और मैं तो बड़ा प्रसन्न होऊंगा कि यह दोनों सज्जन मिल करके इस विभाग की गड़बड़ियों को दूर करके सही मानों में सार्वजनिक निर्माण कर सकें और जनकल्याण का कार्य कर सकें।

श्री अध्यक्ष—क्या कटौती का प्रस्ताव वापस हो रहा है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत, (लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत १,४९,८८,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नैनीताल जिले की प्राचीन थारू व बोक्सा जातियों के उत्थान संबंधी श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा ६ मार्च, १९५३ को पूछे गये प्रश्न के विषय पर विवाद

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विगत ६ मार्च को मैंने तराई प्रदेश में रहने वाले थारू और बोक्सा जाति के आदि वासी किसानों के संबंध में सरकार से एक प्रश्न पूछा था कि उनकी विशेष स्थिति को देखते हुये वहां पर उनके उत्थान के लिये, उनके सुधार के लिये और उनकी दयनीय दशा को सम्पन्न व उन्नत करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न करने जा रही है? उसके संबंध में माननीय मंत्री जी हरिजन सहायक

विभाग की ओर से जो मुझे उत्तर मिला वह बहुत ही असंतोषजनक था। एक प्रकार के आम तरीके से उसका उत्तर दिया गया। उसमें लिखा गया कि बोक्सा जाति परिगणित जातीय अनुसूची में सम्मिलित है और इस जाति को आर्थिक, राजनैतिक तथा शिक्षा संबंधी वे सम्पूर्ण सुविधाएं लभ्य हैं जो कि अन्य परिगणित जातियों को प्रदान की जाती हैं।

थारू जाति यद्यपि अब परिगणित जातीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं है परन्तु किन्तु सरकार का आदेश है कि इस जाति को शिक्षा संबंधी सम्पूर्ण सुविधायें पूर्वत् प्रदान की जाती रहे।

श्रीमन्, सरकार अपने निश्चय में स्पष्ट नहीं है। सरकार के सामने थारू और बोक्सा जाति की समस्याओं का दृष्टिपेक्षण स्पष्ट नहीं है। यह इससे स्पष्ट हो जाता है जबकि मैंने पूरक प्रश्न पूछा तो उस पर जवाब यह दिया गया। मैंने पूछा था कि "क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस बोक्सा जाति को आजकल क्या क्या राजनैतिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जा रही हैं?" इसका उत्तर यह दिया गया कि जो भी सुविधायें अन्य परिगणित जातियों के लिये हैं वही थारू और बोक्सा जाति को भी हैं। यानी मुख्य प्रश्न में तो यह कहा गया कि थारू जाति को शिक्षा संबंधी सुविधायें मिलती हैं लेकिन पूरक प्रश्न में यह कह दिया गया कि उन्हें भी सभी सुविधायें मिलती हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने इस उत्तर को देने के पहले इस बात के जानने की चेष्टा नहीं की कि थारू और बोक्सा जाति की समस्यायें क्या हैं। श्रीमन्, यह थारू और बोक्सा जाति सैकड़ों वर्षों से उस तराई एरिया को आबाद किये हुये हैं। वहां मलेरिया का भीषण मुकाबिला करते हुये हिंसक जन्तुओं के बीच में जंगली हाथियों और शेरों का मुकाबिला करते हुए वे उस एरिया को आज तक आबाद करते आये हैं। आज कल वहां कालोनाइजेशन भी हो रहा है और डी० डी० टी० कैम्पेन के जरिये मलेरिया का मुकाबिला हो रहा है, लेकिन यह भी सोचा जाय कि अब तक थारू और बोक्सा किन स्थितियों में वहां रहे होंगे। जब सदन में टनकपुर को पीलीभीत जिले में पुलिस के मामले में मिलाने के लिये प्रश्न किया गया था उसके सिलसिले में जो सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था उससे यह स्पष्ट होता था कि नैनीताल में यातायात के साधनों की कमी की वजह से ही ऐसा किया जा रहा है। आज जहां थारू लोग रहते हैं वह सड़क की कमी से जगह इतनी दूर लगती है कि उसकी वजह से कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाता है। जब सितारगंज के अस्पताल के बारे में प्रश्न पूछा गया था तब माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि वह अत्यन्त खराब अवस्था में है और वह लिखित उत्तर मेरे पास रखा हुआ है।

सिंचाई के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि शारदा नहर वहीं से निकलती है, लेकिन हालत यह है कि आठ गांवों के बीच छः इंच का कुलाबा भी एक हफ्ते में मुश्किल से मिलता है। यह वहां की आबपाशी की हालत है।

जहां तक गोचर का संबंध है, वे लोग गाय पालकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब से वहां पर आबादी बढ़ी है, जब से वहां पर जमीन एलाट की गयी है, कुछ बड़े बड़े फार्म्स ने मनमाने तरीके से जहां तबियत आयी वहां पर जमीन को एलाट कराकर अपने नाम इन्दराज करा लिया। और गोचर पर भी कब्जा कर लिया, उसका नतीजा यह है कि आज आप बाजपुर, खटीमा, सितारगंज की तहसील में चले जाइए, उनकी गायों और जानवरों को पूछने वाला कोई नहीं है। रास्ते बदल गये हैं। कांटेदार तार लगा दिये गये हैं। यदि उन लोगों की गायें कभी उधर पहुंच गयीं तो घायल किये जाने तक के समाचार हमारे सामने आये हैं। इस गोचर संबंधी व्यवस्था ने थारू और बोक्सा जाति वालों को परेशान कर रखा है। पिछले वर्ष कालोनाइजेशन के अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर मिला था और मैंने बतलाया था कि वहां तेरह गावों में थारू लोग

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सरकारी ट्रैक्टरों से घबडा कर भाग गये हैं और उनको कहीं पर सरकारी असावधानी से हटा भी दिया गया है। उस सिलसिले में माननीय उपमंत्री जी सरकार के आदेश के अनुसार वहांपर तसदीक के लिये गये थे, उन्होंने उसका निरीक्षण किया और तब से वह कार्यवाही कुछ जरूर रुकी और उनका निकाला जाना कुछ हद तक बन्द हुआ। वे इतने अशिक्षित हैं, इतने पिछड़े हुये हैं कि इसका अन्दाजा इसी से हो सकता है कि वे ट्रैक्टर देख कर भाग जाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि और पिछड़ी हुई जातियों की तरह उनको शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनकी शिक्षा के लिये क्या प्रबंध किया, कहां उनके लिये स्कूल खोले गये। सितारगंज की सारी तहसील में एक मिडिल स्कूल नहीं है। जहां तक मुझे सूचना है हजारों थारू परिवारों में से केवल एक थारू विद्यार्थी बी० ए० में पढ़ता है। खटीमा व सितारगंज के दो तहसीलों में थारू लोगों का बहुमत है लेकिन केवल एक विद्यार्थी है जो बरेली के एक कालेज में बी०ए० में पढ़ता है। जहां तक बोक्सा लोगों का सवाल है उनकी हालत और भी गई बीती है। मैंने पता लगाने की चेष्टा की तो मालूम हुआ कि अंग्रेजों के जमाने में केवल एक बोक्सा सरपंच मिडिल फेल हुआ था। जब से हमारा मंत्रिमंडल बना है तब से भी बोक्सा लोगों की पढ़ाई के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिये क्या कार्य हुआ, कितने बोक्सा विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की, और कितने मिडिल स्कूल वहां पर खुले। तो यह वहां की शिक्षा संबंधी स्थिति है। विधान की धारा ४६ में लिखा हुआ है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के संबंध में है :

"The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the scheduled castes and the scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

[राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेष तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।]

तो इस प्रदेश में मैं देखता हूं कि थारू और बोक्से लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति में अनोखे प्रकार से पिछड़े हुये हैं। वहां पर बहुत स्थानों पर शराब पीना इतना प्रचलित है कि जितना मैंने कहीं नहीं देखा। वहां हालत यह है कि कुछ लोग दिन भर में ८,१० मर्तबा शराब पीना प्राकृतिक गुण मानते हैं। उनको घर में शराब बनाने के लिये खटीमा, सितारगंज में परमिट मिलता है। तहसीलदार परमिट देते हैं। अगर एक पीपे का परमिट दिया तो शराब पांच पीपे उनके घर में बन सकती है। वही एक ऐसा अनोखा एरिया है जहां कि सरकार ने घरों में शराब बनाने के लिये उन थारुओं को परमिट दिया है। क्या मैं आशा नहीं कर सकता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में अधिक स्पष्ट रूप में बतलायें कि आखिर उनको क्या क्या राजनीतिक व आर्थिक सुविधायें दी जा रही हैं और क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी उनके लिये सीटें रिजर्व हैं। थारू तो एक दो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर हैं भी लेकिन बोक्सा एक भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर नहीं है। आर्थिक दृष्टि से मैंने यह बतलाया कि इस समय आवश्यकता यह है कि जो बक्से और थारू हैं उनको एक ही स्थान में आबाद रखा जाय। वे हर नयी चीज से डरते हैं, इतना वे पिछड़े हुये हैं। तो क्या मैं आशा करूं कि माननीय मंत्री जी भविष्य में इस ओर ध्यान देंगे और इस बात की चेष्टा करेंगे कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बना है उसका ध्यान इन जातियों की ओर जाय। इस सम्बन्ध में राणा-जाति सुधार-सभा, खटीमा की मांगों पर विचार कर उनसे बात की जाय, वहां नये स्कूल खोले जायं और सितारगंज अस्पताल की मरम्मत की जाय। बाजपुर की तहसील में उनको विशेषरूप से

गोचर व रास्तों की तकलीफ है, कुछ फार्मों के तार लगने से, वह दूर की जाय। यह निवेदन में समझता हूं कि सामयिक है और अब मुझे मेरे प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर मिलेगा।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो बातें सदन के समक्ष रखी हैं उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वैसे तिवारी जी का जो अनुपूरक प्रश्न है कि आज कल बोक्सा जाति को क्या क्या राजनैतिक और शिक्षा संबंधी सुविधायें दी जा रही हैं। यह पहला अनुपूरक प्रश्न था। इस प्रश्न के जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि जो अन्य परगणित जातियों को दिये जाते हैं। वैसे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय तिवारी जी के प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से और ठीक प्रकार से दिया है क्योंकि यू० पी० में ६३ अनुसूचित जातियों की जो लिस्ट है उन जातियों को जो सुविधायें सरकार देती है वही सुविधायें इन जातियों को यानी बोक्सा जाति को देती है। अतः यह कहना तो बिल्कुल निराधार है कि एक खास जाति के लिये सरकार नैनीताल के जिले में क्या कर रही है। इसलिये मैं तो यह ठीक नहीं समझता कि इस प्रकार का यहां पर प्रश्न सदन के सामने उपस्थित किया जाय क्योंकि जितने भी अनुपूरक प्रश्न तिवारी जी ने पूछे उन सब प्रश्नों का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ठीक प्रकार से दिया है। एक जगह माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने भाषण में कहा है कि सदन के सामने जो जवाब लिखित दिया गया है उसमें कुछ बातें और हैं और अनुपूरक प्रश्नों में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ और बातें कहीं हैं। उसको भी मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। जहां तक थारू जाति का प्रश्न है वह पहले पहल अनुसूचित जातियों में थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिये उनके संबंध में यहां पर कोई भी प्रश्न उठाना उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर भी चाहे इस प्रान्त की सरकार की देन कहिये या गौरव की बात कहें कि थारू जाति को भी यह सरकार वही सुविधायें दे रही है, खासकर शिक्षा के मामले में, जो वह और परिगणित जातियों को दे रही है। अतः जितने भी प्रश्न तिवारी जी द्वारा किये गये हैं उनका उत्तर माननीय मंत्री जी ने बखूबी दिया है। अभी तिवारी जी ने कहा कि वह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि सरकार क्या-क्या राजनैतिक सुविधायें बोक्सा जातियों को देती है। यह तो माननीय सदस्य को मालूम ही है कि जब कांग्रेस सरकार नहीं आई थी, अर्थात् अंग्रेजों के जमाने में, उस समय जो हरिजन दर्जा ४ तक पढ़ा नहीं था या १० रुपये से ऊपर लगान नहीं देता था वह वोटर नहीं था। इस प्रकार उस जमाने में ९० फ़ीसदी हरिजन वोटर नहीं थे। इस सरकार ने राजनैतिक पहलुओं को सुलझाने के लिये सब से बड़ी चीज वोट देने का अधिकार दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर कांस्टीट्यूशन को देखें तो सिर्फ पार्ट ३ में जहां फंडामेंटल राइट्स को डील किया गया है वहां साफ़-साफ़ दिया है कि :

"The State shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. No citizen shall on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to axcess to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort, maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public."

[राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक—

[डाक्टर सीताराम]

दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; अथवा पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्ध अथवा शर्त के अधीन न होगा।]

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि यह सरकार ने इतना रिवोल्यूशनरी क़दम उठाया है जितना संसार के किसी भी देश ने नहीं उठाया। हो सकता है कि देहातों में लोग इसे कार्य-रूप में परिणित न करते हों लेकिन सरकार ने अपनी ओर से इसका अच्छी तरह से पालन किया है। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि आस्ट्रेलिया में अब भी ट्राइब्स कायलस लोग हैं। वे लोग जिस जगह रहते हैं उसे नोमैंस लैंड कहते हैं और वहां ह्वाइट्स नहीं जाते। अमेरिका में अगर आप जावें तो देखेंगे कि आज वहां नीगरो को किस तरह से डिस्क्रिमीनेट किया जाता है और उनके लिये अलग मोटरकार्स या होटल्स बने हैं। साथ ही साथ वहां रेड इंडियन्स के लिये अलहदा कालोनी है। दुनिया के किसी और देश ने इतना अच्छा क़दम इस तरफ़ नहीं उठाया है जितना हमने उठाया है। अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि शिक्षा संबंधी क्या सुविधायें सरकार ने नैनीताल के ज़िले में इन जातियों को दी हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक खास जाति को सरकार शिक्षा में कोई सुविधा नहीं देती है बल्कि ६३ जातियां जो हैं उनके लिये फंड के रूप में सरकार ज़िलों के नाम से रुपया देती है तो ज़िले में किन्हीं जातियों के लोग क्यों न आयें सब एक सी सुविधा और लाभ उठायें। नैनीताल ज़िले में सन् १९५२-५३ ई० में प्राइमरी स्कूलों की फीस का जो लास है उसको मीट करने के लिये ९४० रुपया ज़िला बोर्ड नैनीताल को दिया था। इसके बाद नैनीताल ज़िले में जूनियर हाई स्कूल के छात्रों के लिये फीस माफ के लिये २,७०० रुपया ज़िला बोर्ड को दिया था। अब प्राइमरी स्कूलों में वजीफे के लिये इन जाति के विद्यार्थियों के लिये जो इन ६३ जातियों में से हैं, १,०९८ रुपया दिया है।

सरकार ने पुस्तकों के लिये जो विद्यार्थी इन पाठशालाओं में पढ़ते हैं इनको मदद दी है। सन् १९५३-५४ में कुएं बनाने के लिये १२,४०० रुपये के लिये सरकार विचार कर रही है कि उनको दिया जाय। पिछले साल कुयें बनाने के लिये सरकार ने ६,००० रुपया नैनीताल ज़िले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को दिया है। जहां तक शिक्षा का संबंध है, जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि सरकार किसी एक जाति के लिये सुविधा या मदद नहीं देती है बल्कि इन तमाम ६३ जातियों के लिये देती है। अतः इस संबंध में किसी एक ज़िले में जितने विद्यार्थी आयेंगे सब को एक ही सुविधा और मदद मिलेगी।

अब रहा सवाल स्कूल खोलने के लिये, लाइब्रेरी खोलने के लिये तो अब तक कोई भी कम्पलेंट सरकार के सामने इस इलाके की जिनके संबंध में माननीय तिवारी जी ने प्रश्न सदन के सामने पेश किया है, नहीं आई है। अब अगर कोई शिकायत है तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर हैं, उनके पास भेजी जाय। अगर वह उचित समझें तो अपनी उचित सम्मति के साथ सरकार के पास उसको भेजें और सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री तिवारी जी ने कहा था कि इनकी आर्थिक परिस्थिति को सुलझाने के लिये सरकार ने इस जाति के लिये कुछ भी नहीं किया है। इस सिलसिले में यह कह देना चाहता हूं कि सरकार कुटीर उद्योग-धंधों के लिये जैसे पोल्टरी फार्मिंग, पिग फार्मिंग, जूते बनाने तथा अन्य इंडस्ट्रीज के और जो काम हैं उनके लिये उनके यदि आवेदन-पत्र आते हैं तो सरकार उन पर विचार करती है और उनके उत्थान के लिये काफी रुपया देती है। अगर इन जातियों के विद्यार्थी पढ़े-लिखे हैं तो उनको चाहिये कि जैसा कि सरकार ने बख्शी के तालाब पर उद्योग-धंधे सीखने के लिये एक केंद्र खोला है, वहां पर आकर वह भी उद्योग-धंधों की शिक्षा प्राप्त करें।

साथ ही साथ इस ज़िले में अच्छी बस्ती बसाने के लिये सरकार ने एक कुमायूं प्रान्त में ५०० एकड़ जंगल काटकर इन जातियों को दिया है, जहां पर यह लोग जा कर अपनी अच्छी-अच्छी

बस्ती बसायें। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी बात माननीय मंत्री जी ने नहीं बतलायी है जिससे कि उनके प्रश्न का स्पष्टीकरण न हुआ हो।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछना चाहें पूंछ सकते हैं।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह थारू और बोक्सा जातियों का खून ऐसा है कि जिस पर मलेरिया का कोई प्रभाव नहीं होता है यानी मलेरिया मर्ज के लिये यह इम्यून हैं ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं इसका जवाब चाहने पर भी नहीं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे यह उठता नहीं है।

श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बतायेगी कि थारुओं की जमीन को छीन कर और लोगों ने उस पर क़ब्ज़ा किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये तो सूचना चाहिये, इसका पता नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो ५०० एकड़ जमीन उनको बसाने के लिये दी गयी है वह कितने लोगों को दी गयी और थारू और बोक्सा जाति की आबादी कितनी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आबादी कितनी है, यह भी नहीं बता सकता, इसके लिये सूचना चाहिये और उसमें कितने परिवार बसे हैं या बसेंगे इसकी भी सूचना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन सहायक आफ़िसर जब से उनकी नियुक्ति हुई है कभी उस इलाक़े में दौरे पर गये थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी भी सूचना चाहिये। ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि कोई आदमी किसी समय भी नहीं सोच सकता कि ये प्रश्न उठेंगे।

श्री अध्यक्ष—वह तो अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो यह बात कह सकते हैं, इसमें क्या बात है।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कार्यरूप में लाने के लिये क्या-क्या क़दम उसने उठाये हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप आम सवाल पूछ रहे हैं। यहां पर प्रश्न तो केवल दो जातियों के बारे में है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल के अलावा इस प्रान्त के और जिलों में भी थारू बसते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, बसते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह थारू जाति हरिजन वर्ग से कब से अलग की गयी ?

डाक्टर सीताराम—यह तो शुरू से ही हरिजन वर्ग में नहीं थी। बैकवर्ड क्लास में थी, लेकिन उनके कंडीशन पर विचार करने पर यह मालूम हुआ कि इन दोनों में से किसी भी वर्ग में रहने लायक़ नहीं हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार थारू और बोक्सा जातियों में शराब बन्दी के लिये क्या कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो ज़रा एक्साइज मिनिस्टर साहब से पूछा जाय तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि उत्तर में यह कहा गया था इसीलिये यह गड़बड़ हो गयी।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आज तक सरकार ने बोक्सा और थारू जाति की शिक्षा दीक्षा के लिये कितना रुपया ख़र्च किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसका उत्तर तो पहले ही दे दिया गया कि किसी जाति विशेष के लिये कोई धनराशि का व्यय नहीं किया जाता है। वह तो जितनी जातियां हैं उन सब पर सम्मिलित रूप में ही ख़र्च किया जाता है। किसी विशेष जाति के लिये न तो आंकड़े रखे जाते हैं और न वे आंकड़े किसी भी समय दिये जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं देखता हूं कि माननीय मंत्री जी ने सारे प्रयत्न किये लेकिन फिर भी संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं मिला। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अनुदान देने की बात कही लेकिन पहले से वहां तो और भी बहुत से काम चल रहे हैं, शारदा पावर हाउस उसी के पास बनाया जा रहा है। किछा तहसील में कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट की ओर से करोड़ों रुपया ख़र्च किया जा रहा है लेकिन फिर भी उनके लिये थारू बोक्सों के लिये बिलकुल काला पानी है। मैं अपनी बात नहीं कहता, उस क्षेत्र के लक्ष्मण भट्ट जी यहां आये हुये हैं वे चाहें तो माननीय मंत्री जी को सही बात बता सकते हैं, वे बुजुर्ग हैं और उन्हें वहां का अनुभव है, मंत्री महोदय उनसे जान लें कि वस्तु-स्थिति क्या है। हो सकता है तथ्यों के साथ में कुछ अतिशयोक्ति या कमीकर गया होऊं लेकिन उनसे उनको पूरा हाल मालूम हो जायगा। सितार गंज में एक भी मिडिल स्कूल नहीं है। कांग्रेस मिनिस्ट्री बनने के बाद भी दुर्भाग्य से वहां के हज़ारों परिवारों के बच्चों के पढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। प्रान्तीय हरिजन सहायक आफिसर साहब भी वहां नहीं गये। माननीय मंत्री जी का यह कहना ठीक नहीं है कि उनके सामने अभी तक कोई उनकी मांग नहीं आयी। राणा-जाति सुधार सभा ने कई बार माँगें भेजी हैं। मैंने भी मांगें पेश की हैं उनकी मांग नहीं आयी तो क्या विधानानुसार सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह ऐसे कार्य करे जिससे उनकी तरक्की हो।

थारू जाति केवल नैनीताल ही में नहीं हैं, बस्ती में भी हैं तथा और और जिलों में भी हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि थारुओं व बोक्सों के बारे में प्रान्त भर के लिये एक कमेटी बनायी जाय। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि कोई जाति ही नहीं है, नागरिक ही नहीं है, यह बात उचित नहीं है। वे नागरिक हैं और उनको वोट देने का भी अधिकार है इसलिये उनको आगे तरक्क़ी करने का मौक़ा मिलना चाहिये। परन्तु खेद यह है कि विधान की ३३५ धारा में यह लिखे हुये होने पर भी कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नौकरियां दी जायं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बोक्सा और थारू जाति के लोगों में से कितनों को नौकरियां दी गयीं ? कम से कम उनमें से कितनों को चपरासी बनाया गया या चौकीदार कितने हुये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अनुदान था, मैं पूछना चाहता हूं कि उनमें से कितना रुपया थारू और बोक्सा जाति के लोगों पर

खर्च किया गया। अगर खर्च हुआ होगा तो दूसरी हरिजन जातियों पर खर्च किया गया होगा, पहाड़ों और तराई में खर्च किया गया होगा, लेकिन इन लोगों पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया। अब मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको सरकार इतनी सुविधायें तो जरूर दे कि वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में पढ़ सकें, भूमि सींच सकें, पक्की सड़कों पर चल सकें, गौवें चरा सकें और राष्ट्रनिर्माण में हिस्सा ले सकें।

श्री हरगोविन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मुझे भवन के सामने यह स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं है कि मैंने स्वयं उनको अभी तक नहीं देखा है और जहां तक उनकी अवस्था के खराब होने का संबंध है वह वास्तव में सही हो सकता है। मैं समझता हूं कि जितने हरिजन भाई हैं वे सब और लोगों की अपेक्षा बहुत खराब स्थिति में हैं इसलिये अब तक जो उनके लिये किया गया है उस सब के होते हुये भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे संतोषजनक स्थिति में हैं। जहां तक इस बात का संबंध है कि उन लोगों की शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिये मैं माननीय नारायण दत्त जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। उनके लिये जो कुछ भी हो सकेगा वह करने का प्रयत्न किया जायगा लेकिन किसी जाति विशेष के लिये यह कहा जाय कि उनको विशेष सुविधायें दी जायं जो दूसरी जातियों को भी उपलब्ध नहीं हैं तो यह सिद्धान्ततः ऐसी खराब परिपाटी की चीज होगी जिसको स्वीकार करने में मैं समझता हूं कि वह देश के लिये न तो हितकर ही होगा और न श्रेयस्कर ही। तो मैं नहीं कह सकता कि किसी विशेष जाति के लिये कोई विशेष सुविधा दी जायगी। लेकिन हां, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके लिये जो प्रयत्न किया जा रहा है वह प्रयत्न इसी प्रकार किया जायगा। और उससे मैं इतना ही आशा कर सकता हूं कि उससे थारू या दूसरी जातियां जिनका कि आप ने नाम लिया है, उनको भी उतना ही लाभ होगा जितना कि औरों को होता है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलाश चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ मार्च, १९५३।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से डिग्री कोर्स के लिए सम्बद्ध आयुर्वेदिक कालेज

		आर्थिक सहायता वर्तमान वर्ष में दी जा चुकी है	
	रु०	आवर्तक	अनावर्तक
१—ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरद्वार	३७,०००	२५,०००	१२,०००
२—ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत	४०,०००	२०,०००	२०,०००
३—बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी	४५,०००	२०,०००	२५,०००
४—गुरुकुल आयुर्वेदिक कालेज, कांगड़ी			
५—मूलचंद आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ			१०,०००
६—कान्यकुब्ज आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ			
७—राम सहाय आयुर्वेदिक कालेज, मेरठ			
८—अर्जुन आयुर्वेदिक कालेज, बनारस			
९—दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, बनारस			
१०—कल्देव आयुर्वेदिक कालेज, बनारस			
११—आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून			
१२—उत्तराखंड आयुर्वेदिक कालेज, गुप्तकाशी, गढ़वाल			

बोर्ड से मान्य कालेज

१३—आयुर्वेदिक कालेज बनारस विश्वविद्यालय ६०,००० आवर्तक

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन से सहायक वैद्य कोर्स के लिये सम्बद्ध आयुर्वेदिक कालेज

१—बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी,
२—अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय, बनारस
३—दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, बनारस
४—आयुर्वेद विद्यालय, देहरादून
५—उत्तराखंड आयुर्वेदिक कालेज, गुप्त काशी, गढ़वाल
६—गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन ।

गृह स्वास्थ्य विशारदा कोर्स के लिये बोर्ड से सम्बद्ध कालेज

१—अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय, बनारस
२—आयुर्वेद विद्यालय, देहरादून
३—महिला आयुर्वेद विद्यालय, मेरठ

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८९ एल० ए०—१९५३—८५०